खण्ड-285, अंक-6
बुधवार, 10 आषाढ़, शक संवत् 1892
(1 जुलाई, 1970 ई0)

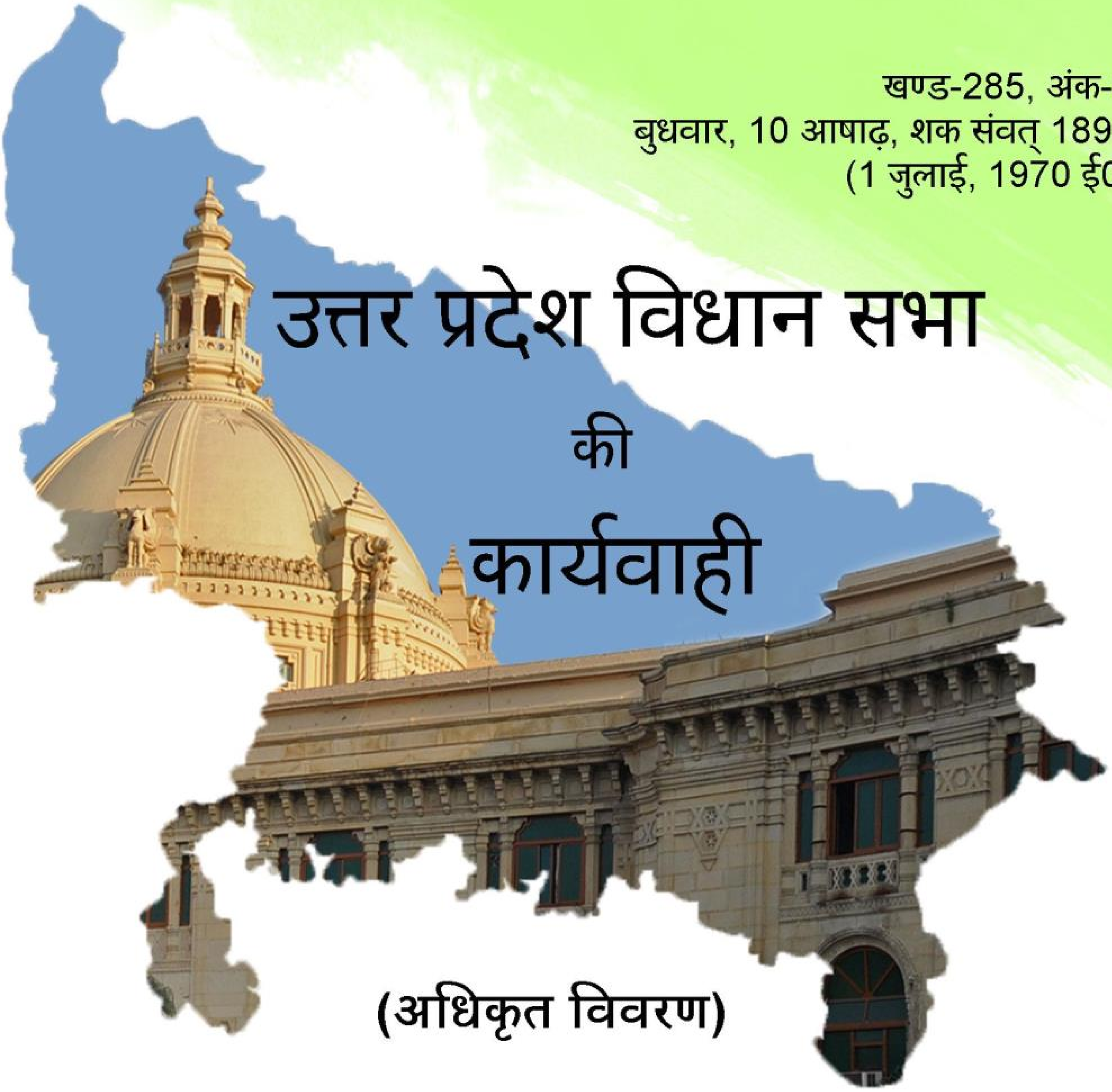

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 285 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित उपबन्ध	५६१–५६७
प्रश्नोत्तर	५६७–६०७
३० जून, १९७० को श्री अनन्तराम जायसवाल के निलम्बन के प्रस्ताव के विधान में गिर जाने तथा वर्तमान सरकार में विश्वास के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में आपत्तियां तथा व्यवस्था के प्रश्न ..	६०७–६१७
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० की संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने हेतु विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित ८ सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में सूचना ..	६१७
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया) ..	६१७
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६१८
नौ हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम आय वाले कर्मचारियों को वृत्ति, व्यापार आजीविका तथा सेवायोजन कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में याचिका (याचिका उपस्थित की गई)	६१८
कतिपय समितियों के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम की सूचना ..	६१८
श्री इन्द्रजीत द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय सुरक्षित)	६१८–६१९
ग्राम बहलोल नगर, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर में डाक्टर विद्या की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	६१९–६२०
अवरकारी दिवसों के सम्बन्ध में जानकारी	६२०
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० की प्रवर समिति के लिये सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	६२०–६२१
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (जारी)	६२१–६२३
उत्तर प्रदेश के पिछड़े भू-भागों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करने के संबंध में संकल्प (स्थगित)	६२४–६२६
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव (श्री उपाध्यक्ष द्वारा घोषणा कि पोस्टल बैलेट से चुनाव की व्यवस्था)	६२७–६३६
सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	६३६–६३७
नस्थियां	६३८–६४६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १ जुलाई, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३७६

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र , श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री

लचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, सिंह नेगी श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी बेटली, श्री

प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ला, श्री
बंशीधर , श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसतन्लाल , श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसालीदेवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री

रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
रामभूति अंचल, श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामबिलास पाडेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरतसिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
ललन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लोलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिवप्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरअली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री

सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नबाव
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा–फतेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा–पच्छिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य तथा रसद मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर†

बुधवार १ जुलाई, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला नैनीताल की रुद्रपुर नगरपालिका के चुनाव की जानकारी

**१—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, १९७० में जिला नैनीताल की रुद्रपुर नगरपालिका का चुनाव होना निश्चित हुआ था ? यदि हां, तो कौन सी तारीख में चुनाव कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार रुद्रपुर नगरपालिका के होने वाले निर्वाचन का नोटीफिकेशन जारी कर चुकी है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

जी नहीं । निर्वाचन कार्यक्रम अन्य नये स्थानीय निकायों के साथ निश्चित होगा । नोटीफिकेशन तभी जारी होगा ।

---

†उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ४१ के अन्तर्गत छापे गये ।

खण्ड विकास अधिकारी गोसाईगंज के विरुद्ध जांच

**२—श्री भाभी (जिला आजमगढ़), श्री विजय कुमार त्रिपाठी, (जिला लखनऊ), श्री बसन्त लाल (जिला लखनऊ) तथा श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री को विदित है कि बी० डी० ओ०, गोसाईगंज, जिला लखनऊ के विरुद्ध वर्ष १९६८–६९ तथा १९६९–७० में हुये गबन से संबंधित आरोप ब्लाक प्रमुख गोसाईगंज, जिला लखनऊ ने मई, १९७० में लगाये थे? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

१—खण्ड विकास अधिकारी, गोसाईगंज के विरुद्ध अनियमितताओं के संबंध में ब्लाक प्रमुख का शिकायती-पत्र दिनांक जून, १९७०, दिनांक ४–६–७० को प्राप्त हुआ था।

२—इस पर एक अन्तिरिम जांच रिपोर्ट अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) लखनऊ से दिनांक ११–६–७० प्राप्त हुई है। यह जांच रिपोर्ट कुछ आरोपों के सम्बन्ध में पूर्ण नहीं है। अभी इस पर कार्यवाही की जा रही है तथा जांच पूरी कराई जायगी।

३—उपरोक्त जांच रिपोर्ट एक प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट है। उसको इस समय सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं होगा। अतः जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रक्खी जा रही है।

बलिया जिले में चावल के आयात पर प्रतिबन्ध

**३—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जिला में चावल के आयात पर प्रतिबन्ध उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी इसी माह लगा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने से बलिया जिले में चावल के भाव में वृद्धि हो गई है और जिले में एकत्रित चावल के भंडार में कमी हो गई है? यदि हां, तो इस अभाव की पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है?

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

बलिया जिले में उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से चावल के आयात पर इस माह कोई नये प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंध में जांच आयोग

**४—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियों तथा अनियमितताओं की जांच के लिये नियुक्त आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्या बतायेंगे कि आयोग कब नियुक्त हुआ तथा रिपोर्ट कब तक आवेगी? इस बात को ध्यान में रहते हुये कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित आयोग जिन अनियमितताओं की जांच कर रहा है उनका सम्बन्ध वर्तमान उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से है तो जांच काल में उन्हें सेवा से पृथक न किये जाने का क्या कारण है तथा क्या आगे सेवा से पृथक करने की कृपा की जायगी जिससे कि जांच निष्पक्ष रूप में की जा सके?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आयोग ७ फरवरी, १९७० को नियुक्त हुआ था। उसे छः महीने के भीतर रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट कब तक आवेगी यह इस समय बताना कठिन है। आयोग की नियुक्ति समस्त विश्वविद्यालय के संबंध में है न कि उप कुलपति के विरुद्ध। अतः उप कुलपति का जांच काल में सेवा से पृथक न किये जाने का या आगे सेवा से पृथक करने का प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिया गया तारांकित प्रश्न]

जिला हरदोई में बलनापुर नाले की खुदाई

*१—श्री शुकुरू (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिला, तहसील संडीला में बलनापुर ड्रेन की खुदाई के आर्डर्स गत वर्ष जारी हुये और करीब आधी ड्रेन बहलोलपुर ग्राम सभा तक खुद भी गई है? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले के किसी विधायक ने ७ मार्च, सन् १९७० ई० को सिंचाई मन्त्री और तहसीलदार तहसील, संडीला ने ३० अप्रैल, सन् १९७० ई० को डिप्टी कमिश्नर, जिला हरदोई को इस बात की सूचना दी है कि यदि उक्त ड्रेन पूरी खोद कर बरसात के पहिले सई नदी में न गिराई गई तो ग्राम सभा बहलोलपुर व उसके चार-पांच मजरे वर्षा में डूब जावेंगे जिससे हजारों एकड़ भूमि कृषि व पशुधन व निवासियों की जान-माल खतरे में होगी? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन न मिलने के कारण ग्रामीण जनता गांवों को छोड़कर भाग रही है?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

प्रश्न का प्रथम भाग—बलनापुर नाले की खुदाई का कार्य १६-२-७० से प्रारम्भ किया गया और केवल १ मील १ फर्लांग की लम्बाई में खोदा जा सका।

प्रश्न का दूसरा भाग—जी हां, उक्त नाले के बारे में श्रीमती कलारानी विधायक, तथा तहसीलदार संडीला ने पत्र भेजे हैं।

प्रश्न का तीसरा भाग—ग्रामीण जनता द्वारा गांवों को छोड़कर भागने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला उत्तरकाशी में मनेरी बांध के लिये अर्जित भूमि

*१—श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उत्तरकाशी में सरकार ने मनेरी बांध के लिये किन-किन गांवों की कितनी भूमि अर्जित की है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तर काशी में पट्टी बाड़ाहाट में ५.९०६ एकड़ उपराव किस्म की भूमि अर्जित की गई है जिसका कब्जा १७-१०-६९ को दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

ग्राम लदाड़ो, पट्टी वाडागाडो में १८.९५ एकड़, ग्राम जामक, पट्टी नाल्डकठुड में ११.८५ एकड़ तथा ग्राम तिलोथ, पट्टी बाडीहाट में १५.४६३ एकड़ भूमि आवाप्त किया जाना प्रस्तावित है परन्तु अभी भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है।

*२--श्री गोविन्द सिंह--

कितने किसानों से बिना मुआविजा दिये हुये भूमि का सरकार द्वारा कब्जा लिया गया है तथा जिन किसानों की भूमि अर्जित की गई है उनके पुनर्वास के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

५५ किसानों से भूमि का कब्जा ले लिया गया है। मुआवजा अभी नहीं दिया जा सका है। उन किसानों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

दिल्ली--बरेली--लखनऊ मार्ग पर कालन्दा रजबहा पर पुल निर्माण

*३--श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ), श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा) तथा श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद से ७ मील १ फर्लांग पर रजबहा का पुल लगभग एक वर्ष से टूटा पड़ा है, जिसका एक वर्ष पूर्व टेंडर होकर निर्माण भी शुरू हो गया था परन्तु कच्चा पुल बनने के बाद अचानक निर्माण बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)--

दिल्ली-बरेली-लखनऊ राष्ट्रीय मार्ग संख्या २४ के बीसवें मील में कालंदा रजबहा के ऊपर एक पुराना पुल था जिसकी दशा १९६९ में वर्षा के कारण अति भयप्रद हो गई थी और पुल गिरने के करीब हो गया था। इस कारण पुराने पुल से थोड़ा फासले पर उत्तर की ओर एक अस्थायी पुल बना दिया गया है जिस पर यातायात बिना किसी असुविधा से गुजर रहा है।

नया पुल बनाने के लिए न कोई टेंडर मांगा गया है और न निर्माण कार्य ही आरम्भ किया है।

जिला बलिया के मर्ची गांव में नहर का निर्माण

*४--श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला बलिया के अन्तर्गत विकास खंड सोहाव के ग्राम सुरापाली विद्युत संचालित नहर से मरची गांव तक नहर की नाली कब तक बन जायेगी। इसके बनाने में बिलम्ब का कारण क्या है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा--

मर्ची गांव तक नहर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और आशा है कि आगामी फसल रबी में इस नहर द्वारा ग्राम मर्चीकलां में पानी दिया जा सकेगा सुरापाली विद्युत पंप नहर पहले मर्ची गांव तक प्रस्तावित नहीं थी। कृषकों की मांग पर ही पंप नहर को मर्ची गांव तक बनाया जा रहा है, अतः बिलम्ब का कोई कारण नहीं है।

जिला इलाहाबाद में जंघई--बारी मार्ग को पक्का कराने पर विचार

*५--श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की जंघई-बारी रोड को पक्का कराने का कार्य कब से आरम्भ होगा ?

श्री धर्मसिंह—

निर्माण कार्य विस्तृत आगणन की प्रशासकीय तथा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् आरम्भ किया जायगा ।

नगरमहापालिका इलाहाबाद में कथित अपव्यय

*६—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि नगरपालिका, इलाहाबाद में फरवरी, सन् १९६६ से मार्च, १९७० तक नगर पालिका के ६६ लाख रुपये का अपव्यय हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन मदों में अपव्यय हुआ है तथा क्या सरकार ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अतीकुर्रहमान—

नगर महापालिका, इलाहाबाद में फरवरी सन् ६६ से मार्च, ७० तक किसी भी प्रकार का कोई अपव्यय नहीं हुआ है। उक्त अवधि में जो भी कार्य किये गये वह जनहित में सर्वसाधारण को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिये किये गये हैं । अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मथुरा जिले की खारी तहसील छाता को अतिरिक्त पानी

*७—श्री तेजपाल (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मथुरा जिले की खारी तहसील छाता को रामगंगा योजना से अतिरिक्त पानी मिलेगा और उसके लिये revised योजना में नौ माइनर नयी और बनेंगी ? सिंचाई मंत्री क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन माइनरों को खोदने का कार्य कब से आरम्भ हो रहा है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

मथुरा जिले की खारी तहसील छाता को रामगंगा योजना से अतिरिक्त पानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलेगा । इस समय लोअर गंगा कैनाल सिस्टम को कुछ पानी अपर गंगा कैनाल सिस्टम से उपलब्ध होता है। रामगंगा योजना पूर्ण हो जाने पर लोअर गंगा कैनाल सिस्टम को यह आवश्यकता रामगंगा योजना द्वारा पूर्ण होने लगेगी तथा अपर गंगा कैनाल सिस्टम से जो पानी लोअर गंगा कैनाल सिस्टम को उपलब्ध कराया जाता था वह बच रहेगा ।

इस प्रकार अपर गंगा कैनाल में बचे पानी में से ७०.५ क्यूसेक्स पानी मथुरा जिले की तहसील छाता को सिंचाई के लिये ८ नई माइनरों तथा २ पुनरीक्षित माइनरों द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है जिनका प्राविधान संशोधित प्रोजेक्ट में किया गया है। इन माइनरों का निर्माण आदि कार्य धनराशि मिलने तथा भूमि अधिकरण होने पर प्रारम्भ किया जायगा ।

तहसीलदार चयन समिति के चयन के फलस्वरूप प्रत्यावर्तित हरिजन तहसीलदार

*८—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६६ में बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा स्थानापन्न तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों का जो चुनाव किया गया उसके अधीन जिन स्थानापन्न तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की पदावनति हुई उनमें कितने प्रतिशत हरिजन थे ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

१९६६ में नायब तहसीलदारों का कोई चयन नहीं किया गया । केवल तहसीलदारों के पद के लिये एक चयन तहसीलदार सेवा नियमावली के अनुसार गठित एक चयन समिति द्वारा पूर्णतया योग्यता के आधार पर हुआ था । जिन स्थानापन्न तहसीलदारों को इस चयन के परिणामस्वरूप उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने के आदेश किये गये उनमें ११·३ प्रतिशत हरिजन थे ।

*९—श्री रामनिहोर राय—

क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६६ तथा उसके बाद जितने पद नायब तहसीलदारों तथा तहसीलदारों के स्थायी किये गये उनमें कितने प्रतिशत हरिजन थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१९६६ तथा उसके बाद तहसीलदारों का कोई पद स्थायी नहीं किया गया । नायब तहसीलदारों के १७ अस्थायी पदों का स्थायीकरण हुआ । लेकिन इन पदों पर अभी किसी अधिकारी का स्थायीकरण नहीं हुआ है। अतएव प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता ।

मऊरानीपुर नगरपालिका में सुखनई नदी पर कथित पुलियों का लेविल

*१०—श्री प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट (जिला झांसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री झांसी जिले में मऊरानीपुर कस्बे के बीच बहने वाली सुखनई नदी पर बनी जिन पुरानी पुलियों का लेबिल नीचा होने के कारण बरसात में पानी भर जाता है उनका लेबिल १६ फिट तक ऊंचा कराने की कृपा करेगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जिला झांसी की मऊरानीपुर नगर पालिका की सीमा के अन्दर सुखनई नदी पर कोई पुलिया नहीं है। केवल एक पुराना रिपटा (canseway) बना हुआ है। अतः पुलियों का लेबिल ऊंचा कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बोये एवं सिंचित क्षेत्र की जानकारी

*११—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६९–७० में शुद्ध बोया गया तथा सिंचित दोनों प्रकार का क्षेत्रफल कितना हो गया है ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१२—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री रामचरण—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि सरकार प्रदेश की सारी खेती लायक जमीन को ७ वर्ष से निश्चित अवधि के भीतर पानी देने की योजना पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

प्रदेश की सिंचाई आवश्यकतायें इतनी अधिक हैं कि उनको ७ वर्ष में पूर्ण करना संभव नहीं है ।

जिला इलाहाबाद की मंझनपुर तहसील में सड़कों का निर्माण

*१३—श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर में भरवारी से करारी पश्चिम शरीरा होते हुये शाहपुर एवं सराय आकिल में महिला तक जाने वाली सड़क स्वीकृत है? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब से शुरू होगा?

श्री धर्म सिंह—

जिला इलाहाबाद में भरवारी से करारी (१७ कि० मी०) तथा महिला से सराय आकिल (१६ कि० मी०) तक सड़कों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कर दिया गया है। निर्माण कार्य विस्तृत आगणन की प्रशासकीय एवं प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् आरम्भ किया जायगा।

बलिया तथा गाजीपुर में एम० के० टी० रोड का निर्माण

*१४—श्री नगीना सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया तथा गाजीपुर जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा (एम०के०टी) मुहम्मदाबाद-करीमुद्दीनपुर-ताजपुर रोड के निर्माण कार्य को सरकार ने स्थगित कर दिया है?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं, कार्य हो रहा है।

*१५—श्री नगीना सिंह—

क्या यह सत्य है कि बलिया जिला सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उपरोक्त सड़क के लिंक को बनाने की पूर्णरूपेण सिफारिश की और उसे सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है?

श्री धर्म सिंह—

फिरोजपुर-ताजपुर-युसुफपुर मार्ग ६.५ किलोमीटर का निर्माण अप्रैल, १९७० में स्वीकृत कर दिया गया है।

नगरपालिका रामनगर जिला नैनीताल द्वारा प्लाटों का नीलाम

*१६—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १३ मार्च, १९७० को नगरपालिका रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा जिन १५० (एक सौ पचास) नजूल प्लाटों का नीलाम नजराना तय करने को होना था, वह नीलाम हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों स्थगित किया गया?

श्री अतीकुर्रहमान—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कुण्डा तहसील की नहरों पर कुलाबे तथा पुलिया बनाने की प्रार्थनायें

*१७—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुंडा में इलाबाद ब्रांच तथा प्रतापगढ़ ब्रांच की नहरें तथा इनकी माइनरों में कुलाबा तथा पुलिया बनाने के संबंध में वर्ष १९६९ से मार्च, सन् १९७० तक कितने प्रार्थना-पत्र शासन को दिये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

उक्त अवधि में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुंडा में इलाहाबाद ब्रांच तथा प्रतापगढ़ ब्रांच की नहरें तथा इनकी माइनरों में कुलाबा तथा पुलिया बनाने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है :—

१—इलाहाबाद ब्रांच—

इस ब्रांच में नये कुलाबे लगाने के लिये कुल ३८ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिसमें से ३६ खारिज कर दिये गये । २ कुलाबों के प्रार्थना-पत्र जो वर्तमान कुलाबों के टुकड़े करने के संबंध में हैं उन पर कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त ७७ प्रार्थना-पत्र फसली कुलाबे लगाने हेतु प्राप्त हुये थे जिनमें से ४४ स्वीकृत कर दिये गये हैं और ३३ खारिज कर दिये गये हैं । इसके अलावा १ प्रार्थना-पत्र पुल बनाने हेतु प्राप्त हुआ था वह खारिज कर दिया गया है ।

२—प्रतापगढ़ ब्रांच

इस ब्रांच पर नये कुलाबे लगाने के लिये कुल ६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिसमें से ५ खारिज कर दिये गये । एक कुलाबे का प्रार्थना-पत्र जिसमें वर्तमान कुलाबे का भी कुछ भाग शामिल है स्वीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त ३१ प्रार्थना-पत्र फसली कुलाबे लगाने हेतु प्राप्त हुये थे जिनमें १६ स्वीकृत कर दिये गये हैं और १५ खारिज कर दिये गये ।

पुल के निर्माण हेतु कोई भी प्रार्थना-पत्र प्रतापगढ़ ब्रांच के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ ।

*१८-१९—श्री शीतलाप्रसाद सिंह तथा श्री दीप नारायन बन—

[१४ वें शुक्रवार के प्रश्न ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला गोरखपुर में छपिया, चौमुखा तथा मेदनीपुर रजबहों में ली गई जमीन का मुआवजा

*२०—श्री महातम (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि छपिया, चौमुखा तथा मेदनीपुर आदि रजबहा, जिला गोरखपुर के मुड़कटिया, परसोना, तकुलवा आदि ग्रामों (तहसील महराजगंज) से निकली है, उन ग्रामों के निवासियों को जिनकी भूमि इसमें ली गई है मुआविजा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेंद्र वर्मा—

छपिया रजबहा मुड़कटिया तथा परसौना ग्रामों से निकलता है। चौमुखा तथा मेदनीपुर रजबाहे अन्य ग्रामों से निकले हैं । अधिकांश मुआवजा संबंधित कृषकों को बांटा जा चुका है। प्रश्नगत ग्रामों के निवासियों, जिनकी भूमि ली गई है को मुआवजा बांटने की स्थिति, संलग्नक में वर्णित है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६६८ पर)

*२१—श्री महातम—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह नहर किस वर्ष निकाली गई और किसानों को मुआवजा देने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो मुआवजा भुगतान कब तक हो जायगा ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---

छपिया रजबहा के निर्माण का कार्य वर्ष १९६१ में प्रारम्भ किया गया तथा यह रजबहा १९६८ में निकाला गया था । उसके निर्माण से संबंधित अध्याप्त भूमि का मुआवजा बंट चुका है। अब इस पर वर्ष १९६८ से रिमार्डलिंग का कार्य चल रहा है और केवल परसोना तथा बरगदही ग्रामों को छोड़कर शेष मुआवजा बांटा जा चुका है ।

चौमुखा एवं मेदनीपुर रजबहों के लिये अध्याप्त भूमि का अधिकार क्रमशः अप्रैल, १९६८ से नवम्बर, १९६८ तक एवं अप्रैल, १९६८ में प्राप्त हुआ था । चौमुखा रजबाहा का निर्माण कार्य फरवरी, १९६९ में तथा मेदनीपुर रजबहा का कार्य मार्च/अप्रैल, १९६९ में आरम्भ हुआ था । संबंधित कृषकों को अधिकांश मुआवजा बांटा जा चुका है ।

तरकुलवा ग्राम में भी मुआवजा शीघ्र बांटने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मिर्जापुर—रिहन्द मार्ग को पक्का कराने की जानकारी

*२२—श्री रघुनाथ सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर से रिहन्द तक पक्की सड़क सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई है तथा उस सड़क की लम्बाई क्या है और उस पर कितना खर्च आया ?

श्री वीरेंद्र वर्मा---

प्रश्न का प्रथम भाग---जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग---प्रश्न ही नहीं उठता ।

अलीगढ़—सांकरा मार्ग की मरम्मत में व्यय

*२३—श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९६८-६९ में अलीगढ़-सांकरा मार्ग की मरम्मत में कितना खर्च हुआ तथा उक्त सड़क पर टाउन एरिया छर्रा एवं नीम नदी के पुल तक की सड़क पर उक्त धनराशि में से कितना खर्च किया गया ?

श्री धर्मसिंह---

अलीगढ़ से सांकरा जाने वाली सड़क का अलीगढ़ नानऊ भाग जी०टी० रोड पर पड़ता है? नानऊ के आगे दादो तक का भाग तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है किन्तु दादो से सांकरा का भाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। नानऊ से दादों तक के भाग पर वर्ष १९६८-६९ में ८३,२५५ रुपये व्यय हुआ इसमें कितना धन टाउन एरिया छर्रा से नीम नदी के पुल तक व्यय हुआ, यह बताना संभव नहीं है क्योंकि व्यय का हिसाब प्रति मील के अनुसार से नहीं रखा जाता है।

जिला इलाहाबाद में रेरुआ—सिंघापुर मार्ग को ऊंचा करने की प्रार्थना

*२४—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद, तहसील सोरांव के कछारी क्षेत्र के लगभग २० गांवों को डूबने से बचाने के लिये रेरुआ से सिंघापुर की सड़क को ऊंचा करा कर उसे पक्का करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्मसिंह—

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत सड़क को ऊंचा कराने एवं पक्का कराने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

*२५—श्री मरहम सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

फर्रुखाबाद नगरपालिका को दिया गया अनुदान

*२६—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६७ जनवरी से लेकर ३१ मार्च, १९७० तक नगरपालिका फर्रुखाबाद को कुल कितना रुपया किस-किस कार्य के लिये राज्य सरकार ने अनुदान ग्रांट का दिया है, और क्या नगरपालिका ने उक्त रुपया को निश्चित अवधि के अन्दर खर्च कर लिया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अतीकुर्रहमान—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला कानपुर की पांडु एवं रिन्द नदियों पर लिफ्ट योजनायें

*२७—श्री रामकुमार (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री लिफ्ट सिंचाई योजना की सफलता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए कानपुर जनपद की सेंगुर, पांडव एवं रिन्द नदियों में जिनमें बराबर पानी रहता है उक्त योजना चालू करने के कृपा करेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कानपुर जनपद की पांडु एवं रिन्द नदियों पर लिफ्ट योजनाएं चल रही है।

सेंगुर नदी पर अभी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जिला एटा में दस्तमपुरघाट पुल का निर्माण स्थगित

*२८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में अरिन्द नदी पर घाट दस्तमपुर पर जो पुल निर्मित हो रहा था, उसका निर्माण कार्य ९ फरवरी, १९७० को रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग— जी हां।

द्वितीय भाग—जिस स्थान पर पुल बनाया जा रहा था, वहां पुल न बनाने के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे और वहां पुल बनाने का विरोध किया गया था। इसलिये निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ा।

*२९—श्री रामचन्द्र विकल तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सत्य है कि सरकार ने यह पुल पहले घाट सोरखा पर स्वीकृत किया था परन्तु १४ ग्राम सभाओं के प्रस्तावों के आधार पर जांच कराने के पश्चात घाट दस्तमपुर पर बनाने का अन्तिम निश्चय किया गया था?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां।

जिला बलिया के दोकटी दियारा गांव सभा को भूमि का कथित ठेका

*३०—श्री नगीना सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जिला बलिया अन्तर्गत ग्राम दोकटी दियारा जो ग्राम सभा की भूमि है और जिसका सन् १९६८–६९ में एक लाख रुपये पर ठेका दिया गया था उसका इस साल अर्थात सन् १९६९–७० में कितने पर ठेका जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ग्राम दोकटी दियारा में गांव सभा की किसी भूमि का ठेका जिलाधिकारी द्वारा सन् १९६८–६९ व १९६९–७० में नहीं किया गया।

जिला शाहजहांपुर में अनधिकृत भूमि के मुकदमे

*३१—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मंत्री जो पता है कि तहसील पुवाया, जिला शाहजहांपुर में जिस जमीन पर गलत ढंग से सरदारों ने कब्जा कर रखा था उसके विरुद्ध धारा २२९ (बी) जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम एवं धारा ९ का (२) चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा राज्य सरकार ने अगस्त, १९६९ से अब तक चकबन्दी अधिकारियों के यहां दायर किये हैं? यदि हां, तो इन मुकदमों से कितनी भूमि ग्राम समाज को प्राप्त होने की सम्भावना है और उसका वितरण किस प्रकार हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, मुकदमात चल रहे हैं उनके तय होने पर पता चलेगा कि ग्राम समाज को कितनी जमीन मिलेगी और उसके बाद ही उसका वितरण हो सकेगा।

*३२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित मुकदमें सरकार वापस लेने की सोच रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं।

सिंचाई विभाग में निलम्बित अधिकारी व कर्मचारी

*३३—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि २० फरवरी, १९७० से ३० अप्रैल, १९७० तक सिंचाई विभाग में कौन-कौन राजपत्रित और कौन-कौन अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारी किस-किस आरोप में निलम्बित किये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वांछित सूचना† तालिका में सदन की मेज पर रख दी गई है।

---

†छापी नहीं गई।

गोरखपुर सदर तहसील में मरकछा ग्राम में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

*३४—श्री फिरंगीप्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल राजधानी के अन्तर्गत ग्राम मरकछा चितहरी में सीलिंग के अन्तर्गत भूमि निकली है ? यदि हां, तो उस भूमि का वितरण कब किया जायगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल राजधानी के अन्तर्गत ग्राम चितहरी में सीलिंग के अन्तर्गत कोई भूमि नहीं निकली है। ग्राम मरकछा में सीलिंग के अन्तर्गत ३१.९५ एकड़ भूमि निकली है, जिसका वितरण ११ भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में अन्तरिम अवधि के लिये पट्टा द्वारा किया गया था। पट्टों की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा अब उक्त भूमि का स्थायी बन्दोबस्त नियमानुसार ३० जून तक समाप्त कर दिया जावेगा।

*३५—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि शासन की ओर से जनवरी, १९७० ई० से अप्रैल, १९७० तक जिला गोरखपुर तहसील सदर सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल राजधानी के कितने भूमिहीन हरिजनों एवं पिछड़ी जातियों के प्रार्थना पत्र भूमि प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी गोरखपुर को प्राप्त हुये थे तथा इन पर क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या राजस्व मंत्री प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों पर जून, १९७० तक व्यवस्था करा देंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

शासन की ओर से जनवरी सन् १९७० से अप्रैल, ७० तक जिला गोरखपुर तहसील सदर सुपरवाइजर कानूनगो सर्किल राजधानी की पिछड़ी जातियों के ३ प्रार्थना-पत्र भूमि प्राप्ति हेतु प्राप्त हुए। इन प्रार्थना-पत्रों को सम्बन्धित ग्राम सभाओं के प्रधानों को भेजा गया है और नियमानुसार कार्यवाही यथाशीघ्र करने का आदेश दिया जा चुका है। इन प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण ३० जून, १९७० तक किये जाने की आशा है।

परगनाधिकारी बांसडीस द्वारा गांव सभा की भूमि पर एक तरफा डिक्रियों को निरस्त करने की ओर तजविसानियां

*३६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जिलान्तर्गत बांसडीह परगनाधिकारी के न्यायालय द्वारा लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट और जमीदारी उन्मूलन ऐक्ट सन् १९५१ की धाराओं के अन्तर्गत सन् १९६२ लगायत १९६७ तक-किन किन मुकदमों में कितनी-कितनी गांव सभा की भूमि पर एकतरफा डिक्रियां कब-कब की गई हैं और इन एकतरफा डिक्रियों को निरस्त कराने के लिये किन किन मुकदमों में ३१ मार्च, १९७० तक गांव सभा या राज्य सरकार द्वारा तजबिसानियां हो चुकी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला कानपुर के रजवहा भदवारा के कुलावा नं० १७ की बारबन्दी

*३७—श्री कृष्णदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर जिला स्थित घाटमपुर रजवहा की शाखा रजवहा भदवारा के कुलावा नं० १७ की बारबन्दी हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके फिर भी थोकदारान को बारबन्दी के फार्म नहीं दिये गये ? यदि हां, तो फार्म न दिये जाने के मूल कारण क्या हैं तथा कब तक मिल सकेंगे ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

यह सत्य नहीं है कि कानपुर जिला स्थित घाटमपुर रजवहा की शाखा रजवहा भदवारा के कुलावा नं० १७ की बारबन्दी हुए कई वर्ष हो चुके हैं । अभी तक उक्त कुलावे की बारबन्दी को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है, क्यों कि अभी कृषकों द्वारा दी गई आपत्तियों का समाधान किया जा रहा है । अतएव थोकदारान को बरावन्दी के फार्म नहीं दिये गये हैं । बारबन्दी को अन्तिम रूप देने और बारबन्दी के फार्म वितरण करने में लगभग ४ माह और लग जाने की सम्भावना है ।

मिर्जापुर के चोपन–कोटा–कोन–विन्ढमगंज सड़क निर्माण में व्यय

*३८—श्री सुबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के चोपन कोटा कोन विन्ढमगंज सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुई थी और उसका सर्वेक्षण भी कराया गया था और क्या उसी के आधार पर उक्त सड़क पर मिट्टी कार्य का तथा पुलियां निर्माण भी कराया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितना व्यय किया गया था ?

श्री धर्मसिंह—

जी हां, कच्ची सड़क (unmetalled) के निर्माण की स्वीकृति हुई थी । इस मार्ग पर केवल सवा दो मील तक मिट्टी का कार्य हुआ है तथा दो पुलियों का निर्माण हुआ है । इस पर ७५,०२९.७० रुपये व्यय हुए हैं ।

*३९—श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि गत वर्ष १९६८–६९ में सूखा काल में टेस्ट वर्क द्वारा उक्त सड़क पर मिट्टी डाली गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कितना सरकारी धन व्यय किया गया था ? क्या उक्त सड़क की आवश्यकता को ध्यान में रखकर वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—

इस मार्ग पर वर्ष १९६८–६९ में सूखा काल में टेस्ट वर्क द्वारा मिट्टी का कार्य २५९ रुपये का किया गया था । इस मार्ग के निर्माण का नया आगणन शासन के विचाराधीन है ।

गौरा-बरहज नगरपालिका में मेहतरों की हड़ताल

*४०—श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मई, १९७० के प्रथम सप्ताह में उन्हें सूचना मिली है कि नगरपालिका गौरा-बरहज, जिला देवरिया के मेहतर १ मई, १९७० से अपनी मांगों के लिये हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान--

जी हां ।

सफाई कर्मचारियों एवं अध्यक्ष नगरपालिका गोरा बरहज के बीच समझौता हो जाने के कारण हड़ताल १३ मई, १९७० को समाप्त हो गई ।

मिर्जापुर के भरपुरा रजवहा के रिसने को रोकने के उपाय

*४१--श्री रामनिहोर राय--

क्या सिंचाई मंत्री मेरे दिनांक ६ मई, १९७० के प्रश्न संख्या ८६ के उत्तर के सन्दर्भ में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भरपुरा रजवाहा के पानी के रिसने को रोकने के लिये सरकार ने कौन-कौन से उपाय किये ? यदि उपाय नहीं किये तो सरकार इस विषय में क्या करने जा रही है और कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

पहला भाग--

भरपुरा रजवाहा का जो भाग पहाड़ी क्षेत्र में है उस भाग में फिशर्स (Fishers) होने के कारण जो पानी रिस जाता है उसको रोकने के लिए कुछ भागों में किनारों पर पत्थर की दीवार (R. S. Masonory) और कुछ भागों में आवश्यकतानुसार पटिया बिछाई गई है । कुछ भागों में सैन्डविच लाइनिंग लगाई गई है । इनके अतिरिक्त फिशर्स सीमेन्ट एवं कंकरीट से भरा गया है और जहां फिशर्स की सम्भावना है उनको भी तोड़कर सीमेन्ट कंक्रीट कराई जा रही है जिससे नहर सुचारु रूप से चल सके ।

दूसरा भाग--

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी जिलों में लिफ्ट सिंचाई योजना

*४२--श्री रामनिहोर राय--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर, वाराणसी और इलाहाबाद में अब तक कितने सिंचाई लिफ्ट लगाये गये हैं और अब कितने लगाने की योजना है और कहां-कहां पर लगेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मिर्जापुर, वाराणसी और इलाहाबाद में अब तक जो लिफ्ट सिंचाई योजनाएं लगाई जा चुकी है उनका विवरण संलग्न तालिका 'क' में है । लिफ्ट योजनाएं जहां-जहां लगाने की योजना है उनका विवरण संलग्न तालिका 'ख' में है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६६९-६७० पर)

ग्राम चुमकी जिला प्रतापगढ़ में खेतों की हद बरारी पर कार्यवाही

*४३--श्री गया प्रसाद तथा कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)--

क्या माल मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चुमकी, परगना रामपुर, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ के उत्तर तथा पूर्व स्थित खेतों की बन्दोबस्ती सीमा को भेंड़ तोड़कर तहसीलदार, कुंडा ने माह जनवरी, सन् १९७० में पैमाइश करके निर्धारित किया था जिसे एक प्रभावशाली भू-स्वामी ने अपनी तालाबी आराजी में शामिल कर लिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां। इस तरह की बात नोटिस में आई है लेकिन हद बरारी का मुकदमा परगनाधिकारी कुंडा की अदालत में चल रहा है। उसके निर्णय होने के बाद उचित कार्यवाही की जाएगी।

जिला नैनीताल में दीवारी पाइप लाइन योजना का कार्यान्वयन

*४४--श्री इन्द्रलाल--

विधान सभा की बैठक ११ मार्च, १९७० को नत्थी (घ) के प्रश्न सं० १ के उत्तर के अनुपूरक प्रश्नोत्तरों के रूप पर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने सदन में सूचना दी है कि इसकी जानकारी अवश्य करा ली जाएगी तो क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सम्बन्धित योजना का कार्य दिनांक १३ मई, १९७० तक भी पूरा नहीं हो पका है इसके ठेकेदार कौन है तथा इसकी गलत सूचना किस अधार पर शासन को दी गई है ?

श्री अतीकुर्रहमान--

जी नहीं। योजना का कार्य फरवरी, १९७० में पूरा हो चुका था तथा स्टैण्ड पोस्टों से पेयजल व्यवस्था कर दी गयी थी। वे स्टैण्ड पोस्ट अस्थाई थे। स्थाई स्टैण्ड पोस्ट भी अप्रैल १९७० के अन्त तक बन गए थे, इस योजना के ठेकेदार श्री कुंवरसिंह थे तथा शासन को कोई भी गलत सूचना नहीं दी गयी।

जिला फतेहपुर में चकबन्दी की जानकारी

*४५--श्री जयनारायन सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद में नवम्बर सन् १९६९ में इस जनपद के उस क्षेत्र में जहां चकबन्दी हो चुकी है, जिलाधिकारी ने दोबारा चकबन्दी कराने की शिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस जनपद में दोबारा चकबन्दी कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

*४६--क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के उन ३४५ ग्रामों में जहां चकबन्दी रामगंगा परियोजना के कारण रोक दी गई थी, शीघ्र चकबन्दी कराने की कृपा करेंगे। यदि नहीं, तो क्यों ?

*४७-४८--श्री चतुर्भुज शर्मा--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

[११ वें सोमवार के प्रश्न सं० १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सदर तहसील प्रतापगढ़ के ग्राम लखापुर में चकों पर कथित अनधिकृत कब्जा

*४९--श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)--

क्या माल मंत्री बतायेंगे कि जिला प्रतापगढ़ परगना अठेस, तहसील सदर के ग्राम लखापुर में चकबन्दी अधिकारी द्वारा काटे गये चकों पर किन-किन व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है तथा उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

ग्राम लखापुर में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा काटे गये चकों पर किसी भी व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से कब्जा नहीं किया है। अतएव किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ के ब्लाक मुरादनगर में सड़क निर्माण की प्रार्थना

*५०—श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जिला मेरठ के अन्तर्गत तहसील गाजियाबाद, ब्लाक मुरादनगर में मितलपुर से ग्राम भड़ौली, देवासी और नेकपुर मुराना और श्यामपुर होती हुई ग्राम भनेड़े जाने वाली सड़क को बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायगा ?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं ।

तहसील हंडिया में ट्यूबवेलों की नालियों में ली गई भूमि के मुआवजे की जानकारी

*५१—श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामपूजन पटेल—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि इलाहाबाद की तहसील हंडिया के किसानों की ट्यूबवेल की नालियां बनाने के लिये सरकार ने जो भूमि ली है उसका मुआविजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

तहसील हंडिया में नलकूपों की नालियों की मरम्मत

*५२—श्री राजितराम पाण्डेय तथा श्री रामपूजन पटेल—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि हंडिया तहसील में जिन ट्यूबवेलों की नालियां खराब हो गई हैं क्या सरकार उनको बनवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां । अधिकतर कार्य इसी वर्ष (१९७०-७१) में पूर्ण किये जाने के लिये प्रस्तावित है ।

*५३—श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)—

[स्थगित किया गया]

टिहरी गढ़वाल में कीर्तिनगर—बड़ियारगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण से हुई क्षति

*५४—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल) तथा श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में कीर्तिनगर-बड़ियारगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम बड़कोट पट्टी बौरस वालों की सिंचाई की नहर तथा पीने के पानी की योजना क्षतिग्रस्त हुई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक उसका निर्माण क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मसिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मंत्रियों द्वारा सिक्योरिटी लाइट पर किये गये व्यय का भुगतान

*५५--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि संविद शासन काल में कितने ऐसे मन्त्रियों का वह पैसा भुगतान नहीं किया गया, जिसे उन्होंने सिक्योरिटी लाइट के रुपए के रूप में अपने पास से जमा किया था ? क्या किसी मंत्री की ओर से उक्त रुपए की मांग व रिमाइन्डर अनुरक्षण खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितने दिन का सिक्योरिटी लाइट का रुपया मांगा गया था और वह चिट्ठी अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड को कब मिली है ?

श्री धर्म सिंह--

वांछित सूचना मेज पर रख दी गई है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ६७१ पर ।)

जिला देवरिया को बिहार सीमा से जोड़ने वाले गुढ़नी पुल के निर्माण में ली गई भूमि का मुआवजा

*५६--श्री गया प्रसाद तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जनपद में बिहार सीमा को जोड़ने वाला गुढ़नी, मेहरौना घाट पर पुल बन गया है ?

श्री धर्मसिंह--

जी हां ।

*५७--श्री गया प्रसाद तथा श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पुल के निर्माण में जो भूमि किसानों की ली गई है उसका मुआवजा उन्हें आज तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और कब तक दिया जायेगा ?

श्री धर्मसिंह--

इस पुल के निर्माण हेतु अस्थायी रूप से ली गई भूमि का प्रतिकर दिये जाने की तिथि १८-६-७० निश्चित की गई थी । सम्बन्धित व्यक्तियों में से जो मौके पर उपस्थित हुए थे उनको प्रतिकर बांटा जा चुका है । स्थायी रूप से ली गई भूमि के प्रतिकर के प्रस्ताव राजस्व परिषद् को स्वीकृत के लिए भेजे गए हैं । उसकी स्वीकृति के प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिकर के वितरण की कार्यवाही की जायगी ।

आजमगढ़ के नलकूप विभाग में बोरिंग मैकेनिकों की कथित छटनी

*५८--श्री भार्भी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप विभाग आजमगढ़ में इस वर्ष कितने बोरिंग मैकेनिक की छटनी हुई और उसका आधार और कारण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

नलकूप खन्ड, आजमगढ़ में किसी भी बोरिंग मैकेनिक की छटनी नहीं की गई है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

मेरठ के गढ़मुक्तेश्वर ब्लाक के अन्तर्गत सड़क निर्माण की मांग

*५९—श्री मंजूर अहमद तथा श्री राजितराम पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि ब्लाक गढ़मुक्तेश्वर तहसील हापुड़, जिला मेरठ के ग्राम सालारपुर से पलवाडा होई मुहम्मदपुर, रुस्तमपुर तक जनता के आने जाने के लिए सड़क बनाने के लिए कोई स्कीम बनाई गई है ? यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह—

जी नहीं । धनाभाव के कारण प्रस्तावित सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जिला बाराबंकी में नहर की माइनरों पर टूटी पुलियों का निर्माण

*६०—श्री शेषनारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में फतेहपुर-पुरुषपुर वाले रोड को पार करने वाली माइनर नहर पुलिया जो ग्राम बंजरिया-शेखपुर के मध्य में है लगभग दो वर्ष से अधिक हुआ, टूटी पड़ी है, तथा दूसरी पुलिया सरदा नहर दरियाबाद ब्रांच की कमोली माइनर जो अद्रा के चौराहे के पूरब दरियाबाद-रामनगर रोड पर पड़ती है अरसे से टूटी पड़ी हुई है और एक अन्य पुलिया दरियाबाद ब्रांच के श्याम नगर माइनर पर ग्राम दनापुर शुकुल में २ वर्ष से टूटी पड़ी है ? इन पुलियों के टूटने से ट्रक, बैलगाड़ी, जानवरों तथा आदमियों का आना जाना पूर्णतः बन्द है । क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करा कर इन पुलियों को बनवाने हेतु तुरन्त व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित पहला पुल जो रजवहा मिठवारा के मील ५-१-२०० पर है तथा दूसरा पुल जो कमोली माइनर के मील ०-१-० पर है तथा तीसरी पैदल पुलिया जो श्याम नगर माइनर के मील २-०-६०० पर है, इन तीनों की स्लैब्स लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व टूट गई थी ।

मिठवारा रजवहे पर १२ फीट चौड़ा तथा कमोली माइनर पर १६ फीट चौड़ा पुल ट्रक, बैलगाड़ियों, जानवरों तथा आदमियों के आने जाने की व्यवस्था के निमित्त अस्थाई रूप से ह्यूम पाइप डलवाकर बना दिया गया था और इस पर यातायात बराबर जारी है । श्याम नगर माइनर पर जो पैदल पुलिया है उसके पास ही केवल १०० फिट की दूरी पर दूसरी पैदल पुलिया बनी हुई है और उससे यातायात बराबर जारी है ।

प्रथम दो पुलों की मरम्मत इसी वित्तीय वर्ष में तथा तीसरी पुलिया की मरम्मत भी इसी वित्तीय वर्ष में अथवा अगले वित्तीय वर्ष में कर दी जायगी ।

आजमगढ़ के ग्राम कसारी में खुरहर पंप कैनाल की शाखा निकालने की प्रार्थना

*६१—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत तहसील मुहम्मदाबाद-गोहना के ग्राम कसारी में खुरहर पम्प कैनाल शाखा निकालने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से आरम्भ किया जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं । अतएव निर्माण कार्य आरम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली में बहगुल नदी के टूटे पुल की मरम्मत

*६२—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बरेली के तहसील नवाबगंज के ग्राम बरौर पर बहगुल नदी पर सिंचाई विभाग द्वारा बना पुल टूटने के कारण आवागमन बन्द हो गया है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बन जावेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित पुल पर पानी के कटाव के कारण भारवाहन और बैलगाड़ी इत्यादि का आवागमन बन्द है । पुल के ऊपर की छत जो लोहे की चादरों की है और रेलिंग कहीं-कहीं से टूट गई है । पुल की मरम्मत के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था होने पर मरम्मत करा दी जावेगी ।

मसूरी नगरपालिका में कथित गड़बड़ियां

*६३—श्री गोविन्द सिंह—

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मसूरी नगरपालिका में हुए भारी घोटालों तथा अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर शासन ने उक्त सम्बन्ध में फरवरी, १९७० को जांच का आदेश दिया था ? यदि हां, तो जांच से क्या फल निकला और इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा के ग्राम कुसुमा व बल्लान में बीज गोदाम के निर्माण का भुगतान

*६४—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अन्तर्गत ग्राम कुसुमा व बल्लान में बीज गोदाम के निर्माण वर्क आर्डर नं० ४१/ए० ई० बी०, दिनांक १४ फरवरी, १९६६, ४२—ए० ई० (बी०)—४८ के अन्तर्गत जिस ठेकेदार द्वारा हुआ था उसका भुगतान हो चुका है । यदि नहीं, तो भुगतान रोकने का क्या कारण है ?

श्री धर्म सिंह—

ठेकेदार को देय धनराशि का भुगतान हो चुका है ।

जिला फैजाबाद के जहांगीरगंज माइनर के किसानों से गलत लगान वसूली पर कार्यवाही

*६५—श्री प्रियदर्शी जेतली (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम हाजीपुर से निकली जहांगीरगंज माइनर में गए लेकिन आज भी उन काश्तकारों से उन खेतों की लगान वसूली की जा रही है जिनके खेत उक्त नहर (माइनर) में चले गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों से वसूली गई लगान की रकम की वापसी का आदेश देगी और जिन अधिकारियों की गलती से किसानों से अब तक गलत रकम वसूल की गई है क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी हां। तहसील अकबरपुर के केवल ग्राम बरोरा कल्यानपुर के १५ खातेदारों से प्रश्नगत माइनर नहर में चली गई भूमि की मालगुजारी गत् आठ वर्षों से गलती से वसूल की जाती रही है जिसकी वापसी अथवा उक्त खातेदारों के अन्य खातों की मालगुजारी, यदि कोई हों, में मोजराई तुरन्त करने के आदेश दे दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध जांच व कार्यवाही करने के भी आदेश दिये जा रहे हैं ?

[१ जुलाई, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

बलिया सिंचाई विभाग में अस्थायी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

*१---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया सिंचाई विभाग में ऐसे कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत है जिनको पांच वर्ष की अवधि से लगातार सेवायें करने के पश्चात् भी स्थायी नहीं किया गया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

बलिया में सिंचाई विभाग के ऐसे २६८ कर्मचारी हैं।

बलिया सिंचाई विभाग की कालोनी में नलकूप से सिंचाई

*२---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया सिंचाई विभाग की कालोनी में ही एक नलकूप लगाया गया है ? यदि हां, तो इस नलकूप से प्रतिवर्ष कितने एकड़ भूमि को सिंचाई हो रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी हां। उससे औसतन ९६ एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है।

*३---श्री जगदीश गांधी---

[१४वें बुधवार के लिए स्थगित।]

गंगा कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा खराब पाइपों की सप्लाई की क्षतिपूर्ति पर विचार

*४---श्री श्यामसूरत उपाध्याय---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि वर्ष १९६४ में पौड़ी गढ़वाल की जल वितरण योजना के अन्तर्गत मुख्य अभियंता स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश ने करीब १२ लाख रुपए का कलिंगा पाइप कम्पनी से बने हुए पाइपों की सप्लाई का आर्डर गंगा कारपोरेशन, लखनऊ को दिया ? यदि हां, तो सप्लाई करने का आधार एवं शर्तें क्या थीं और क्या कम्पनी ने शर्तों का उल्लेख न करके खराब पाइप सप्लाई किया है ?

श्री अतीकुर्रहमान---

वर्ष १९६४ एवं १९६५ में लगभग १० लाख रुपए का आर्डर गंगा कारपोरेशन, लखनऊ को दिया दिया गया था। पाइपों का आर्डर मुख्य अभियन्ता ने निदेशक उद्योग, कानपुर द्वारा आमन्त्रित टेंडरों के आधार पर दिया था। सप्लाई की शर्तें निदेशक उद्योग के पत्र दिनांक २८ मार्च, ६४ तथा मुख्य अभियन्ता के कार्यालय पत्र दिनांक २८ मार्च, १९६४ में दी गयी है जिनकी †प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

कम्पनी ने कुछ पाइपों की सप्लाई आर्डर की शर्तों के अनुसार नहीं की।

---

†छापी नहीं गयी।

*५—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या अधीक्षक अभियन्ता, स्वायत शासन अभियन्त्रण विभाग से सन् १९६७ में उक्त सप्लाई की गई पाइपों की जांच करके रिपोर्ट दी कि खराब सप्लाई होने से विभाग को एक लाख रुपए की क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्षति पूर्ति हेतु सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सन् १९६८ में अधीक्षण अभियन्ता ने कुल क्षति डेढ़ लाख रुपए की आंकी थी परन्तु इस की आगे जांच करने के बाद मुख्य अभियन्ता ने फर्म को २२,४६९.३३ रुपए के लिए जिम्मेदार ठहराया। फर्म से क्षति पूर्ति कराने तथा क्षति की जिम्मेदारी तय करने के प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

*६—श्री महरम सिंह—

[१४वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

जिला झांसी में जामनी बांध का निर्माण

*७—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में बन रहे जामनी बांध के किस सन् तक बन जाना है और नहरों को पानी कब तक देना है ? उक्त बांध न बन सकने का क्या कराण है, तथा कब तक बांध बन जायेगा और नहरों को पानी देने लगेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मूल योजना के अनुसार जामनी बांध का निर्माण १९६६-६७ में पूरा होना था तथा नहरो का संचालन जलाशय में पानी भरने के बाद किया जाना था ।

निर्धारित समय के अन्दर बांध न बनाने के मुख्य कारण यह हैं कि यह एक अन्तरप्रदेशीय प्रायोजना होने के कारण इससे लाभान्वित होने वाले मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई के लिए कितना पानी दिया जाय तथा कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो, में अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब हुआ । इसके अतिरिक्त विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् यह पाया गया कि बांध के नीचे कमजोर चट्टान हैं । अतः इस सम्बन्ध में भी बांध बनाने के परिकल्पों में काफी संशोधन करने पड़े । परियोजना का कार्य उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा के निकट डाकुओं के प्रकोप वाले क्षेत्र में होने के कारण कार्य करने के लिए ठेकेदार उपलब्ध न होने से भी विलम्ब हुआ ।

वर्तमान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार १९७१ की वर्षा में बांध के क्रेस्ट तक पानी भर लिया जायगा और रबी १९७१-७२ में कुछ नहरों से सिंचाई आरम्भ हो जायगी ।

*८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[१३वें गुरुवार के प्रश्न सं० ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*९—श्री कृष्ण स्वरूप तथा श्री रियासत हुसैन—

[१४वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नैनीताल नगर पालिका के विरुद्ध कार्यवाही का कथित आदेश

*१०—कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या स्वायत शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने १८ मार्च, १९६९ को श्री वी० डी० उछियाल के रिट में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह तीन मास के अन्दर नैनीताल नगरपालिका के खिलाफ कार्यवाही करें ? यदि हां, तो सरकार ने नैनीताल नगरपालिका के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय में लिपिकों को कम वेतन देने का कथित आरोप

*११—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय के कुछ कनिष्ट लिपिकों को वर्ष १९६९–७० के ६ महीनों में उनकी बेसिक पे से भी कम दर पर वेतन भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार उस कर्मा के भुगतान कराने के लिये तत्काल आदेश देगी तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

जिला जालौन में लिफ्ट इरीगेशन का सर्वेक्षण

*१२—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में लिफ्ट इरीगेशन का सर्वे किन-किन स्थानों पर किया गया था तथा जिन-जिन स्थानों पर सर्वे कया गया था उन पर अभी तक कार्य प्रारम्भ न करने का कारण क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जालौन जनपद में लिफ्ट् योजनाओं के लिए सर्वेक्षण बेरा, मकरेक्षा, मैनपुर तथा मवई में किया गया था और वहां पर लिफ्ट् योजना बनाकर सिंचाई सुविधा दी जा रही है ।

*१३—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार मौजा चन्द्रासो, थाना खेड़ा कंदौरा ब्लाक, जिला जालौन में जहां का सर्वे हो गया है तुरन्त लिफ्ट इरीगेशन योजना प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मौजा चन्द्रासी, कानाखेड़ा, कंदौरा ब्लाक जिला जालौन में अभी विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है ।

नगर महापालिकाओं एवं पालिकाओं में ज्येष्ठता सेवा सूची के निर्माण हेतु नियमों में संशोधन पर विचार

*१४—श्री रामपूजन पटेल तथा श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नगर महापालिका एवं पालिकाओं के सेवा केन्द्रित अधिकारियों, कर्मचारियों की जेष्ठता पूची लगभग ४ वर्षों से प्रकाशित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह कब तक प्रकाशित की जायगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

केवल कार्य संचालनार्थ जेष्ठता सूची प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए बनाई गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, १९६६ के नियम २४ के अन्तर्गत अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा के विभिन्न मामलों को दृष्टिकोण में रखते हुए कोई अन्तिम सूची तैयार करना सम्भव नहीं था। उक्त नियमावली के नियम २४ का संशोधन शासन के विचाराधीन है। जैसे ही नियम में संशोधन हो जायेगा, तदनुसार पुनः ज्येठता सूची तैयार की जायगी और सम्बन्धित अधिकारियों से आपत्तियां आमंत्रित करके और उस पर विचार करने के पश्चात् अन्तिम सूची तैयार की जायेगी और तब प्रकाशित की जायेगी।

जिला इलाहाबाद में सोराव–नवाबगंज मार्ग को पक्का करने की प्रार्थना

*१५—श्री रामपूजन पटेल—

क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद इलाहाबाद में सोराव से नवाबगंज तक की सड़क को पक्की कराने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्म सिंह—

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क को पक्का कराने की कोई योजना नहीं है।

*१६—श्री चेतराम गंगवार—

[१३वें बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*१७—श्री महरम सिंह—

[१४वें बुधवार के लिए स्थगित]।

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

*१८—श्री मंजूर अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में सहायक अभियन्ताओं की संख्या क्या है तथा उनमें ५ साल से अधिक होने पर भी तबादले पर न जाने वालों की संख्या और नाम क्या-क्या हैं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में चार सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। उनमें से एक श्री बी० एस० वर्मा को वहां पर काम करते हुए पांच साल से अधिक हो गए हैं और २२ जून, १९७० को सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह श्री वर्मा को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट गाजियाबाद से वापस बुलाकर अन्यत्र नियुक्त कर दें।

अलीगढ़ की तहसील अतरौली में गंगा के बहाव को मोड़ने हेतु बनी कथित ठोकरें

*१९—श्री कल्याण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ की तहसील अतरौली के अन्तर्गत गंगा नदी पर पिछले तीन वर्षों में पानी का बहाव मोड़ने के लिए कहां-कहां और कब-कब ठोकरें बनी तथा उन पर अलग-अलग कितना धन व्यय किया गया तथा उन वर्षों में कौन-कौन ठेकेदारों को उक्त काम दिया गया ? क्या उक्त काम के लिए निविदायें आमन्त्रित की गयीं ? यदि हां, तो निविदाओं का विज्ञापन कब-कब किस-किस समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया गया था तथा किस ठेकेदार ने कितनी धनराशि की निविदायें विभाग को प्रस्तुत कीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न का प्रथम भाग—जिला अलीगढ़ की तहसील अतरौली के अन्तर्गत गंगा नदी पर पिछले तीन वर्षों में पानी का बहाव मोड़ने के लिए कोई भी ठोकरें नहीं बनाई गईं ।

प्रश्न का शेष भाग—यह प्रश्न नहीं उठते ।

*२०—श्री जगदीश गांधी—

[प्रश्नकर्ता द्वारा वापस ले लिया गया ।]

फर्रुखाबाद क्षेत्र में हरिजन कूप चालक

*२१—श्री बिहारीलाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नलकूप डिवीजन फर्रुखाबाद में कुल कितने कूप चालक हैं जिसमें हरिजन की संख्या क्या है तथा उसमें कितने स्थाई और कितने अस्थाई हैं तथा वे स्थाई क्यों नहीं किये गये हैं ? यदि इनकी संख्या कोटे से कम है तो सरकार कब तक कोटा पूरा करने की कृपा करेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कुल ३२१ कूप चालक हैं । इनमें से हरिजन कूप चालकों की संख्या ४५ है । २ स्थायी हैं तथा ४३ अस्थायी । ये कूप चालक स्थायी पदों के अभाव के कारण स्थायी नहीं किए जा सके हैं । भर्ती के कोटे में कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

फर्रुखाबाद क्षेत्र में अमीनों के पद पर पदोन्नत हरिजन कूप चालक

*२२—श्री बिहारी लाल—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नलकूप डिवीजन, फर्रुखाबाद में दिनांक २४ जनवरी, १९६८ व दिनांक २३ फरवरी, १९७० में अमीनों का चुनाव किया गया जिसमें कितने हरिजन जाति के कूप चालकों को पदोन्नति का मौका दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां । केवल २ हरिजन कूप चालक ही स्थायी हैं जो कि अभी अमीन के पद पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त नहीं पाये गये हैं ।

*२३—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[१४वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*२४-२५—श्री राम प्यारे, श्री राम लखन सिंह, श्री महरम सिंह, श्री इन्द्रमीण तथा श्री करन सिंह-

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*२६-२७—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

जिला फर्रुखाबाद में प्रधानों द्वारा गांव सभा की भूमि का कथित पट्टा

*२८—श्री मंजूर अहमद—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि ग्राम इसरौली तथा नरैनामऊं, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के प्रधानों ने ग्राम समाज की जमीन के पट्टे अपने परिवार के व्यक्तियों के नाम कर दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं । उल्लिखित ग्रामों के प्रधानों द्वारा गांव सभा भूमि के कोई भी पट्टे नहीं किये गये, अतः प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला इलाहाबाद के बहादुरपुर क्षेत्र मेनलकूपों की व्यवस्था

*२९—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि फूलपूर के जिला इलाहाबाद तहसील के बहादुरपुर, निर्वाचन क्षेत्र में १९७०-७१ वर्ष में ग्राम बसोंध, पहाड़पुर, धर्मपुर, धुरवा, सुनौटी बदरा, कुशमीपुर कनिहार, चकिया, बजाही, बस्तरिया, बेनीपुर, लीलापुर कलां, कतवारूपुर, हवेलिया, शेरडीह, कैथवल, कटियाही में राजकीय नलकूप लगाने की योजना है ? यदि हां, तो कितने ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

इन ग्रामों के लिए नलकूपों की जो स्थिति है उसका विवरण संलग्न तालिका† में दे दिया गया है ।

[देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६७२ पर ।]

*३०—श्री राम विलास पाण्डेय, श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय तथा श्री रामवचन यादव—

[१४वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*३१—श्री रामलाल राही—

[१४वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

जिला कानपुर में चकबन्दी

*३२—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में अब तक किन-किन तहसीलों में चकबन्दी का कार्य समाप्त हो चुका है और किन-किन में चल रहा है और कौन-कौन तहसीलें शेष बची हैं ? डेरापुर तहसील में चकबन्दी का कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर तथा भोगनीपुर में चकबन्दी कार्य समाप्त हो चुका है और धारा ५२ के अन्तर्गत उक्त तहसील के सभी ग्रामों का प्रख्यापन कर दिया गया है ।

तहसील सदर बिल्हौर तथा अकबरपुर में चकबन्दी कार्य चल रहा है । केवल एक तहसील डेरापुर में चकबन्दी कार्य प्रारम्भ करना शेष है । आशा है कि वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के अन्त तक इस तहसील में भी चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

जिला कानपुर में नानामऊ –रसूलाबाद मार्ग का निर्माण

*३३—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत नानामऊ से रसूलाबाद-बाया-कक्कवन तक की ओ० डी० आर० नामक राजकीय सड़क पक्की बनाने की स्वीकृति शासन ने की है, उसके पक्की बनाने की शुरुआत कब से होने जा रही है ?

श्री धर्म सिंह—

प्रश्नगत सड़क के आगणन पर प्रशासकीय एवं प्राविधिक स्वीकृति और भूमि अध्याप्ति के पश्चात् कार्य आरम्भ करना सम्भव हो सकेगा ।

*३४—श्री राम कुमार शास्त्री—

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*३५–३६—श्री चेतराम गंगवार—

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

जिला उन्नाव के ग्राम डोकरई में शान्ति देवी को भूमि देने के आदेश

*३७—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि हाकिम परगना, पुरवा, जिला उन्नाव ने दिनांक १८ जनवरी, १९६४ तथा १७ मार्च, १९६४ को क्रमशः प्रधान तथा उप–प्रधान ग्राम सभा डोकरई, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव को आदेश दिया था कि ग्राम समाज की भूमि का पट्टा मुसम्मात शांती देवी के नाम कर दिया जाय ? ऐसे आदेश देने के क्या कारण थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हाकिम परगना, पुरवा ने दिनांक १८ जनवरी, १९६४ नहीं बल्कि दिनांक १५ जनवरी, १९६४ को आदेश दिया था कि यदि भूमि उपलब्ध होवे तो प्रार्थी को एलाट करने का प्रबन्ध किया जावे तथा उनके आदेश दिनांक १७ मार्च, १९६४ में यह कहा गया था कि भूमि प्रबन्धक समिति के प्रधान को संबंधित व्यक्ति को भूमि पट्टे पर उठाने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं ।

*३८—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् १९६४ से अब तक उपरोक्त प्रधान तथा उप-प्रधान अपने पद से निलम्बित चले आ रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं । प्रधान तथा उप प्रधान के निलम्बन के आदेश जो ३०–१०–६४ को दिये गये थे दिनांक ६ अप्रैल, १९७० के बाद से समाप्त किये जा चुके हैं ।

सिंचाई विभाग के सर्वे एवं अनुसंधान खण्ड लखनऊ में ओवरसीयर की सेवामुक्ति

*३९—श्री महरम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १६ मई, १९७० को सिंचाई विभाग के कुछ ओवरसियरों को सर्वे एवं अनुसन्धान खंड लखनऊ में कार्य भार ग्रहण करने (ड्यूटी) से रोक दिया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन ओवरसियरों को किन-किन कारणों से रोका गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

ऐसा मामला केवल एक अस्थाई अधिदर्शक का है। वे १-१२-६९ से १६-५-७० तक बिना इजाजत के अनुपस्थित रहे थे। इससे पहले भी वे कई बार इसी तरह अनुपस्थित रह चुके थे। अतः उन्हें फिर से नौकरी में रखना उचित नहीं समझा गया।

*४०-४१--श्री हरवंश प्रसाद--

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित।]

जिला उन्नाव की अजगैन-मुंशीगंज सड़क पक्का करने की प्रार्थना

*४२--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत अजगैन से मुंशीगंज जाने वाली कच्ची सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने कब्जे में लेकर पक्की बनाने का विचार कर रहा है। यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ?

श्री धर्म सिंह--

जी नहीं।

जिला उन्नाव में मोहान-मलिहाबाद मार्ग की मरम्मत की प्रार्थना

*४३--श्री सजीवन लाल--

क्या सरकर बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले में मोहान से मलिहाबाद जाने वाली पक्की सड़क की स्थिति खराब है ? यदि हां, तो उसे बनवाने का क्या सरकार प्रबन्ध कर रही है ?

श्री धर्मसिंह--

जी नहीं।

*४४--श्री गोविन्द सिंह--

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*४५--श्री राजितराम पांडेय--

[१४वें बुधार के लिये स्थगित।]

*४६--श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त--

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*४७--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित।]

सिंचाई विभाग बलिया के कथित अधिदर्शक का स्थानान्तरण

*४८--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आई० डी० उस्मानी, अधिदर्शक, सिंचाई विभाग, बलिया का स्थानान्तरण कर दिया गया था ? जिसे ३० मई, सन् १९७० तक के लिये रोक दिया गया ? यदि हां, तो स्थानान्तरण को रोकने के क्या कारण थे ? क्या उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच की जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित नाम का कोई अधिदर्शक, सिंचाई विभाग, बलिया में नहीं है । अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

जिला मुरादाबाद के चकबन्दीकर्ताओं के स्थानान्तरण पर विचार

*४९—श्री सोहन लाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में कितने चकबन्दी के कर्मचारी तथा अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें इस जिले में तीन वर्ष से अधिक कार्य करते हो चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला मुरादाबाद में चकबन्दी विभाग में तीन चकबन्दीकर्ता ऐसे हैं जिन्हें इस जिले में कार्य करते तीन वर्ष से अधिक हो चुका है ।

*५०—श्री सोहन लाल धुसिया—

क्या सरकार इन कर्मचारियों को जिनकी अवधि कार्य करते हुये तीन वर्ष से अधिक हो गयी है उनका स्थानान्तरण करने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां ।

*५१—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित]

स्थानीय निकायों के सफाई मजदूरों के वेतन तथा वर्दी का पुनरीक्षण

*५२—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्रेणी २ से ६ तक के स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक सफाई मजदूरों की वर्दी की संख्या और वेतन-मान सन् १९६९-७० में पुनरीक्षित किये गये है ? यदि हां, तो कितना और कब से और पुनरीक्षित होने के बाद वेतन-मान क्या होगा ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां ।

श्रेणी २ से ६ की स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों के रु० २५-१-३५ के वेतन-क्रम को १ अक्तूबर, १९६९ से बढ़ाकर रु० ३०-१-४० कर दिया गया है । उनके लिये वर्दी की पुनरीक्षित संख्या संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६७३ पर)

*५३—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

मिर्जापुर के चोपन-कोटा-कोन-विंदमगंज मार्ग का निर्माण

*५४—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चोपन-कोटा-कोन-विंदमगंज रोड (मिर्जापुर) कब स्वीकृत हुई थी और निर्माण हेतु कितने धन की व्यवस्था की गई थी ?

श्री धर्म सिंह---

कच्चे मार्ग का निर्माण वर्ष १९५५-५६ में ८.७० लाख रु० की लागत पर स्वीकृत हुआ था ।

*५५---श्री रामप्यारे---

क्या यह सही है कि इस रोड पर अभी तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ, यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस रोड के महत्व को देखते हुये इस वित्तीय वर्ष में निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने का आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री धर्म सिंह---

इस मार्ग पर सवा दो मील में मिट्टी का व दो पुलियों के निर्माण का कार्य हो चुका है । मार्ग का आगणन फिर से बनाना पड़ा है जो अभी विचाराधीन है ।

*५६---श्री मोतीलाल यादव---

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया]

*५७-५८---श्री कृष्णकान्त अवस्थी---

[१४ वे बुधवार के लिये स्थगित]

*५९---श्री रूपनाथ सिंह यादव---

[१४ वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६०--- श्री रामलाल राही ---

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित]

एटा की टाउन एरिया बिलग्राम के विरुद्ध शिकायत

*६१---श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बिलग्राम, जिला एटा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिला अधिकारी एटा को मार्च, १९७० में कोई शिकायती पत्र श्री सेवाराम, सदस्य, टाउन एरिया, बिलग्राम द्वारा मिला ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान---

टाउन एरिया कमेटी बिलग्राम में व्यात भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी एटा को मार्च, ७० में श्री सेवा राम, सदस्य उक्त टाउन एरिया कमेटी तथा अन्य व्यक्तियों का एक संयुक्त प्रार्थना पत्र मिला । शिकायतें टाउन एरिया के धन व सामान का दुरुपयोग करने, कन्या पाठशाला भवन निर्माण में गड़बड़ी तथा ग्राम समाज की जमीन का दुरुपयोग करने आदि की थी । शिकायतों की जांच सम्बन्धित परगनाधिकारी से कराई गई और वह निराधार पाये गये ।

*६२-६३---श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त---

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६४---श्री गोविन्द सिंह तथा श्री इन्द्रमणि---

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित]

*६५---श्री गोविन्द सिंह तथा श्री इन्द्रमणि

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया]

*६६—श्री सत्तार अहमद—

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित]

तहसील धामपुर व नगीना में अग्नि पीड़ितों को सहायता

*६७—श्री सत्तार अहमद (जिला बिजनौर)—

क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तहसील धामपुर व तहसील नगीना म १ जनवरी, १९७० के बाद कितने ग्रामों में आग लगी, कितने की हानि हुई तथा सरकार ने आग लगे हुए पीड़ित व्यक्तियों को राहत दी या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तहसील धामपुर व तहसील नगीना में १ जनवरी, १९७० के बाद १२२ ग्रामों में आग लगी जिससे कुल ९,१७,९५१ रुपये की हानि हुई ।

प्रभावित व्यक्तियों को १८,९२५ रुपये गृह निर्माण अनुदान, ५,७८० रुपये अहेतुक सहायता तथा ३२,९५० रुपये आपत्कालीन तकावी के रूप में वितरित किया गया ।

मदनपुर पम्प कैनाल के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच

*६८—श्री दल सिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के ग्राम मदनपुर के प्रधान तथा उस गांव की जनता की तरफ से लिफ्ट सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता तथा सुपरवाइजर के विरुद्ध २९—५—७० को भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र की मुख्य शिकायत क्या है और उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां। इस में मुख्य शिकायत मदनपुर पम्प कैनाल के निर्माण में सहायक अभियन्ता, सुपरवाइजर व ठेकेदार द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार की है। इसकी जांच अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक मण्डल, इलाहाबाद द्वारा कराई जा रही है ।

अनूपशहर तहसील में सड़क निर्माण

*६९—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों का निर्माण विचाराधीन है ?

श्री धर्म सिंह—

जिला बुलन्दशहर, तहसील अनूपशहर में जिन सड़कों का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है उसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६७४ पर)

*७०—खचेड़ू सिंह मोहरिया—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि अनूपशहर से करनवास तीर्थ स्थान तक जाने के लिये दानपुर व दिवाई होकर २०—२२ किलोमीटर का मार्ग तय करना पड़ता है जबकि इन दोनों तीर्थ स्थानों की दूरी कच्चे मार्ग द्वारा ७ किलो मीटर है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस मार्ग का पक्का निर्माण शीघ्र कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्म सिंह—

अनूपशहर से करनवास तक लगभग १२ किलोमीटर सड़क के पक्की किए जाने का प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में सम्मिलित है।

*७१—श्री इन्द्रजीत—

[१४ वें बुधवार के लिए स्थगित।]

कानपुर डिवीजन की घाटमपुर माइनर से मलाका माइनर का निर्माण

*७२—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर डिवीजन के अन्तर्गत घाटमपुर माइनर पर मलाका माइनर बढ़ाया जा रहा है ? यदि हां, तो इस कार्य को सरकार कब तक पूरा कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी देगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां, ऐसी एक योजना रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

रामगंगा बांध के कमीशन हो जाने व अतिरिक्त जल मिलने पर सन् १९७४ तक इस माइनर से किसानों को सिंचाई हेतु पानी देने की आशा है।

लेखपालों का निश्चित यात्रा-भत्ता

*७३—श्री मंजूर अहमद—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखपालों को फिक्स टी० ए० ४ रु० प्रतिमाह मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

लेखपाल सेवा नियमावली, १९५८ के नियम २३(४) के अनुसार उन लेखपालों को जो तहसील मुख्यावास से ५ मील से ऊपर के अपने हल्कों में रहते हैं उन्हें निश्चित यात्रा भत्ता (फिक्स टी० ए०) ४ रुपया प्रति माह दिया जाता है।

कानपुर की डेरापुर ग्राम सभा को टाउन एरिया बनाने की मांग

*७४—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर ग्राम सभा को टाउन एरिया में परिवर्तित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो डेरापुर को कब तक टाउन एरिया में परिवर्तित कर दिया जायगा ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*७५—श्री गोविन्द सिंह तथा श्री इन्द्रमणि—

[१३वें गुरुवार के प्र० सं० २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७६-७७—श्री मोतीलाल यादव—

[१४वें बुधवार के लिए स्थगित]

*७८—श्री राम प्यारे—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

*७९—८०—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[१४वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*८१—८२—श्री रामधारी शास्त्री—

[१४वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*८३—श्री मोहन लाल कपूर—

[११वें मंगलवार के प्रश्न सं० ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बहराइच—हुजूरपुर सड़क निर्माण की स्वीकृति

*८४—श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले की सड़क बहराइच-हुजूरपुर का निरीक्षण २७ जनवरी, १९७० को उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किया है और अपनी रिपोर्ट में सड़क बनवाने की अनुमति भी दी है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—

उपमंत्री जी ने २७—१—७० को इस सड़क का निरीक्षण किया था । प्रश्नगत सड़क के निर्माण की स्वीकृति अप्रैल, १९७० में दे दी गई है ।

*८५—८६—श्री रामलखन सिंह, श्री मोहम्मद नबी, श्रीमती राजेन्द्र किशोरी तथा श्री राम सिंह—

[१४वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*८७—श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

[१४ वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*८८—८९—श्री भगौती प्रसाद—

[१४ वें शुक्रवार के प्रश्न सं० ४७—४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*९०—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

*९१—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

[१३वें शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*९२—श्री राजित राम पाण्डेय तथा श्री राम पूजन पटेल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया ।]

जमींदारी विनाश ऐक्ट की धारा १९८ के वरीयता-क्रम में परिवर्तन की प्रार्थना

*९३—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जमींदारी विनाश ऐक्ट की धारा १९८ में प्रथम वरीयता हरिजन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को गांव सभा की भूमि देने की नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति को अमल में लाने के लिये उक्त धारा में संशोधन करने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां ।

वरीयता क्रम में किसी परिवर्तन का विचार अभी नहीं है ।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के विरुद्ध कथित शिकायत

*९४—श्री मंजूर अहमद—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल/मई, १९७० में किसी विधायक ने कोई ऐसा शिकायती-पत्र दिया है कि वर्तमान मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, श्री योग के विरुद्ध कई लाख रुपये के पेमेंन्ट व अन्य मामलों की गंभीर शिकयतें है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न में कथित ऐसा कोई पत्र सरकार को प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है । यदि माननीय सदस्य महोदय, मामले में कुछ अन्य विवरण देने का कष्ट करें तो और छान-बीन की जा सकती है ।

अलीगढ़ के तहसीलदारों का स्थानान्तरण

*९५—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ मार्च, १९७० से २८ मई, १९७० तक अलीगढ़ के किस-किस तहसीलदार का कहां-कहां के लिये कब-कब स्थानान्तरण किया गया और उनमें से किस-किस तहसीलदार का स्थानान्तरण कब-कब निरस्त अथवा स्थगित किया गया और क्यों तथा उपरोक्त तहसीलदारों को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त अवधि में अलीगढ़ के तीन तहसीलदारों के स्थानान्तरण के आदेश किये गये ।

१—तहसीलदार (भूमि भवन-कर) का स्थानान्तरण २८-४-७० को आगरा जिले रेगुलर लाइन में उसी पद के लिये किया गया जो ७-५-७० को कार्यान्वित हो गया । अलीगढ़ में भूमि भवन कर तहसीलदार का पद समाप्त होने पर इनका स्थानान्तरण किया गया ।

२—तहसीलदार (कृषि देयों की वसूली) का स्थानान्तरण २८-४-७० को आगरा जिले के लिये किया गया जो ७-५-७० को कार्यान्वित हो गया ।

३—तहसीलदार, कोल का स्थानान्तरण १३-५-७० को जिला मैनपुरी के लिये किया गया । उक्त आदेश २४-५-७० को स्थगित किया गया और २२-६-७० को निरस्त कर दिया गया । ऐसा जनहित में किया गया । पुनः जब जनहित में आवश्यक होगा तहसीलदार का स्थानान्तरण कर दिया जायगा ।

*९६—श्री सिया राम तथा श्री नेतराम सिंह—

[१३ वें बुधवार के प्रश्न सं० ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*९७-९८—श्री रामनिहोर राय तथा श्री सूबेदार प्रसाद—

[१४ वें बुधवार के लिए स्थगित ।]

हल्द्वानी-भावर क्षेत्र में गूलों को पक्का करने की परियोजना

*९९—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक २७ मई, १९७० को नत्थी (घ) के प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के क्रम पर क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि हल्द्वानी-भावर क्षेत्र में जिन १०६.५ मील गूलों को पक्का करने की योजना प्रस्तावित है यह गूलें कौन-कौन सी किन-किन ग्रामों की, आगणन केन्द्रीय जल एवं विद्युत् आयोग के समीक्षा के अनुसार पुनः बनाया जा रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

हल्द्वानी-भावर क्षेत्र में १८६.५ मील गूलों को पक्का करने की परियोजना बनाई गई है, जिसकी अनुमानित लागत ४९.७० लाख रुपया है। यह परियोजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है, और न इसके लिए इस समय धन उपलब्ध है। प्रश्नगत गूलों आदि की सूची † संलग्न है।

शारदा सहायक परियोजना का ठेका

*१००—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सरजू सहायक योजना (बैराज नं०१, बैराज नं०२ व रेगुलेटर) का ठेका कब और कितने रुपयों में छोड़ा गया और किसको तथा किस-किस फर्म ने टेंडर दिये थे और कितने-कितने रुपयों के ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बैराज १ व बैराज २ तथा उससे सम्बद्ध कार्यों के लिये निविदा, दिनांक २२—९—६९ को मेसर्स हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बम्बई के नाम स्वीकृत की गई थी तथा दिनांक २३—१०—६९ को अनुबन्ध पत्रों पर हस्ताक्षर हो गये थे। उपरोक्त कार्यों के लिये किये गये दो अनुबन्धों का अनुमानित मूल्यांकन निम्नलिखित है :—

बैराज नं० १, रु० ७७४.८६ लाख

बैराज नं० २, रु० ५०१.७२ लाख

इसमें सम्बद्ध रेगुलेटर भी शामिल हैं।

उपर्युक्त परियोजना के अन्तर्गत चार अलग-अलग कार्यों के लिए विभिन्न फर्मों ने अपने-अपने टेंडर दिये थे जिनकी तालिका संलग्न है।

इन विभिन्न फर्मों से प्राप्त टेंडरों की प्रारम्भिक जांच से यह ज्ञात हुआ कि केवल निम्नलिखित तीन फर्मों के टेंडर प्रतियोगात्मक थे और विभाग के निर्धारित निर्माण-कार्यों को थोड़ी-बहुत शर्तों के साथ न्यूनाधिक रूप में पूरा करते थे। विश्लेषण करने के बाद इनकी निविदाओं का मूल्याकन निम्नलिखित रहा—

१—मेसर्स हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, रु० १,२१३.६६ लाख

२—मेसर्स कान्टीनेंटल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, रु० १,२४२.८७ लाख

३—मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन, रु० १३३७.७५ लाख।

---

† छापी नहीं गयी।

उपर्युक्त तीन फर्मों के अतिरिक्त जो अब विभिन्न फर्मों के टेंडर प्राप्त हुये थे उनका मूल्यांकन बहुत अधिक था और उनके टेंडर सारे निर्माण कार्यों को देखते हुये प्रतियोगात्मक भी नहीं थे । इसके अतिरिक्त इनके टेंडरों में अनेकों शत भी थी इस कारण इनके टेंडरों का सीधा आर्थिक मूल्यांकन संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६७५ पर)

*१०१—श्री राम चन्द्र विकल—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त योजना कब तक बन कर तैयार हो जायगी और कितना-कितना क्षेत्रफल इस योजना में सींचा जायेगा ।

श्री वीरेंद्र वर्मा—

स्वीकृत योजना के अनुसार प्रथम चरण १९७५-७६ में पूरा होने का प्राविधान है । योजना के दूसरे चरण को पूरा करना अगले ३ वर्षों में प्रस्तावित है परन्तु चेष्टा की जा रही है कि प्रथम चरण का कार्य कुछ पहले पूरा किया जा सके परन्तु यह धन तथा अन्य साधनों की उपलब्धि पर निर्भर होगा ।

प्रथम चरण पूरा हो जाने पर इस योजना से १५ लाख एकड़ क्षेत्रों को प्रतिवर्ष सिंचाई प्रस्तावित है । द्वितीय चरण पूरा हो जाने के पश्चात् इस योजना द्वारा कुल २९ लाख एकड़ क्षेत्र की प्रतिवर्ष सिंचाई प्रस्तावित है।

तहसील कायमगंज में गंगा तथा रामगंगा के कटाव पीड़ितों को भूमि

*१०२—श्री महरम सिंह तथा श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

क्या सरकार को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में १९६८ और १९६९ में गंगा तथा राम गंगा के कटाव से कई ग्राम कट गये थे और वहां के निवासी बेघरबार हो गये थे ऐसे कितने व्यक्तियों को बसने (घर बनाने) के लिये अब तक सरकार ने भूमि दी है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तहसील कायमगंज के ग्राम नगला व दखिनी के मजरा कुंआ खेड़ा बजीर आलम खां के ३२ परिवारों के घर वर्ष १९६९ में गंगा की बाढ़ से कट गये थे । इन सबको पास के ग्राम नगला मनू मजरा कुंआखेड़ा बजीर आलम खां में लगभग ५ एकड़ भूमि दी गई जिस पर ये लोग बस गये हैं ।

तहसील फर्रुखाबाद में वर्ष १९६८ और १९६९ में गंगा तथा रामगंगा कटाव से कई गांवों की आबादी कट गई थी, परन्तु प्रभावित परिवारों ने कटाव के पूर्व ही अपना घर अपने खेतों में बना लिया गथा । इनमें से कोई परिवार बेघरबार नहीं है।

जिले की अन्य तहसीलों में कटाव से कोई ग्राम प्रभावित नहीं हुआ ।

*१०३—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[१४ वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*१०४-१०५—श्री कृष्णकांत—

[१४ वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*१०६-१०७—श्री केदारनाथ—

[१४ वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

*१०८—श्री कल्पनाथ सिंह—

[१४ वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*१०९—श्री बसन्तलाल शर्मा—

[१३ वें शुक्रवार के तारांकित प्र० सं० १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*११०—श्री अनन्त राम जायसवाल तथा श्री श्याम लाल—

[१३ वें बुधवार के अन्तर्गत प्रश्न सं० ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

तहसीलदारी के पद पर पदोन्नत किये हरिजन नायब तहसीलदार

*१११—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६६ में कितने नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया? उसमें कितने परिगणित जाति के हैं? क्या सुरक्षित स्थान की पूर्ति की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त पदोन्नति होने के बाद उन तहसीलदारों को पुनः पदोन्नति कर दिया गया है। यदि हां, तो क्यों।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वर्ष १९६६ में राजस्व परिषद् द्वारा १७ नायब तहसीलदारों को अस्थायी तौर पर स्थानापन्न तहसीलदार के पद पर पदोन्नति किया गया। उनमें से एक अधिकारी परिगणित जाति के थे। तहसीलदार पद पर पदोन्नति नियमानुसार पूर्णतया योग्यता के आधार पर होती है और अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं है। इन १७ पदोन्नति पाये तहसीलदारों में से ५ को बाद के वर्ष १९६६ में तहसीलदार पदों के लिये चयन के फलस्वरूप उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया गया।

*११२—श्री भगेलू सिंह तथा श्री अनन्तराम जायसवाल—

[१४ वें बुधवार के लिये स्थगित।]

तहसील नानपारा में रिकार्ड आपरेशन से संबंधित कागजात दुरुस्ती के मुकदमें

*११३—श्री शेष नारायण शुक्ल तथा श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच की तहसील नानपारा के परगना धर्मापुर में जो रिकार्ड आपरेशन का कार्य चल रहा है उसमें ए०आर० ओ० के यहां तत्संबंधी कितने मुकदमें शुरू से आज तक दायर हुये तथा उनमें से कितनों का फैसला हो चुका है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नानपारा तहसील में रिकार्ड आपरेशन से संबंधित कागजात दुरुस्ती के २२५३ मुकदमें ३१ मई, १९७० तक दायर हुये थे। ३१ मई, १९७० तक २१६२ मुकदमों का फैसला हो चुका है।

*११४—श्री जगदीश गांधी—

[१४ वें बुधवार के लिये स्थगित।]

*११५-११६—श्री मोतीलाल यादव—

[१४ वें बुधवार के लिये स्थगित।]

हाथरस तहसील में सरकारी नलकूप

*११७—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस, जिला अलीगढ़ में इस समय कितने सरकारी ट्यूब वेल तथा कितने प्राइवेट ट्यूब वेल लगे हैं तथा आगामी वित्तीय वर्ष में कितने सरकारी ट्यूब वेल लगाने की योजना है तथा कहां-कहां ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित तहसील में मार्च, १९७० तक ७० सरकारी नलकपों का निर्माण हो चुका था। इस वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में वहां ५ नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव है जिनके स्थानों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा अभी नहीं किया जा सका है।

अतारांकित प्रश्न

परगनाधीश सलेमपुर की अदालत से हुई एकतरफा डिक्रियों के संबंध में तजविसानिया

१—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत परगनाधीश सलेमपुर की अदालत से जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार ऐक्ट के अन्तर्गत गांव सभा की भूमि पर सन् १९६३ से लगायत १९६७ तक कितने मुकदमें कितनी-कितनी धनराशि के एक तरफा डिग्रियां हुई हैं। इन एकतरफा डिग्रियों को निरस्त कराने के लिये अब तक उक्त अदालत को कितनी तजबिसानियां गांव सभा या राज्य सरकार की तरफ से की गयी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

देवरिया जिलान्तर्गत परगनाधीश सलेमपुर की अदालत से जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार ऐक्ट के अन्तर्गत गांव सभा की भूमि पर सन् १९६३ लगायत १९६७ तक कुल ११ मुकदमों (१४.२६ एकड़ भूमि से संबंधित) में एकतरफा डिग्रियां हुई हैं। इनमें से केवल एक मुकदमा में गांव सभा की तरफ से तजविसानी की गई थी।

तहसील फूलपुर में राजकीय नलकूप

२—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में एक अप्रैल, १९६७ से ३१ मार्च, १९७० तक कुल कितने राजकीय नलकूप लगाये गये और किन-किन स्थानों में ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

१ अप्रैल, १९६७ से ३१ मार्च, १९७० तक इलाहाबाद जनपद की तहसील फूलपुर में कुल ३७ नलकूप लगाये गये। इन नलकूपों के स्थान, सन्लग्न सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे ६७६ पृष्ठ पर।)

जिला अलीगढ़ में सरकारी नलकूप

३—श्री प्रेम चन्द्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की अपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में सन् १९७०–७१ में कितने राजकीय नलकूप कहां-कहां लगाये जायेंगे ? सन् १९६९-७० में कितने ट्यूबवेल किन-किन स्थानों पर लगाये गये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्रश्न का पहला भाग

अलीगढ़ जिले में वर्ष १९७०–७१ में १० नये राजकीय नलकूप प्रस्तावित हैं जिनमें से ५ का निम्नलिखित स्थानों में निर्माण हो चुका है।

१—ग्राम मडराक कोल

२—ग्राम जारौठ कोल

३—ग्राम गिडौरा इगलास

४—ग्राम इकतोजपुर इगालास

५—ग्राम भौरा गौला इगलास

शेष ५ नलकूपों के स्थानों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा अभी अंतिम रूप से नहीं किया जा सका है।

प्रश्न का दूसरा भाग

वर्ष १९६९-७० में इस जिले में ३० नलकूपों का निर्माण हुआ। इनके स्थानों का विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६७७ पर)

कृषि इंजीनियरिंग विभाग के सिंचाई विभाग में स्थानान्तरित लिपिक

४—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि इंजीनियरिंग विभाग के १९५२ में भंग होने पर कुछ लिपिक कर्मचारियों को सन् १९५५ में उनकी पुरानी सेवाओं को ध्यान में रखते हुये सिंचाई विभाग में स्थानान्तरण किया गया? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कृषि इंजीनियरिंग विभाग के सन् १९५२ में भंग होने पर ८ लिपिक कर्मचारियों को सन् १९५५ में सिंचाई विभाग में स्थानान्तरित किया गया?

५—श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या यह सही है कि राजकीय आदेश संख्या २५५९/ए० एन० XXXI/III आई० ए०, दिनांक ३१ मई, १९६१ द्वारा उपर्युक्त कर्मचारी जब विभागीय परीक्षा से मुक्त कर दिये गये थे तो उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुये उनकी आर्थिक क्षति स्थाईकरण एवं पदोन्नति की सुरक्षार्थ क्या कार्यवाही की गयी और उनकी आर्थिक क्षति को कैसे पूरा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

उपरोक्त लिपिक कर्मचारियों में से ६ लिपिक राजाज्ञा सं० २५५९ ए० एन०/२३ आई० ए०, दिनांक ३१–५–६१ द्वारा लिपिकों की प्रतियोगिता परीक्षा से मुक्त हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार इन ६ में केवल तीन लिपिक विभाग में कार्य कर रहे है और वे तीनों स्थायी किये जा चुके हैं। इनको पदोन्नति नियमानुकूल मिलेगी। ऐसी अवस्था में आर्थिक क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

मेजा तहसील में भूमिहीन मजदूरों की भूमि

६—श्री विश्राम दास तथा श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के मेजा तहसील म भूमिहीन मजदूरों को कितनी बंजर और कृषि योग्य भूमि वितरित की गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक वितरित की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

५६६ एकड़ ।

शाहजहांपुर के ग्राम बिरहाना में सीलिंग से प्राप्त भूमि

७—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बिरहाना, पोस्ट अरेली, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में कितनी भूमि सीलिंग के द्वारा निकली है और अब उस पर किन-किन लोगों का कब्जा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ग्राम बिरहाना, पोस्ट बरेली, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में ४४.८२ एकड़ भूमि सीलिंग में निकली थी। यह क्षेत्रफल चकबन्दी प्रक्रियाओं में ४५.७६ एकड़ हो गया। यह क्षेत्रफल अब ३१ व्यक्तियों को अस्थायी पट्टों पर उठा हुआ है तथा इन्हीं अस्थायी पट्टेदारों के कब्जे में है। अस्थायी पट्टेदारों के नाम संलग्न सूची में दिये हैं।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ ६७८ पर)

खिर्सू विकास क्षेत्र में पेय जल योजना

८—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र खिर्सू जिला पौड़ी गढ़वाल में वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में कौन-कौन पेयजल योजनायें निर्माण हेतु स्वीकृत है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

खिर्सू विकास क्षेत्र जिला पौड़ी गढ़वाल की निम्नलिखित योजनायें जिन पर कार्य चल रहा है १९७०–७१ में भी कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत हैं।

१—गहड ग्राम समूह पेयजल योजना।

२—देवखाल भेलगढ़ दुर्गाकोट ग्राम समूह पेयजल योजना।

३—रतूड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना।

९—श्री शेरसिंह दानू—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास क्षेत्र खिर्सू के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में किन-किन जीर्ण-शीर्ण पेयजल योजनाओं की मरम्मत करने का विचार है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

इस क्षेत्र के ग्राम नवासू के लिये पेयजल की एक पुर्नगठन योजना बनान का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

१०-११--श्री धूम प्रसाद--

[१४ वें बुधवार के लिये स्थगित]

१२--श्री नरेन्द्र सिंह--

[१२ वें गुरूवार के ता० प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोलवाघाट पुल पर पथकर (टोल टैक्स) से वसूल धन

१३--श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बहराइच में बहराइच-कैसरगंज मार्ग पर गोलवाघाट पुल जो कि केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से बना, कब चालू किया गया ? ३१ मार्च, १९७० तक कुल कितना धन टोल टैक्स के रूप में वसूल किया गया तथा पुल के निर्माण में कुल कितनी लागत लगी ?

श्री धर्म सिंह--

प्रश्नगत पुल पर पथकर वसूली का कार्य जनवरी, १९५९ से प्रारम्भ किया गया। ३१ मार्च, १९७० तक कुल ४,५६,८८७.६५ रु० पथ कर के रूप में वसूल किया गया। पुल के निर्माण में कुल ४,६१,४६० रु० की लागत लगी। पुल भारत सरकार की ऋण सहायता से बना था।

परगनाधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना की अदालत में मेड़ शिकस्ती के मुकदमें

१४--श्री भाभी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत महम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र में एस० डी० एम० मुहम्मदाबाद गोहना की अदालत में चकबन्दी के बाद अप्रैल, १९६८ से अब तक कितने मकदमे मेड़ सिकस्ती के कायम हुये और कितने का निर्णय हुआ और कितने अब भी विचाराधीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

एस० डी० ओ० महम्मदाबाद गोहना, जिला आगमगढ़ की अदालत में चकबन्दी के बाद अप्रैल, १९६८ से ३१ मई, १९७० तक मेड़ शिकस्ती के कल ३०३ मुकदमे दायर हुये। इसमें २७० मुकदमें में निर्णय हो चका है, बाकी अदालत में विचाराधीन है।

जिला खीरी के ग्राम परसा में गांव समाज की भूमि

१५--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम परसा, परगना धौरहरा, तहसील निघासन जिला खीरी में कितनी गांव समाज की भूमि है ?

श्री चतर्भुज शर्मा--

८८० एकड़।

१६--श्री जगन्नाथ प्रसाद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस गांव समाज की भूमि में से कितनी भूमि पर नाजायज तौर पर कब्जा ह तथा इन लोगों को गांव समाज की भूमि से हटाये जाने के लिये क्या कार्यवही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

गांव सभा परसा की भूमि किसी भी व्यक्ति के अनधिकृत कब्जे में नहीं है, अतः बेदखली का कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

१७—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

[१० वें सोमवार के प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

किसानों को बांटी गई जोत बहियां

१८—श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि २६ जनवरी, १९७० से १६ फरवरी, १९७० तक की तथा १७ फरवरी, १९७० से १५ अप्रैल, १९७० तक की अवधि में अलग-अलग कितनी जोतबहियां जिला-वार किसानों में बांटी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना अभी सब जिलों से एकत्र नहीं हो पाई है । जिन १६ जिलों की सूचना उपलब्ध है उसे संलग्न तालिका में दिखा दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६७९ पर)

उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर व्यय

१९—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला उन्नाव के पुरवा से उन्नाव इलाहाबाद मार्ग को मिलाने वाली पक्की कराये जाने वाली सड़क के निर्माण हेतु वर्ष १९६८-६९ तथा १९६९-७० में कितनी-कितनी धनराशि स्वीकार की गई थी और उक्त स्वीकृत धनराशि में से कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्री धर्मसिंह—

प्रश्नगत सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्नलिखित है:—

वर्ष			आय-व्ययक में प्राविधान	व्यय
			रु०	रु०
१९६८-६९	..	..	५०,०००	५,०००
१९६९-७०	..	..	२,००,०००	२४,९२२

३० जून, १९७० को श्री अनन्तराम जायसवाल के निलम्बन के प्रस्ताव के विभाजन में गिर जाने तथा वर्तमान सरकार में विश्वास के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में आपत्तियां तथा व्यवस्था के प्रश्न

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं ।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, कल जो सदन में अभूतपूर्व घटनायें हुई उसका मुख्य कारण यह था कि कितने अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं । अगर आप कल की प्रोसीडिंग्स को देखेंगे तो मालूम होगा कि कितने सप्लीमेंटरी अध्यक्ष महोदय के द्वारा अलाऊ किये गये और उसके बाद माननीय जायसवाल जी ने जो प्रश्न पूछा उस पर कितने सप्लीमेंटरीज अलाऊ किये गये आपकी ओर से । इसलिये गड़बड़ी हुई । आप पहले इस बात पर व्यवस्था दें कि कितने सप्लीमेंटरीज क्वैश्चन हों । इसमें एक रूपता नहीं बरती जाती । इसके अलावा आज हम लोगों ने समाचार पत्रों में यह पढ़ा और पढ़ कर आश्चर्य हुआ, मैं समझता हूं कि माननीय सदन में तमाम सदस्यों को हुआ होगा कि इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कोई विश्वास का प्रस्ताव प्राप्त किया इस सदन से । कल मैं इस सदन में आखिर तक बैठा हुआ था और शोरगुल के बीच में अध्यक्ष महोदय ने सदन को स्थगित किया । कल जो हम लोगों के सामने प्रोसीडिंग्स थीं उसमें यह परिवर्तन क्या हुआ, किस तरह से इस तरह की बात हो गई, कैसे हो गया ? श्रीमन्, नियम है और आपकी यह रूलिंग है—

"सदन के पूर्व निश्चय में परिवर्तन सर्वसम्मति से ही किया जा सकता है ।"

"२१ सितम्बर, १९५५ को बैठक का समय बढ़ाने के लिये श्री जगन्नाथ मल्ल ने प्रस्ताव रक्खा जिससे विधेयक पूर्व निश्चित काल में यदि समाप्त न हो पावे तो उस समय को आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय । श्री अध्यक्ष ने कहा, समय की बात आप कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पहले तो सदन को इस पर राजी होना चाहिये कि वह इससे अधिक समय देगा । यानी अगर सर्वसम्मति हो तो सदन को पूर्ण अधिकार है लेकिन अगर किसी एक को भी आपत्ति होगी तो इस सदन का पूर्व निश्चय बदला नहीं जायेगा ।"

श्रीमन्, यह रूलिंग है आपकी । एक बार चर्चा हुई सदन में कि विश्वास का प्रस्ताव लायेंगे उस पर माननीय रियासत हुसैन ने भी कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता । तो कृपया इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, व्यवस्था का सवाल है । सदन की परम्परा रही है कि प्रश्नों के समय में ऐसे सवाल नहीं उठते हैं । क्या प्रश्नों के पहले यह नई परम्परा आप कायम करने जा रहे हैं ? कृपया व्यवस्था दें जिससे आगे के लिये पथ प्रदर्शन मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यसूची में १७ नम्बर पर एक संकल्प पंचायत मंत्रियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिये लाया गया है । यह आखिर में होने के कारण आता नहीं है । मैं चाहता हूं कि यह पंचायत मंत्रियों का मामला है । जनहित में इसको वरीयता दी जाय। इसको प्रारम्भ में नं० ९ पर ले लिया जाय । यह कई दफे टल चुका है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि पहले प्रश्न हो जायं और उसके बाद जो आपके आक्षेप और आपत्तियां हों, वे हों ।

श्री मंजूर अहमद---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आपके सवाल तो तब चलेंगे जब कि सरकार होगी । जब कोई सरकार नहीं है, सरकार गिर गई है तो कौन से तरीके से सरकार चलेगी मैं व्यवस्था चाहता हूं कि मौजूदा सरकार है ही नहीं तो सदन चलेगा नहीं जब तक चौधरी चरण सिंह जी अपना इस्तीफा न दें । जब तक दोबारा बहुमत का विश्वास प्राप्त न करें, यह सदन नहीं चल सकता ।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था का यह सवाल नहीं है, सदन तो चल रहा है । कल की घटना जो हुई उसके बारे में पीठासीन अधिकारी ने निर्णय किया । आपने अगर किसी अनियमितता की ओर ध्यान आकर्षित किया होता तो मैं सुन लेता । अब सवाल यह है कि पहले प्रश्न समाप्त हो जाते, उसके बाद आप अगर रोज की तरह कुछ पूछते तो उसका समाधान किया जाता । (व्यवधान) क्या सदन की यह इच्छा है कि प्रश्न पहले लिये जायं ?

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)---

मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं । मेरा आपसे यह निवेदन है कि कल इसी सदन के अन्दर जो कुछ हुआ उसमें कुछ फैसले ऐसे हो गये जो मेरी अपनी नजर में जरूर उचित नहीं थे । मान्यवर, इस सदन और पूरे प्रदेश की मान मर्यादा की रक्षा और हमारे हुकूक की रक्षा आपके द्वारा ही हो सकती है । कल पहले इस के ऊपर वोटिंग का नतीजा घोषित हुआ और उसके ऊपर शासक दल के लोगों के द्वारा कुछ आपत्ति उठायी गयी, लेकिन माननीय अध्यक्ष ने डिवीजन का रेजल्ट डिक्लेयर कर दिया । उसमें उलटफेर नहीं हो सकता । स्वयं उन्होंने उसको एक कमेटी के सिपुर्द कर दिया जांच पड़ताल के लिये । अब उसके बाद श्रीमन्, यहां मुख्य मंत्री जी की तरफ से कान्फीडेन्स सीक करने का प्रस्ताव आया और उसपर मैंने नियम १००के अन्तर्गत आपत्ति उठाई कि यह प्रस्ताव चूंकि उसी तरह का है जिस तरह का प्रस्ताव नो कान्फीडेन्स का होता है, इस लिये यह ६ माह तक नहीं आ सकता । मान्यवर, नियम १००में साफ लिखा है कि जिस संकल्प का सब्सटेंस एक हो वह ६ माह तक नहीं आ सकता । उस पर दोबार विचार नहीं हो सकता । चाहे कन्फीडेन्स सीक करने का प्रस्ताव हो अथवा नो कान्फीडेन्स का प्रस्ताव हो, सब्सटेंस दोनों का एक ही है । माननीय अध्यक्ष ने, जो कल उस समय कुर्सी पर विराजमान थे, उन्होंने कहा कि यह चीज नो कान्फीडेन्स के लिये नहीं होती है,यह कान्फीडेन्स का मोशन है, इस लिये यह नियम इस पर लागू नहीं होता । उस वक्त मान्यवर, वह निर्णय भी कुछ गम्भीरता से नहीं हुआ । हम यह महसूस करते हैं और सारा प्रदेश यह महसूस करता है कि चाहे अपोजीशन की तरफ से नो कान्फीडेन्स का मोशन आये, या शासक दल की ओर से कान्फीडेन्स सीक करने का मोशन आये, दोनों की मंशा एक ही है, सब्सटेंस एक ही है, लिहाजा वह ६ माह तक नहीं आ सकता । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं जिससे कि यह सदन संतुष्ट हो जाय और सदन की कार्यवाही भी ठीक ढंग से चले ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल इस पर माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दे दिया ।

श्री दीपनारायण मणि—

माननीय साथी ने एक आपत्ति तो विश्वास वाले मसले पर उठायी और दूसरी मत गणना के बारे में उठायी । मत गणना के बारे में हमारे सचेतक महोदय ने आपको लिख कर भी दिया है कि ७–८ आदमियों के नाम फर्जी हैं । (व्यवधान) दूसरा जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने विश्वास प्राप्त करने का संकल्प रखा, वह बिलकुल सही था (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

कौन सी व्यवस्था का प्रश्न आप उठा रहे हैं ?

श्री दीपनारायण मणि—

कल विरोधी दलों की तरफ से और नेता जनसंघ की तरफ से यह चैलेन्ज किया गया..

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, आसन ग्रहण करें । अभी उधर से यह बातें नहीं उठाई गईं, प्रश्नों के बारे में पूछा था । जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम व्यवस्था की बात कहें और दूसरी बात कहते हैं । प्रश्नों के बारे में जो सवाल किया गया, प्रश्नों के बारे में क्या त्रुटियां हैं । कैसे होना चाहिये वह दूसरी बात है । लेकिन आपने कोई सवाल व्यवस्था का नहीं उठाया, जिसमें कोई व्यवस्था देने की बात हो । यह प्रश्नों का समय है और प्रश्नों के समय जैसा होता है वैसा होना चाहिये । यह सामान्यतः अच्छा है ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं अनेक व्यवस्थायें आपके स्थान से हो चुकी है कि व्यवस्था का प्रश्न उस कार्य के सम्बन्ध में उठाया जायगा, जिसका संचालन सदन में हो रहा हो । किन्तु अभी यहां कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआ है फिर भी यह व्यवस्था के प्रश्न कैसे? आपने जिन्हें रद्द भी कर दिया है, फिर भी व्यवस्था के प्रश्न आते चले जा रहे हैं । तो आप व्यवस्था दें कि यह कार्य कहां तक ठीक है ? फिर भी इस संबंध में अध्यक्ष व्यवस्था दे चुके हैं और आपकी भी व्यवस्था हो चुकी है है । फिर भी आपकी अनुमति माननीय सदस्यों को मिलती चली जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था बनाये रखने के लिये मैं इसकी इजाजत देता हूं । यह मुझ में ताकत है, मैं उसी का इस्तेमाल करके जैसे भी होगा सदन को सुचारू और व्यवस्थित रुप से चलाऊंगा । आपने गलत समझा है । अगर कोई डिवीजन हुआ है एक दिन पहले और उसमें कोई गलती हुई है ।...

श्री महीलाल—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, तो कैसे व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं हुआ है तो क्या हुआ ? एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वोटिंग और डिवीजन में अनियमिततायें हुई हैं, तो मैं सरकार की तरफ से पूछना चाहता हूं कि क्या उसको आप उठाना नहीं चाहते हैं ?

श्री महीलाल—

किन्तु प्रश्नोत्तर काल के बाद । लेकिन अभी वह प्रारम्भ नहीं हुआ है और सदन के सामने कोई कार्य नहीं हुआ है । ऐसी अवस्था में व्यवस्था के लिये अनुमति देना आपकी व्यवस्था के अनुसार उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं व्यवस्था देता हूं कि यह प्रश्नों के उत्तर के पहले यह लिया जाय। इस सदन में व्यवस्था कायम करने वाला जो काम है वह सर्वोपरि है और सर्वोपरि होना चाहिये। मेरी दृष्टि में जिस ढंग से व्यवस्था के साथ यह सदन चलेगा, वैसे मैं इसे चलाऊंगा। कल एक माननीय सदस्य को इंगित किया गया, फिर उनके विरूद्ध अनुशासन की कार्यवाही की गई, फिर वोट लिया गया, फिर उसके बाद लाबी में जाकर मतदान किया गया—मत विभाजन की मांग पर। अब प्रश्न यह है, कल जो फैसला माननीय अध्यक्ष ने किया है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जो सारा कार्य है वह अप्रभावी है, इफ्रैक्चुवस है। न सजा है किसी को। कोई भी माननीय सदस्य उससे प्रभावित नहीं है और जैसा अभी आपने बताया है कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं। तो जो गलतियां डिवीजन के वक्त की हैं, कार्यवाही में सही छपनी चाहिए, कार्यवाही सही छपे और गलतियों का सुधार हो, यह प्रश्न कल से सदन के सम्मुख है। तो इसे अगर किसी माननीय सदस्य ने उठाया, प्रश्नों के बाद हो तो अच्छा है, और सरकारी पक्ष से भी १२–१४ आवेदन-पत्र आये हैं, तो मुझे सोचना पड़ता है कि उस नियम के अन्तर्गत, जैसा मेज में है—इरर्स का, गल्तियों का समाधान हो जाना चाहिए। जो आपने दरख्वास्तें दी हैं उन पर विचार होगा। जो माननीय सदस्य खड़े होकर कहेंगे कि हम इधर गये, वहां पर गये या हमारा वोट नहीं हुआ, हम नहीं थे, यह मौका मैं दूंगा। जैसे चिट्ठी लिख कर दिया है, या जैसे आपका कहना है, कि मैनिपुलेट कर लिया गया, हो सकता है उसे खड़े होकर कहेंगे कि हमने वोट नहीं किया लेकिन हमारा नाम है। कल जो माननीय अध्यक्ष ने फैसला किया, लेकिन सुधार जो कुछ किया जा सकता है वह आज किया जा सकता है और काम के पहले ही लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, इस समय प्रश्नोत्तर का समय है। प्रश्नों का उत्तर सरकार देती है। कल जो गतिविधि हुई है उसके अनुसार सरकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपके ही.....

श्री बसन्तलाल शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय चरणसिंह ने कल हल्ला-गुल्ला के बीच में कहा कि विश्वास सीक करते हैं। विश्वास सीक करना जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब हुआ कि सदन का उनमें विश्वास नहीं था उसके बाद विश्वास सीक किया। माननीय श्रीपति मिश्र ने रूलिंग दिखायी और उद्धरण दिया। उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय खुद भयभीत हो गये। भयभीत होने से मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है। जल्दबाजी में उन्होंने नियमों के विरुद्ध इजाजत दे दी विश्वास सीक करने की। सरकार है नहीं तो उत्तर देगी कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों बातें आप कहते हैं। प्रश्नोत्तर लिये जायं। दूसरी तरफ आप सवाल भी उठाते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है कि आप प्रश्न पहले ले लें। इतना अवश्य है कि जहां इस बात का निर्णय होगा कि किसने मत दिया या नहीं दिया वहां इस बात का निर्णय भी आवश्यक

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

है कि जो वोट आफ कांफीडेंस, जैसा कि समाचार-पत्रों में छपा है वह आया, हुआ या नहीं और सही प्रक्रिया थी या नहीं। इस बात पर भी आपकी व्यवस्था चाहूंगा। इसलिए दोनों विषयों पर हम लोगों को सुन लें। उसके बाद व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो माननीय नित्यानन्द जी ने प्रश्न उठाया, उसमे विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं कि प्रश्न लिये जायं और दूसरी तरफ उसके साथ दूसरा प्रश्न उठा देते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जो रियासत हुसैन साहब ने अभी कहा, दरअस्ल प्रश्न यह है कि क्वैश्चन आवर के पहले, यह व्यवस्था की बातें कैसे आयें। इस सदन में कुछ ऐसे काम लम्बित रह गये हैं, जो आज अखबारों में पढ़ने के बाद माननीय सदस्यों के दिमाग मे भ्रम का वातावरण पैदा कर दिये हैं, दिमाग को उद्वेलित करते हैं खास कर जो कल कोई विश्वास का प्रस्ताव आया। मैं निवेदन करूंगा कि आप नम्रतापूर्वक सुनेंगे। इसलिए प्रश्नों को हम नहीं चाहते कि सही माने में इस हाउस में सरकार कायदे कानून के अन्तर्गत, संविधान के अन्तर्गत नहीं है। कैसे नहीं है? कल महीलाल जी ने प्रस्ताव दिया अखबारों में पढ़ा। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं इसकी ग्राह्यता को को स्वीकार कर लेता हूं इसी स्टेज पर लेकिन यह एक सब्सटेंटिव मोशन है। जैसे नो कांफिडेंस मोशन का आता है अपोजीशन की तरफ से वैसे ही सरकार कांफिडेंस मोशन सीक करती है और दोनो का एक ही मतलब होता है। एक सरकार के चले जाने का और दूसरी सरकार के रहने का होता है। मेरा अपना मत है कि यह सरकार नहीं रह गयी है क्योंकि उसने यह सब्सटेंटिव मोशन को नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया, उस पर चर्चा नहीं हुई। कैरल का उदाहरण दिया गया केरल में अच्चुतमेनन की सरकार गिर गयी थी तो अच्युत मेनन ने उठकर स्पीकर से यह कहा कि मैं कांफिडेंस सीक करता हूं। स्पीकर ने पर्मीशन दी और डेट निर्धारित की, एक हफ्ते के बाद और जैसे नो कांफिडेंस में दो तीन दिन डिसकशन होता है वैसे ही दो दिन उस विश्वास के मोशन पर बहस हुई और तब वह अच्युत मेनन के पक्ष में वह विश्वास का प्रस्ताव पास हुआ। तो यहां वह प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ। परसों सही रूलिंग श्रीमन् ने दी थी कि केवल इस एजेंडे पर कोई आइटम छप जाने से यह नहीं मान लिया जायगा कि यह प्रस्ताव पेश है कि बल्कि उसके एजेंडे मे छपने के बाद उस प्रस्ताव को पेश किया जाता है यह कह कर कि राज्यपाल की सिफारिश से अमुक-अमुक अनुदान पेश किया जाता है।

मैं अध्यक्ष महोदय की रूलिंग को चुनौती नहीं देना चाहता हूं क्योंकि उनका ऊंचा दर्जा है लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जी इतनी जल्दी में इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को नहीं ले सकते थे क्योंकि सरकार गिर चुकी थी। सदन में अगर मुख्य मंत्री का बहुमत था और उनके विश्वास का प्रस्ताव एजेंडे पर आता, उस पर डिसकशन होता और उसके बाद वह पास होता तो हम उसके सामने नतमस्तक होते। लेकिन जब अवैधानिक ढंग से, संविधान की धाराओं का उल्लंघन करके जल्दबाजी में एक प्रस्ताव लिख कर दे दिया गया और मूवर आफ दी रिजोल्यूशन ने उसे सदन में पेश भी नहीं किया तब वह कैसे पास किया हुआ समझा जा सकता है? प्रस्ताव की ग्राह्यता के बाद अध्यक्ष महोदय को महीलाल जी का नाम पुकारना चाहिये था और महीलाल जी कांफिडेंस मोशन को सदन में पेश करते। आप कार्यवही उठाकर देख लें महीलाल जी ने अपने प्रस्ताव को सदन के सामने पेश नहीं किया और अध्यक्ष जी ने कह दिया जो पक्ष में हों हां कहें और जो विपक्ष में हों वह नहीं कहें और प्रस्ताव पास हो गया। इस देश के और प्रदेशों के संसदीय इतिहास में एक भी ऐसी नजीर नहीं मिलेगी जिसमें इंगित करने वाला प्रस्ताव गिरा हो और उसके बाद उस प्रकार से सब्सटेंटिव मोशन ले लिया गया हो और पास कर दिया गया हो। अध्यक्ष जी को इस कुर्सी पर बैठकर किसी एक प्रस्ताव को पढ़ कर वोट लेने के अधिकार नहीं हैं। यह अध्यक्ष जी की रूलिंग नहीं है, अध्यक्ष द्वारा प्रतिपादित कार्यक्रम है। प्रस्ताव को जिस ढंग से वह पेश कर रहे थे वह अवैधानिक है। अगर सदन में हल्ला होता

तब माननीय सदस्य उस प्रस्वाव को पढ़ लेते और अध्यक्ष कहते कि आप चर्चा नहीं करवाना चाहते तो मैं वोट लिये लेता हूं। लेकिन यहां तो माननीय महीलाल जी की ओर से कोई प्रस्ताव ही सदन में पेश नहीं किया गया, महीलाल जी की ओर से प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को दे दिया गया था। प्रस्ताव विधिवत् न पेश किया गया और न उसके पेश करने के कारण बतलाये गये।

जब मंत्रि-मंडल में विश्वास प्रकट करने की बात आई और क्या कारण है कि जिसके आधार पर यह सदन उनके मंत्रि-मंडल में विश्वास प्रकट करें, ऐसा कोई कारण उन्होंने नहीं बताया कि इन-इन कारणों से यह सदन विश्वास प्रकट करने की मांग करता है। प्रस्ताव के मूवर ने कोई विश्वास नहीं मांगा और न ही कोई कारण बताये कि इन-इन कारनामों से वह सदन में विश्वास चाहता है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनका कोई प्रस्ताव सदन में नहीं आया, प्रस्ताव पेश नहीं हुआ और न ही प्रस्तावक ने उसके लिये कोई कारण बताया जिन कारणों से उसकी आवश्यकता पड़ी और विश्वास प्रकट करने की अनुमति दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह नियमों के अन्तर्गत गठित सरकार नहीं है और इसीलिये इस सदन के सामने जितने भी प्रश्न गठित और कारनामें होंगे, वे अवैधानिक होंगे.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप अपनी बात कहें, कोई निर्णय न दें। संक्षेप में कहें।

श्री बंशीधर पांडेय---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि यह सरकार नियमों के अनुसार गठित नहीं रह गई है। इस सरकार को उसमें बैठने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, लाखों रुपया जनता का नष्ट हो गया और यह सरकार इसी प्रकार चलती चली गई। यह संविधान के विपरीत है। तो मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, माननीय सदस्य वाराणसी के इस कथन से मैं बिलकुल सहमत हूं जो उन्होंने यह कहा है कि कल इस विधान सभा में जो कुछ हुआ वह संसार में किसी भी सदन में नहीं हुआ होगा। ऐसा यहां पर पहली बार हुआ है। श्रीमन् अध्यक्ष पद से नियमके उल्लंघन के सिलसिले में जो इस सदन के अधिकार के अन्तर्गत आते हैं बीच आप आर्डर के प्रश्न हैं उसके सिलसिले में जो इस सदन के अधिकार के अन्तर्गत आते हैं जो बीच आप आर्डर के प्रश्न हैं उसके सिलसिले में सदस्य ने अपने स्वविवेक से अपने निर्णय और बुद्धिके अनुसार किसी माननीय सदस्य को गलत या सही इंगित किया हो और स्पीकर के निर्णय या इंगित करने के बाद इस सदन में जिस प्रकार की वोटिंग हुई, यह सही बात है और ऐसा पहली बार हुआ है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसन---

क्या माननीय मंत्री जी के भाषण को अध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव की भूमिका समझें ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कुछ नहीं समझता और जैसा होगा वैसा समझा जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, अगर सदन के नेता को अध्यक्ष पर विश्वास न होता तो कल जिस समय माननीय सदस्य बाराबंकी को इंगित किया गया था तो उसके बाद नेता सदन उस इंगित प्रक्रिया के समर्थन में निलंबन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते। सदन के नेता को स्पीकर के प्रति विश्वास है। नियमों में लिखा है कि अगर स्पीकर किसी सदस्य को इंगित करता है तो नेता सदन अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य सदस्य "तत्काल" इस आशय का प्रस्ताव करेंगे.....तो जब नेता सदन उपस्थित हैं तो उनके लिये अनिवार्य हो जाता है चाहे वह चरण सिंह जी हों अथवा चाहे सी० बी० गुप्ता हों और चाहे कोई भी हो, कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित किया जाय और ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन या विवाद के स्थगन प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर नेता सदन के किसी प्रस्ताव को सदन ठुकरा दे तो उसका परिणाम क्या होगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य बाराबंकी से यह कहूंगा कि मैं और वे बैठे हैं। मैं उनके आमंत्रण को स्वीकार करता हूं सदन के बाहर भी और सदन के अन्दर भी, और यह देखें कि जब उन्होंने नेता सदन की हैसियत से कोई कार्य किया न कि अपनी सरकार की हैसियत से, तो वे सारे सदन के नेता हो गये और उन्होंने सारे सदन की भावनाओं का प्रतिपादन किया, न कि सरकार का।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

निष्कर्ष यह निकला कि जब नेता सदन के प्रस्ताव को सदन ने अस्वीकार कर दिया तो उसमें सदन का विश्वास नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय आप उनको बोलने दीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जब कोई प्रस्ताव वह नेता सदन की हैसियत से रखते हैं तो विरोधी दलों के नेता भी उसमें शामिल हो जाते हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

जब नेता सदन के प्रस्ताव को ही सदन ने ठोकर मार-मार दी तो मंत्रियों की क्या हैसियत रह गयी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस सदन में सदन के अध्यक्ष के नाते अगर कोई निर्णय होता है तो हमको उसका आदर करना चाहिये और उस निर्णय के अनुरूप इस सदन को चलना चाहिये। अब अध्यक्ष पद से किसी सदस्य को इंगित किया जाय तो नेता सदन का अथवा उनकी अनुपस्थिति में और किसी सदस्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह संबंधित सदस्य के निलम्बन का प्रस्ताव रखे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि अगर व्यवस्था के नाम पर पीठासीन अधिकारी या सदन के नेता किसी प्राविधान का दुरुपयोग करें, जैसी कि स्थिति कल व्यवस्था के नाम पर पैदा हुई, और सदन उसको उचित न समझे और प्रस्ताव गिर जाय, तब क्या नतीजा

होगा। माननीय तिवारी जी की उस परिभाषा से मैं सहमत हूं जिसमें उन्होंने कहा कि वे पूरे सदन के नेता है। लेकिन अगर यह सदन पूरे सदन के नेता के प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो क्या इसका यह मतलब नहीं है कि सदन को नेता सदन में विश्वास नहीं रह गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं माननीय सदस्य बाराबंकी का आभारी हूं। (व्यवधान) मैं आपका ध्यान मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस.....

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मान्यवर, अभी आपने निर्णय दिया कि निलंबित करने संबंधी कार्यवाही इनफलक्चुअस है क्योंकि इस संबंध में शिकायत हुई है कि कल की जो वोटिंग हुई वह गलत हुई है क्योंकि प्रेस गेलरी के अन्दर से लोग कूदकर आ गये। अगर वह कार्यवाही इनफ्लक्चुअस है तो उसके बाद जो प्रश्न माननीय विरोधीदल के सदस्यों ने उठाया है और जिसके ऊपर संसदीय मंत्री अपना उत्तर दे रहे हैं, मान्यवर, यह अनुचित है। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पहले यह तय हो जाय और उसके बाद अगर आप उचित समझें कि यह उचित नहीं है, तब इस प्रकार का कोई प्रश्न उठ सकता है, उसके पहले नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

इसी संबंध, में सब अपने-अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दृष्टि से सतर्कता के साथ अपने तर्कों को बिलकुल चार खूंटों के अन्दर सीमित रखते हुए, प्रकट करना चाहिये। इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं।

श्री रियासत हुसैन---

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा जी ने जो बात कही उसके संबंध में मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ ४०९ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसाकि आपने कहा कि कुछ पिटीशन हुई हैं जिनके आधार पर निलम्बन कीप्कार्यवाही इनपलेंक्चुअस हो गयी। इस सिलसिले में मेरा कहना है आप मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिसके पृष्ठ ४०९ को देखने का कष्ट करें यहां पिटीशन्स के बारे में बिलकुल साफ लिखा हुआ है उसमें साफ दियाहै "इट विल नाट बी इन्टरटेन्ड आफटर दि डिक्लेरेशन आफ दि नम्बर फ्राम दि चेयर"। जब चेयर से नम्बर डिक्लेयर हो गये तो फिर कोई भी आब्जेक्श किसी भी शख्स का उस सिलसिले में इंटरटेन किया ही नहीं जा सकता। यह सब पहले आना चाहिये था रेजल्ट और नम्बर के डिक्लेरेशन से। लेकिन जब माननीय अध्यक्ष ने रेजल्ट और नम्बर डिक्लेयर कर दिया तो यह जो आपने कहा कि आब्जेक्शन्स आये हैं तो यह तो उन्होंने कल ही निर्णय दे दिया कि एक कमेटी उस पर विचार करती रहेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

इस के बाद तो आप मुझे आज्ञा देंगे। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का जो हवाला अभी माननीय सदस्य मुरादाबाद ने दिया वह चैप्टर है "इरेंगुलरिटीज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग ए डिवीजन"। मैं दूसरे चैप्टर का हवाला दे रहा हूं---"रेजल्ट्स डिस्कवर्ड आफटर डिवीजन"। यह पृष्ठ ४३२ में है १६ वें एडीशन के---

"After a mistake is discovered it will be ordered to be corrected in the Journal."

इसमें १५ उदाहरण हैं १८४७ से ले कर १९३८-३९ तक। अगर डिवीजन के बाद कोई गलतियां मालूम हुई हैं तो उनको दुरुस्त किया गया। और मैं आपका ध्यान दिलाना

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

चाहता हूं दो अंतिम रूलिंग की ओर जहां पर प्रोसीडिंग्स नल ऐंड वायड डिक्लेयर की गयीं रेजल्ट के बाद। यह मेरे पास है हाउस आफ कामन्स जर्नल, १९३८-३९, पेज ९५-९६। इसमें यह हुआ कि पहले दिन वोटिंग हुई। अनएम्प्लायमेंट के बारे में एक प्रस्ताव था। उसमें एक अमेंडमेंट था--

"An amendment was proposed to be made to the question by leaving out from the word "That" to the word "was" and inserting the words : "In the opinion of this House, subject to the maintenance of the voluntary principle and the observance of trade union rates and conditions."

तो संशोधन को यह कह दिया कि यह पास हो गया। दूसरे दिन जब यह मालूम हुआ वोटिंग गलत थी और नम्बर गलत थे तब यह हुआ ----

Mr. Hamilton Kerr and Mr. Leslie on the question "That the words proposed be left out stand part of the question" came to the Table and stated that they had erroneously reported the number of the Noes as 90 instead of 89, which wss the correct number. Whereupon Mr. Speaker directed the Clerk to correct the number in the Journal accordingly.

Ordered, that the proceedings relative to the motion relating to unemployment subsequent to the division on the question, "that the words proposed to be left out stand part of the question." be null and void.

जो प्रोसीडिंग्स हुई वह नल ऐंड वायड करार दे दी गयीं। इसक अलावा यह भी आपके सामने शिकायत दोनों पक्षों से आयी है कि कुछ सदस्य लाबीज से कूद पड़े.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या आप इस क्वेश्चन को ओपेन किये हुए हैं कि कल जो मतदान हुआ था वह सही हुआ था या गलत हुआ था? क्योंकि अध्यक्ष जी फाइनल निर्णय कर गये थे कि वह प्रस्ताव समाप्त हो गया। तो आज जो नया प्रस्ताव है वोट आफ कान्फिडेन्स के प्रस्ताव के बारे में, उस पर माननीय तिवारीजी बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। एक चीज जो समाप्त हो चुकी है मेरी समझ में उसको तो नहीं ओपेन करना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

तिवारीजी, नेता सदन पर जो बौछार है उसको चेयर की तरफ मोड़ना चाहत ह।

श्री उपाध्यक्ष--

एक ऐसी जो अवस्था है उसका निराकरण होना चाहिये या नहीं। किसी किताब की नजीर के सहारे से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि गलती जब कभी भी, जहां कहीं भी प्रोसीडिंग्स के बारे में हो उसको शुद्ध करना चाहिये ताकि हमारा जर्नल ठीक हो इसलिये मैंने पहले इस सवाल को मंजूर किया। नजीर आपको देने की जरूरत नहीं है। हम पुरानी नजीरों से ही नहीं चलेंगे।

इसलिये सत्य के बारे में जब कभी कोई गलती हो गई हो तो उस प्रश्न को हमें उठाने देना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, इससे हम यह समझें कि विश्वास वाला प्रस्ताव जो कल पास हो गया था वह अभी ओपेन है?

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष के फैसले के बारे में मैं कुछ नहीं कहता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह जो मतदान की गणना हुई है उसपर भी अध्यक्ष का फैसला है कि प्रस्ताव गिर गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

यदि कोई बात असत्य मालूम होती है तो जब कभी हो, और जितनी जल्दी हो उसको अवसर दिया जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि अवसर दिया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या वोट आफ कानफिडेंस वाले विषय पर भी आप चर्चा के लिये समय देंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था.....

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा । आपने अभी कहा कि अगर कोई गलती बाद में मालूम होती है तो उसको दुरुस्त करना हमारा और सब का काम होता है । श्रीमन्, मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं कि अध्यक्ष जी चेयर छोड़ कर चले गये .....

(व्यवधान)

अगर अध्यक्ष जी कोई निर्णय देने के बाद चेयर छोड़ कर चले जायें और बाद को कोई यह कहे कि गलती हो गई यह तो बिल्कुल उसी तरह से हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने या सरकार ने अपना स्तीफा गवर्नर को दे दिया है तो दूसरे दिन उसी सवाल को दोबारा उठा कर क्या उसी सरकार को बैठने का अधिकार होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

११, १२ मई का जर्नल डिवीजन के बारे में है.....

उन्होंने कहा है कि गलती से उन्होंने कहा ।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

श्रीमन्, कल की जो प्रोसीडिंग्स छापी गई हैं, उसको देख लें अध्यक्ष नें अपनी रूलिंग दी है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष का निर्णय और असत्यता का प्रश्न ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं.....

श्री विश्वनाथ कपूर---

आप कृपा कर सुन तो लें फिर जो निर्णय लेना चाहें वह लें ।

"श्री अध्यक्ष ने आज सदन का कार्य रुकने पर दुख प्रकट करते हुये कहा कि माननीय सदस्यों को यदि विभाजन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की शिकायत थी तो उसे विभाजन का

श्री विश्वनाथ कपूर]

फल घोषित किये जाने के पूर्व ही अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाता और फिर से वोटिंग की मांग की जाती तो उस पर फिर से वोटिंग कराने पर विचार हो सकता था। किन्तु विभाजन के फल की घोषणा हो चुकने तथा सदन के दरवाजे खुल जाने के बाद उस पर विचार का अवसर नहीं रह जाता। केवल यह हो सकता है कि जो शिकायतें हों उनकी जांच हो। अतः जो शिकायतें आयेंगी उनको वे जांच करने के लिये विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर देना चाहते हैं। श्री अध्यक्ष ने कहा कि अब आगे कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।"

तो श्रीमन्, जब यह निर्णय हो गया, तो क्या श्रीमन्, आप उनके निर्णय को बदल सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर कोई व्यवस्था नहीं देता क्योंकि इस पर व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस के पेज ४३१ पर यह स्पष्ट लिखा है कि अगर किवाड़े बन्द कर दिए जाने के बाद कोई सदस्य लाबी में दूसरी प्रकार से सदन में आ गये हों तो उनका मतदान नहीं जोड़ा जाता—

"When complaint was made that certain unnamed Members had interefered with the door-keeper on duty of the Aye lobby, the Assistant Serjent at Arms reported thatone or two Members hadgot through the door after the direction 'lock the doors' had been given; the Speaker thereupon ruled that the question must again be put. Similar action was taken by the Deputy Speaker on April 21, 1952; But when a similar copmlaitn was made regarding a particular Member, the division was not vitiated, the Member's vote being disallowed."

यानी मेम्बर का भी वोट डिसएलाऊ कर दिया गया। कल श्रीमन्, ५/६ वोट ऐसे हुए.....

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, मैं केवल एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें बुद्धि का सदुपयोग अधिक होना चाहिये और हृदय पक्ष को दबावे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं केवल इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक प्रश्न पहले उठा तो उस पर आपकी व्यवस्था पहले होनी चाहिये और दूसरा प्रश्न जो माननीय तिवारी जी ने उठाया है उसके ऊपर व्यवस्था होगी। माननीय रियासत हुसैन, माननीय शास्त्री जी और माननीय पांडेय जी की ओर से पहले प्रश्न उठा और इस पर हम लोग १०, १५ आदमी बोलने वाले हैं। हम लोग यह कहना चाहते हैं कि वोट आफ कानफिडेन्स हुआ नहीं। इसके बारे में हमसे सुन लें और उनका उत्तर आ जाय और फिर व्यवस्था दे दें और फिर नया चैप्टर जो माननीय नारायण दत्त जी का है उसको बाद में लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

उससे बहुत सी जो चीजे पहले ले रहे हैं वह स्वयं हल हो जायंगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इसीलिए मैं कह रहा था कि मान लीजिए आपने व्यवस्था दे दी कि यह सरकार ड्यूली कांस्टीट्यूटेड नहीं है या वोट आफ कानफिडेंस पास नहीं हुआ तो वह दूसरी बात जो माननीय तिवारी जी उठा रहे हैं वह रह नहीं जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आप कल्पना कर रहे हैं कि मैं क्या व्यवस्था दूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

हमें श्रीमन्, आपकी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा रखना चाहिए ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, इस बात पर जितने बोलने वाले हैं उनको सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले तो व्यवस्था यह है कि कार्यवाही ठीक हो इसको लिया जाय । इतना तो मैं आश्वस्त हूं कार्यवाही के संबंध में ..... (व्यवधान) .....कि वह ठीक होगी । १८ को हुआ और ३१ को शुद्ध किया गया और ७ वाली १२ को करेक्ट की गई.....

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

यह संविधान की किस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही होगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप बतावेंगे कोई ऐसा है, मैं नहीं कोट करूंगा ।

श्री कपलनाथ सिंह--

श्रीमन्, आप तो उल्टी बात कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आपका संविधान चुप है तो कार्यवाही कैसे होगी ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

प्रक्रिया नियमावली के अनुसार.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि सब संक्षेप में कहना चाहिये, यह तो सब ठीक ही है ।

(व्यवधान)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जो कि दो भागों में बंटा है--पहली बात यह कि हमारे माननीय नेता सदन ने एक प्रस्ताव मूव किया और वह प्रस्ताव डिफीट हो गया। उस प्रस्ताव के गिरने और न गिरने के बारे में अध्यक्ष ने निर्णय दे दिया और दूसरी उस निर्णय को सभी ने माना--३ दलों का इसमें सम्बन्ध है इधर के लोग, उधर के लोग और अध्यक्ष। लेकिन इस निर्णय के विरुद्ध उस पर आपत्ति की गई। अध्यक्ष ने नियम २९८ में कहा कि अब हमारा निर्णय नहीं बदल सकता। जब वह निर्णय दे रहे थे अगर किसी को कुछ कहना था तो उससे पहले कहना चाहिये था तब वह उस पर विचार कर सकते थे। वह चेप्टर क्लोज हो गया और बाद में यह उन्होंने तय किया कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय। इतनी कार्यवाही सदन में हो जाने के बाद इस चेप्टर को फिर खोलना उचित नहीं है। सदन में इन्डाइरेक्टली एक अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया और उस पर सदन का विश्वास प्राप्त करने के लिये विश्वास का प्रस्ताव लाया गया। विश्वास का प्रस्ताव जो सदन के सामने रखा गया वह नियमानुकूल नहीं था। मेरे कहने का मतलब यह है कि और कोई विषय विचारणीय हो सकता है तो यह विषय विचारणीय हो सकता है कि विश्वास प्राप्त करने के लिये जो प्रस्ताव लाया गया क्या वह नियम के अन्तर्गत था और उस पर क्या निर्णय हुआ क्योंकि कल के शोर-शराबे में कुछ सुना नहीं जा सका।

दूसरी बात मान्यवर यह कि हमारे माननीय तिवारी जी ने रूलिंग पढ़ दी। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि तिवारीजी की रूलिंग किस हालत में पढ़ी जाती है। एक तो ब्रिटिश कान्स्टीट्यूशन.....

(श्री जगन प्रसाद रावत के खड़े होने पर)

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

सदन में जितने दल के नेता हैं, उनसे मैं बात करूंगा और मैं एक घंटे के लिये एक बजे तक सदन स्थगित करता हूं।

(इस समय ११ बजकर ५५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १ बजे मार्शल द्वारा श्री उपाध्यक्ष ने घोषणा करवाई कि सदन २ बजकर १५ मिनट तक स्थगित रहेगा। २ बजकर १५ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभा पतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कृष्णानन्द राय--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रीमन्, यहां पर कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि आप सदन को स्थगित करके चले गये। माधव प्रसाद जी त्रिपाठी एक बहुत ही शिष्ट भाषा में बोल रहे थे और मुख्य मंत्री के एक मिनिस्टर साहब जो बुजुर्ग आदमी हैं वह पता नहीं क्या कहने लगे। त्रिपाठी जी उस समय बोल रहे थे जो बहुत ही सज्जन और शिष्ट भाषा में अपनी बात कह रहे थे लेकिन आप सदन से उठकर चले गये कि १ बजे यहां पर बैठें। फिर उसके बाद आपने कहला दिया कि २-३० बजे बैठेंगे। तो यह इस तरह से १ घंटे के लिये स्थगित करना और उसके बाद फिर सदन को स्थगित करना २। बजे तक के लिये कहां का न्याय है। हम लोग यहां पर बैठे रहे और आप इस तरीके से यहां से उठकर चले जायं तो यह कोई तरीका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर सदन का काम चलने में अड़चन होती है तो ऐसा करना पड़ता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

एक फर्जी प्रस्ताव यहां पर पारित करा दिया गया उस समय कोई अड़चन नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष--

उसी समय आपको कहना चाहिये था।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

किससे कहते। बताया गया कि एक तरफ तो अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया। हमारे शिक्षा मंत्री जी उस पर बोले थे। उन्होंने कहा कि वह जो प्रस्ताव था वह गिर गया और वह अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव है। एक मर्तबा नहीं उन्होंने दो मर्तबा इस बात को कहा था लेकिन अध्यक्ष साहब यहां पर जमे रहे। तब आपकी दृष्टि में यहां पर व्यवधान नहीं था जब अध्यक्ष साहब ने उस प्रस्ताव को पारित घोषित किया था? यहां पर जब छोटी-मोटी अव्यवस्था होती हैं तो आप सदन से उठकर चले जाते हैं लेकिन जब व्यवधान ही व्यवधान हों तो अध्यक्ष साहब सरकार को बचाने में कुछ किताबें लाया हूं जिनमें को कुछ भी करती रहे। चौधरी साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया था अध्यक्ष के खिलाफ वह हैं। उसको जानकर आप खयाल करेंगे कि क्या वह बहुत ज्यादा समय लोगों की भाषा है? उतनी सभ्य भाषा का प्रयोग मैं तो नहीं कर सकता हूं। कृपा करके यदि यह सब करना है और आपको बैठे रहना है तो यहां से हम सब इस्तीफा दें दे। आप यहां पर कल नहीं थे। माननीय अध्यक्ष थे जिनके लिये सरकार की ओर से कहा गया कि यह अविश्वास का प्रस्ताव उनके ऊपर पारित हो गया लेकिन अध्यक्ष जी यहां पर जम कर बैठे रहे सरकार की सहायता करने के लिये वह प्रस्ताव जिसका प्रस्तावक नहीं, प्रस्तावक को बोलने का अवसर नहीं उस प्रस्ताव के लिये यह कह दिया गया कि यह प्रस्ताव पास हो गया और उसको तथाकथित पारित करके सदन से भाग जांय तब व्यवधान नहीं था और आज उस व्यवधान की बात की जाती है कि व्यवधान पैदा हो गया। तो सदन स्थगित कर दिया। जबकि जनसंघ के नेता बहुत सभ्य भाषा में बोल रहे थे। कृपा करके एक काम करें अध्यक्ष जी को बुलायें मुझे एतराज नहीं है लेकिन इन विधान की पुस्तकों और इस नियमावली की पुस्तक इन सब को एक जगह रखकर आग लगवा दें और इस सदन को समाप्त कर दिया जाय। माननीय चौधरी साहब चरण सिंह से कहा जाय कि अगर वे बहुत नाखुश हैं तो एक पुलिस स्क्वैड को बुलाकर हम सबको गोली मरवा दें।

(व्यवधान) (शोर)

यदि यह बात सही है कि अध्यक्ष साहब के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया है तो अध्यक्ष साहब को स्वयं कोई अधिकार नहीं था कि वह गलत तरीके से इस अध्यक्ष के आसन पर बैठे रहते।

(व्यवधान)

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)--

मेरा उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उपनेता विरोधी दल ने जो प्वाइंट उठाया है वह प्वाइंट आफ आर्डर है या नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो कहा कि सदन क्यों स्थगित किया गया, मैं उनका ध्यान.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

माननीय नारायण दत्त जी को मालूम होना चाहिये श्रीमन्, कि मैं आपकी आज्ञा से बोला था, मैंने कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जानते होंगे कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संस्तुति की गई थी कि पीठासीन अधिकारी, जब सदन में व्यवस्था ठीक से किसी चीज पर न चल रही हो तो वह सदन स्थगित कर सकते हैं और उसके बाद सब दलों के नेताओं को आमंत्रित कर सकते हैं....

श्री कृष्णनन्द राय—

कोई भी नेता आप के यहां गया ? आप के प्रति इतना ज्यादा अपमान है कि कोई भी आपके यहां झांकने तक नहीं गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई नहीं आता है तो सवाल यह है कि जब कोई एक बजे तक नहीं आया तो मैंने समझा कि शायद सब लोग भोजन करने गये होंगे और मैंने यह समझ कर सदन को और आगे सवा २ बजे तक के लिये स्थगित कर दिया।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आपके प्रति श्रीमन्, कोई अवमान की भावना नहीं है....

(व्यवधान)

श्री कृष्णनन्द राय—

यह मिनिस्टर होकर [***] किये और हमको आप धमकाते हैं....

(व्यवधान)

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी को बोलने के लिये पुकारे जाने पर)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय बंशीधर पांडेय ने.....

(व्यवधान)

[***] श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

कुछ सुनाई नहीं पड़ता है आप क्या कह रहे हैं, मैंने अभी श्री माधव प्रसाद जी को बोलने के लिये बुलाया है।

पंचायती राज मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)---

मैं उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं.....

(घोर व्यवधान)

श्री इंद्र जीत (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर यहां पर कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप तो भाषण दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

श्रीमन्, आप कृपया उधर देखें। उधर से ४ सदस्य खड़े हुये हैं।

(व्यवधान)

श्री जगन प्रसाद रावत---

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी को बोलने के लिए कहा है लेकिन अगर माननीय रावत जी कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो वे उठावें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं आपके आदेश सुन नहीं पा रहा हूं। पिछली बार जब मैं बोल रहा था....

श्री उपाध्यक्ष---

अब माननीय सदस्य कृपया रुक जायं। मैंने यों तो माननीय त्रिपाठी जी को बोलने को कहा है लेकिन माननीय रावत जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। जब व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है, चाहे इधर से चाहे उधर से, तो सबको बोलने का हक है ही। व्यवस्था का प्रश्न पहले आता है। आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

श्रीमन्, आपने जो निर्णय दिया कि व्यवस्था का प्रश्न चाहे इधर से उठे या उधर से उठे, आप इजाजत देंगे। इसके पहले कि माननीय रावत जी व्यवस्था का प्रश्न उठाते इधर से माननीय सदस्य ने भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। आप भी, श्रीमन्, फर्क करते हैं। जब मंत्रिगण बोलते हैं तो आप तुरन्त उनको इजाजत दे देते हैं लेकिन जब इधर से माननीय सदस्य कोई व्यवस्था प्रश्न उठाते हैं तो आप इजाजत नहीं देते। पहले माननीय इन्द्रजीत जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मैं चाहूंगा कि आप पहले माननीय त्रिपाठी जी को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा कर के बैठ जायं। माननीय सदस्य, जिनके बारे में मेरा निर्णय है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है मेरे पास आये थे। उनका कहना था कि वे व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहते हैं बल्कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं। मैं उनके आशय को समझ गया था कि वे किस चीज को उठाना चाहते हैं। मैं एक दृष्टि के अतिरिक्त और किसी दृष्टि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मैंने माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी को बोलने के लिये बुलाया था लेकिन माननीय रावत जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो निर्णय दिया कि वे व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री धर्मवीर--

लेकिन, श्रीमन्, जब तक माधव प्रसाद त्रिपाठी अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर दें इनको व्यवस्था का प्रश्न न उठाने देना चाहिए। उनके बोलने के उपरान्त ही वे व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह हो सकता है कि माधव प्रसाद जी त्रिपाठी से सम्बन्धित न हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जो आपके आदेश होंगे, उनके ही अनुसार कार्यवाही होगी लेकिन पहले जब माननीय तिवारी जी बोल रहे थे तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया।

(अत्यधिक शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाते तो ठीक था लेकिन आप तो भाषण दे रहे थे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं व्यवस्था के ही प्रश्न पर बोल रहा था लेकिन मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता था कि आप भाषण दे रहे थे और हो सकता है कि आप पिछले भाषण को जारी रखना चाहते हों। तो आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, उठाइये।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, ऐसा है कि मैं जो कह रहा था उसी के सम्बन्ध में पुनः आपके सामने कहना चाहता हूं। प्रश्न वहां यह था कि कल जैसा कि एक अन्तिम निर्णय हो गया, फिर उसे खोला जाय या नहीं। मैं अपनी दलीलें दे रहा था कि तिवारी जी ने उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि वह चीज खोली नहीं जा सकती। क्यों नहीं खोली जा सकती? इसकी दलील में मैं तर्क दे रहा था और उस तर्क पर मैं सारे विचारों को तीन भागों में बाटूंगा। तीन तरह के नियम होते हैं, एक तो लिखित होता है, जो ज्यादा बुद्धि के भरोसे होता है, एक अनुभव के आधार पर होता है, और एक प्रिसिडेंट के आधार पर होता है। तब यह देखा जाता है कि कहीं और इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार की कोई नजीर है कि नहीं। इसलिये मैं कह रहा था कि यह जरूरी नहीं है कि हर चीज कहीं लिखी रखी हो। तर्क और बुद्धि के आधार पर भी काम होता है। पहली बात यह है कि व्यवस्था का प्रश्न सुनने के पहले कल की घटना का आप को स्मरण करना चाहिये कि यह प्रश्न कैसे उठा। कल नेता सदन ने एक प्रस्ताव रखा और वह यह प्रस्ताव रखा कि अमुक व्यक्ति को सस्पेंड किया जाय। वह प्रस्ताव गिर गया। अब आप इस पर विचार करें कि जब वह प्रस्ताव गिर गया तो इसका माने यह हुआ कि सारे सदन ने नेता सदन में अविश्वास व्यक्त किया यानी वह उनमें विश्वास नहीं रखता। जब सारे सदन ने नेता सदन में अविश्वास किया तो उन्होंने देखा कि अब स्थिति संदिग्ध है तो उन्होंने अपने में विश्वास का प्रस्ताव रखने की मांग की। इस तरह से उनके तर्क के आधार पर ही यह साबित हो गया कि वे समझ गये कि उनमें सदन का विश्वास नहीं है और वह प्रस्ताव गिर गया। बाद में यह कहना कि कुछ लोग इधर से कूदे या कुछ लोग उधर से कूदे, मैं समझता हूं कि यह चीज मुनासिब नहीं थी। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं कहा कि नियम २९८ के अनुसार एक मर्तबा जो निर्णय हो गया वह अन्तिम है, फाइनल है, उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अगर निर्णय देने के पहले ही इस तरह की कोई बात उठायी गयी होती तो उस पर विचार हो सकता था। इसलिये उस क्वेश्चन को मैं वहीं क्लोज करता हूं। दूसरा अपसूट जो उससे निकला उसके लिये माननीय अध्यक्ष ने यह निर्णय लिया कि उसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जायेगा। इस तरह से वह चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। इस सम्बन्ध में मैं कह रहा था कि किसी भी मामले के तीन पक्ष होते हैं। एक विरोधी पक्ष होता है, एक सरकारी पक्ष होता है और एक निर्णायक होता है जो कि आप हैं। तो सरकारी पक्ष में अविश्वास व्यक्त किया गया, यह स्पष्ट है वर्ना विश्वास का प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अविश्वास प्रस्ताव आने के सम्बन्ध में जो दलीलें दी गयीं उन दलीलों को आपने एक्सेप्ट किया और उस पर अपना निर्णय भी दिया। इसको आप स्टोपल कहें या चाहे जिस नाम से पुकारें, लेकिन जहां तक औचित्य का प्रश्न है, कानून के अन्तर्गत इस चीज को दोबारा नहीं खोल सकते हैं। दूसरी जगह की नजीरें तभी दी जाती हैं जब अपने यहां कोई नजीर न हो। यहां पर प्रस्ताव रखते हुये ऐसे देश की नजीर हमारे सामने रखी गयी जहां का कांस्टीट्यूशन अनरिटिन है, जहां कन्वेन्शन और प्रथा के आधार पर ही काम होता है। हमारे यहां चाहे हाईकोर्ट की नजीर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की नजीर हो, हर जगह लिखी हुई है। जब कोई निर्णय साफ न हो, स्पष्ट न हो, उसका इंटरप्रिटेशन न कर सकें तब दूसरी जगह की नजीरों की जरूरत होती है। लेकिन हमारे नियम २९८ के अनुसार आपका अन्तिम निर्णय था और उसको आप एक्सपेक्ट करते हैं डाइरेक्टली या इन डाइरेक्टली।

एक प्रश्न है जिस पर आप विचार कर सकते हैं। पहले प्रश्न के बारे में सब विधियां सम्पूर्ण हो गईं। दूसरा अंग आया कि क्या सरकार में विश्वास है। हम मानते हैं कि हमारे यहां माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया कि वे वोट आफ कान्फीडेन्स सीक करना चाहते हैं, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आपने एक प्रस्ताव रक्खा सदन के सामने। उस प्रस्ताव को लाने के लिये विधि थी। वह प्रस्ताव आप को पहले लेना चाहिये था, उसकी अनुमति पहले लेनी चाहिये थी। जिस प्रश्न का निर्णय होना था वह प्रश्न यदि डिवीजन से लिया गया तो किस तर्क की कसौटी पर आप यह कहते हैं और निर्णय देते हैं जब कि हमने सुना भी नहीं कि यस कहा या नो कहा। इसके बारे में हम विचार कर सकते कि इसके लिये एक प्रस्ताव है कि हम इसको कानून के अनुसार लाये हैं। न हमने आप की अनुज्ञा मानी। न जाने झट से क्या हो गया। प्रस्ताव पहुंच गया और आपने कह दिया कि यह हो गया। यह जो सारी विधि अपनाई गई यह नियम विरुद्ध है। जैसा मैंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता। अगर आप इस तर्क पर खरे हों तो इस सदन का स्टेचर ऊपर उठेगा, इस कुर्सी का स्टेचर ऊपर उठेगा। इस कथन के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकर ताज्जुब हुआ कि माननीय त्रिपाठी जी और आचार्य जी जैसे कानून के विद्वान विधान की कैसी इतनी बुद्धिहीन पूर्ण व्याख्या (pervers interpretation) उपस्थित कर सकते हैं। मैं इस बात की चुनौती देता हूं कि आप को....

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। अगर रावत साहब को हिन्दी न आती हो तो मैं ग्रामर सिखा दूंगा।

श्री जगन प्रसाद रावत—

मैं पढ़ लूंगा आपसे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुझे इसकी चिढ़ नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही शब्द का प्रयोग किया है। परन्तु मैं बड़ी अहतियात करता हूं शब्दों के प्रयोग में।

श्री जगन प्रसाद रावत—

मैं कहना चाहता हूं कि संसार में जहां भी पार्लियामेन्टरी पद्धति का काम है वहां कोई ऐसा दृष्टान्त बता दें जहां अध्यक्ष के इंगित करने के प्रस्ताव को लेकर गवर्नमेन्ट में अविश्वास का प्रस्ताव माना गया हो। अध्यक्ष जब सदन में व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है और इंगित करता है तो वह प्रश्न सारे सदन का होता है वह प्रश्न एक दल का नहीं होता और केवल वही सदस्य इंगित के प्रस्ताव का विरोध करते हैं जो सदन में व्यवस्था नहीं चाहते जो स्पीकर में विश्वास नहीं करते। जो स्पीकर में विश्वास करते हैं वे स्पीकर के आदेश के अनुसार इंगित के प्रश्न को लेकर उसके पक्ष में वोट करते हैं। इस तरह का प्रश्न उठाना, व्यवस्था के लिये आदेश दें, उसका अनिवार्य पालन नेता सदन के लिये है। उनके आदेश को वे मानकर प्रस्ताव पेश करें। उसका विरोध किया जाय, और उसको गवर्नमेन्ट पर लगाया जाय और यही विधान का अर्थ लगाया जाता है तो इससे ज्यादा गलत अर्थ नहीं लगाया जा सकता।

*श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल से जो विवाद चल रहा है इससे ३ प्रश्न उपस्थित हुये हैं। पहला प्रश्न तो यह कि कल जो अध्यक्ष महोदय ने एक निर्णय लिया, क्या उसको फिर से रीओपिन किया जा सकता है? दूसरा प्रश्न यह है कि अगर वह प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो क्या उसे सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव समझा जा सकता है और यदि समझा जा सकता है तो क्या सरकार को तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये? मान्यवर, तीसरा प्रश्न यह कि जो विश्वास का प्रस्ताव यहां कल पेश किया गया, क्या उस को यहां पर तत्काल पेश किया जा सकता था या नहीं और उस पर मतदान लिया जा सकता था अथवा नहीं? इन तीनों प्रश्नों पर मैं हाउस आफ कामन्स तथा अपने यहां की विधान सभा की रूलिंग को, जो समय समय पर हुई हैं, आपके समक्ष रखूंगा। मान्यवर, इसी सदन में माननीय उपाध्यक्ष ने यह रूलिंग दी है कि यदि मतदान में गलती हुई तो उसको दूसरे दिन और कई दिनों के बाद भी री-ओपिन किया जा सकता है और उसको करेक्ट किया जा सकता है। आप कृपया अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन के पृष्ठ ३१६ निर्णय संख्या २४० को देखें—इसमें लिखा है—"विभाजन के समय, पक्ष-विपक्ष दोनों में, मत देना अनुचित है और इस प्रकार के मतों की गणना नहीं होगी।" २० अगस्त, १९६२ को श्री उपाध्यक्ष ने सदन को निम्न सूचना दी—"एक सूचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देनी है। वह एक दुखद घटना-सी है। श्री पंचम जो हरदोई क्षेत्र से निर्वाचित यहां के सदस्य हैं उन्होंने उस दिन अविश्वास के प्रस्ताव पर जब विभाजन हो रहा था तो दो तरफ की लाबीज में जा कर दस्तखत किये हैं। यह बात अनुचित है, होनी नहीं चाहिये। इसलिये दोनों तरफ से एक एक वोट कम कर दिये जायेंगे।" यह मान्यवर, इस सदन में आपका फैसला है। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्णय के बाद यह प्रश्न उठाया जा सकता है और उठाया जाता है। और मान्यवर, इसी सदन में उठाया गया है और उस पर आपने निर्णय दिया है। इसलिये कल जो मतदान हुआ उसमें निर्णय से पूर्व यह मालूम नहीं हो सकता था कि किन किन माननीय सदस्यों ने दोनों तरफ वोट दिये हैं। निर्णय के बाद ही यह सम्भव हो सकता है और जब मालूम हुआ तो उसी समय माननीय महीलाल जी ने यह सूचना आप को दी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह प्रश्न उठाया जा सकता है,यह यहां की परम्परा है और रूलिंग भी है।

दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है कि कल जो मतदान हुआ, क्या वह सरकार के खिलाफ मतदान है अथवा नहीं? मान्यवर, यह मतदान न तो सरकार के खिलाफ मतदान है और न ही स्पीकर के खिलाफ मतदान है। मान्यवर, जब स्पीकर महोदय के नोटिस में यह आ गया कि मतदान में कुछ माननीय सदस्यों ने दोनों तरफ मतदान किया है, जाली वोट दिये हैं, जाली दस्तखत बनाये हैं तभी उन्होंने यह फैसला लिया कि इसकी जांच होगी। तो मान्यवर, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता, न तो वह स्पीकर के खिलाफ अविश्वास है, न मुख्य मंत्री के खिलाफ। मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि अगर यह पास भी हो जाता और यह विशेष वोटिंग न हुई होती तो भी यह आवश्यक नहीं था कि उस वोट के हो जाने पर माननीय मुख्य मंत्री इस्तीफा दे देते। मान्यवर, इसकी भी परम्पराएं हैं, इसके भी हाउस आफ कामंस और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अपने कन्वेंशन्स हैं, और उन को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आप के सामने ब्रिटिश केबिनेट सिस्टम' के पेज २१५ से उद्धृत करना चाहता हूं:—

> "It rests, therefore, with the Government to decide what issues it shall treat as vital, and as demanding that it must resign or dissolve if it is denied support thereon."

इसमें यह कहा गया है कि यह सरकार के उपर ही निर्भर है कि वह किन प्रश्नों को कितना महत्व-पूर्ण समझे कि उन प्रश्नों के ऊपर सदन द्वारा सरकार के विपरीत वोट देने पर वह अपना इस्तीफा दे दे या सदन को भंग करने की बात गवर्नर से या ब्रिटिश पार्लियामेंट का जहां तक ताल्लुक है किंग से कहे। तो यह बात निर्विवाद है कि यह अपोजीशन का काम नहीं है यह बताना कि किस मतदान के विपरीत हो जाने पर मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। यह मुख्य मन्त्री का काम है फैसला लेना कि कि जो मतदान हुआ है वह नीतियों से, सिद्धान्तों से सम्बद्ध है? वह ऐसा विषय है जिससे सरकार का अस्तित्व खतरे में है, तभी वह इस्तीफा दे सकते हैं अन्यथा नहीं। यह रेस्ट करता है मुख्य मंत्री पर। १९२४ में रेमजे मैकडोनल्ड गवर्नमेन्ट से स्टेनली बाल्डवेन ने कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए एक संशोधन के पास हो जाने के बाद, किन्तु इस पर उसने कहा हम इस्तीफा उसी समय दे सकते हैं जब कि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ पेश हो और वह पास हो जाय। तो उस संशोधन के पास हो जाने के बाद भी सर रैमजे मैकडोनल्ड की सरकार ने १९२४ में इस्तीफा नहीं दिया। इतना ही नहीं श्रीमन्, लेबरपार्टी की गवर्नमेंट वहां पर हाउस आफ कामन्स में एक हफ्ते में तीन बार पराजित हुई, फिर भी उसने इस्तीफा नहीं दिया।

(व्यवधान)

अभी हमारे दोस्त ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री चन्द्रभानु गुप्त का उदाहरण दिया कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गवर्नर एड्रेस पर उसके न पास होने पर अपनी सरकार का इस्तीफा दे दिया।

हम उन को बधाई देते हैं, लेकिन यह एक परिपाटी अथवा परम्परा नहीं बन सकती। इसी तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री श्री गुरुनाम सिंह ने गवर्नर एड्रेस के सदन द्वारा न पास होने पर इस्तीफा नहीं दिया। ब्रिटेन में....

(व्यवधान)

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उनको सुन लीजिये।

श्री कृष्णचन्द्र—

मैं यह कह रहा था कि अगर गवर्नर के ऐड्रेस पर संशोधन पास हो जाय तो कोई हार्ड ऐंड फास्ट रूल नहीं है कि उस गवर्नमेन्ट को इस्तीफा देना ही चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट्स हुई हैं जिनके प्रस्ताव पर संशोधन पास हो गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। यह कोई आवश्यक नहीं है कि गवर्नर के ऐड्रेस पर संशोधन पास होने के बाद मुख्य मन्त्री इस्तीफा देने के लिये बाध्य हो।

तीसरा विषय रह जाता है कि क्या विश्वास या अविश्वास का प्रस्ताव उसी समय पेश किया जा सकता है और उस पर विवाद या मतदान तुरन्त हो सकता है। यह भी सदन में तय हो गया। इस सदन की कार्यवाही उल्लिखित है। विश्वास या अविश्वास का प्रस्ताव उसी दिन आ सकता है, तत्काल आ सकता है। मान्यवर, मैं इस सदन की कार्यवाही को उद्धृत करता हूं। "२९ जुलाई, १९६४ को....

(व्यवधान)

विरोधी दल ने तत्काल सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया और उन्होंने यह प्रार्थना की कि उस पर तत्काल बहस हो जाय। तो मान्यवर, स्पीकर ने यह कहा कि सवालों का घन्टा तो होगा लेकिन इसके तुरन्त बाद अविश्वास का प्रस्ताव विचार के लिए रख दिया गया। जैसे ही अनुज्ञा मिली अविश्वास के प्रस्ताव की, उसके तुरन्त बाद ही विवाद इस सदन में प्रारम्भ हो गया। २९ जुलाई, १९६४ की कार्यवाही यदि आप देखें।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी, यह सारा प्रश्न मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर चला था। (सरकारी बेंचों की ओर से थमथपाहट) यह आप के चिल्लाने से मैं बैठने वाला नहीं हूं। सब को खड़ा कर दिया है लाइन में।

(शोर)

मेरा व्यवस्था का विषय है। यह प्रश्न मैंने उठाया था। आप कार्यवाही उठा कर देख लें। यह सरकार नहीं है। मान्यवर, मुझे बहुत दुख है।

(शोर)

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

इनको बन्द कराइये। बेकार बोल रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

इन बातों से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री त्रिवेणी—

आपको बैठना पड़ेगा।

(व्यवधान)

आप सरकार हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस तरह आप गेंदा बाबू की लाश पर मंत्री नहीं बन सकते। तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर पूर्व में जाओगे तो काले झंडे मिलेंगे [× × × ×]।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ही विषय पर आपने चर्चा करवाई थी आज कि यह सरकार विधिवत् गठित नहीं है। लेकिन चर्चा का विषय इस तक सीमित न हो कर दूसरी ओर मुड़ गया। नारायणदत्त जी ने एक पुस्तक खोज निकाली। अंग्रेजों की नकल करते हैं। अच्छा हो यहां से इंडियन लड़के भी बना कर निकाले जांय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अध्यक्ष का कर्तव्य नहीं है कि वह कहे कौन सरकार विधिवत् गठित है, कौन सरकार विधिवत् गठित नहीं है। कौन सरकार अल्पमत में है और कौन सरकार अल्पमत में नहीं है? राज्यपाल, सदन तथा कोर्ट ये तीन ही इसे तय कर सकते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र—

मैं निवेदन यह कर रहा था.....

कल्पनाथ सिंह—

आपने यह कहा कि सदन का बहुमत अथवा अल्पमत तीन एजेंसियों पर निर्भर करता है और आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है.....

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं माननीय पांडेय जी से पहले खड़ा हुआ था। आपने उनको सम्बोधन कर दिया हो तो मैं बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले कल्पनाथ सिंह जी को बोल लेने दीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपने यह सवाल पैदा किया कि तीन एजेंसियों से इसका ताल्लुक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सरकार इस सदन में हार जाय उस सरकार के हारने की सूचना आपने महामहिम राज्यपाल को पहुंचा दी है या नहीं?

(व्यवधान)

[× × × ×] श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

आप सुन लीजिये मेरी बात। सरकार अगर हार जाय तो यह तो होता नहीं है सबसे पहले कि असेम्बली की मीटिंग बुला कर बहुमत और अल्पमत का फैसला पहले हो जाय तब राज्यपाल सरकार बुलायें। यह उनकी ज्वायस है। वह अगर अल्पमत की सरकार यहां पर बैठ जाय और पुनः वह मेजारिटी कर सके तो राज्यपाल महोदय को कोई एतराज नहीं होगा।

(घोर व्यवधान)

अब कलेजे पर हाथ रख कर सुनिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग शांत रहें। व्यवस्था के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आप को टोकूंगा और बाहर निकाल दूंगा। वे जो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। मैं आपका शुक्र-गुजार हूं कि जिस प्रकार उच्छृंखलता का व्यवहार नेता सदन की पार्टी कर रही हैं उसे रोकने के लिये मैं आपको बधाई देता हूं। श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जैसे यहां पर श्री बंशीधर पांडे जी ने उपस्थित किया कि इस प्रश्न पर महामहिम राज्यपाल के पास इस बात की सूचना जानी चाहिए कि महामहिम राज्यपाल की यह सरकार इस सदन में दो वोटों से हार गई और वह आगे इसको सदन में रहने का कोई औचित्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार (जिला बदायूं)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष---

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा, मैं कह चुका हूं। आप बैठें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उनको बता दीजिये कि मैं इस प्रकार आप की हुल्लड़बाजी से डरने वाला नहीं हूं। तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि अभी माननीय सदस्य जो तर्क दे रहे थे कि कोई इस्तीफा नहीं होगा.....तो यह अलग बात है मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप व्यवस्था का प्रश्न उठायें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, मैं एक प्वाइंट कह चुका। व्यवस्था के प्रश्न के लिये यह भी आवश्यक है कि मैं आप को पूरी बात उदाहरण के सहित समझा दूं वर्ना अगर व्यवस्था में गलती हो जायगी तो यह आज का केवल सवाल नहीं है, जब तक यह सदन रहेगा और जब तक इस देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली रहेगी तब तक मेरा प्वाइंट आफ आर्डर रहेगा। इसलिये मुझे सोच-समझ कर कहने दीजिये और अपना निर्णय देने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि आप राज्यपाल महोदय को यह सूचित कर दें कि उनकी सरकार इस सदन में हार गई और फिर राज्यपाल महोदय आपको दुबारा इस बात के लिये संकेत करें और वहां से यह लिखकर आये कि सदन को बुलाया जाय और तब सरकार को विश्वास प्राप्त करने की इजाजत दी जाय और इसके बाद आप इस सदन को आहूत करें लेकिन जब तक यह सदन उस अविश्वास के प्रस्ताव को निरस्त नहीं कर देता, तो चूंकि यह सरकार हार चुकी है, एक सब्स्टेंटिव मोशन पर उस की हार हो चुकी है, इसकी सूचना आप को राज्यपाल महोदय को देनी चाहिये और जब तक आप के पास राज्यपाल महोदय के दूसरे आदेश न आ जायं तब तक आप इस सदन को स्थगित कर दें और माननीय सदस्य के भाषण को बन्द करादें।

श्री कृष्णचन्द्र—

माननीय कल्पनाथसिंह जी पढ़े लिखे आदमी हो कर पढ़ी लिखी बातों में विश्वास नहीं करते, यह ताज्जुब की बात है।

श्री चेतराम गंगवार—

मुझे आप ने व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने की इजाजत दी थी.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो लोग नियमों को मानते हैं, उनकी बड़ी मुसीबत है, आप कुछ उन लोगों की मदद करें।

श्री उपाध्यक्ष—

वही मैं कर रहा हूं।

श्री चेतराम गंगवार—

उपाध्यक्ष जी, कल १२ बजे से यह कार्यवाही हो रही है और माननीय सदस्य नैनीताल, मथुरा और गाजीपुर तथा दूसरे और सदस्य जो अपने को बड़े पालियामेंटेरियन कहते हैं, विद्वान कहते हैं, वे इस प्रदेश की, जनता की गाढ़ी कमाई को नष्ट कर रहे हैं। मान्यवर, यह बड़े खेद की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन का अवमान है, आप कृपा करके आसन ग्रहण करें।

श्री कृष्णचन्द्र—

मैं माननीय कल्पनाथ जी को बता देना चाहता हूं कि मैंने अभी तक विवरण नहीं दिया, अब विवरण दिये देता हूं। १८५३ में इंगलैंड में ३ बार सरकार पराजित हुई, संशोधनों के पास हो जाने के कारण लेकिन लार्ड रोजबरी ने इस्तीफा नहीं दिया। १८९४ में भी पराजित हुई लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। इसी प्रकार से रोजे मेकडोनाल्ड की सरकार भी पराजित हुई लेकिन उसने इस्तीफा नहीं दिया। इसलिये यह चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का स्वयं का अधिकार है कि किस बात पर और किस समय वह इस्तीफा दे।

[श्री कृष्ण चन्द्र]

जहां तक विश्वास के प्रस्ताव का प्रश्न है, यह इसी सदन में हो चुका है। २४ जुलाई, १९६४ को, जब कि तात्कालिक गवर्नमेन्ट के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ था। माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा---श्रीमन मेरी एक बात सुन लीजिये। मैं चाहता हूं और यह सारे सदन की राय है और हमारीराय है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा हुआ है प्रथम उसको ले लिया जाय। सवाल हम लोगों के ही हैं। हम तकलीफ बरदाश्त कर लेंगे। इस विषय परसब लोग, इधर के और उधर के बैठने वाले बोलना चाहते हैं। इस पर अध्यक्ष जी ने कहा कि---प्रश्न केवल अपोजीशन का होता, तब तो ऐसा कह सकते थे लेकिन उनमें बहुत से प्रश्न और पार्टियों के भी हैं। अतः मैं आवश्यक समझता हूं कि जनहित में प्रश्नों का रहना आवश्यक है। यही एक तरीका है जिसके द्वारा सरकार को हमरोजमर्रा की बातों पर खटखटा सकते हैं। जब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो जायगा उस के तुरन्त बाद इसको ले लिया जायगा। जैसे ही प्रश्न काल समाप्त हुआ कि उस की अनुज्ञा ली गयी। यद्यपि उस को १५ दिन के भीतर आना चाहिये था लेकिन जब अविश्वास का प्रस्ताव आ गया और यह सरकार ने स्वीकार कर लिया तो इसको तुरन्त होना चाहिये। इस प्रकार अनुज्ञा के बाद यह प्रश्न तुरन्त ही ले लिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि कल भी विरोधी-दल की तरफ से . . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी---

आपकी सारी बहस इस बात पर सीमित है कि दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया था, कि यह सर्वसम्मति से तय हो गया था कि यह अविश्वास का प्रस्ताव ले लिया जाय। परन्तु यहां पर वह स्थिति नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र---

मैं यह कहना चाहता हूं कि अविश्वास या विश्वास का प्रस्ताव किसी समय भी इस सदन में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उठाया जा सकता है और इस सदन में उठाया गया है।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

एक स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री कृष्णचन्द्र से) आप समाप्त कर चुके?

श्री कृष्णचन्द्र---

दो मिनट और लेना चाहता हूं। मान्यवर, आज विरोधी दल यह मांग करता है कि चरण सिंह सरकार को पद त्याग कर देना चाहिये इसलिये कि कल कोई प्रस्ताव गिर गया। मैं निवेदन कर चुका हूं कि केवल उस प्रस्ताव के आधार पर विरोधी दल यह मांग नहीं कर सकता। जब तक इस सदन में चरण सिंह के मंत्रीमंडल को विश्वास प्राप्त है, चरण सिंह मंत्रिमण्डल कायम रहेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर बजट के अवसर पर रोज अनुदानों पर मतदान हुआ है और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जबकि विरोधी दल ने डिवीजन की मांग की हो और वह वायस वोट से पास हुआ है मय एप्रोप्रिएशन बिल के। इसलिये एक स्नेप वोट पर, एक अनावश्यक प्रश्न पर अगर वह पास हो जाता है तब यह मांग करना अनुचित है कि चरण सिंह मंत्रि मंडल इस्तीफा दे। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कल की जो कार्यवाही हुई है वह सही हुई है और आप ने जो प्रश्न उठाया है वह सही उठाया है।

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं बोल रहा था । उन्होंने मेरे बीच में व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो बोल रहे थे ।

(व्यवधान)

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, दूसरा प्रश्न जो सदन के समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं वह मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ४३३ में है ।

"Members who voted in both lobbies in the same division have been allowed on the following day to state as a matter of personal explanation in which lobby they intended to vote and the numbers of the division have been directed to be corrected accordingly."

तो कल के विभाजन में इन पांच सदस्यों ने, श्री दुलारेलाल, एम० एल० ए०, श्री चन्द्र प्रताप नारायन सिंह एम० एल० ए०, चौधरी चरण सिंह, एम० एल० ए०, श्री चिरंजी लाल एम० एल० ए० और श्री धनुषधारी पांडेय, एम० एल० ए०, दोनों लाबियों में वोट दिया है और इन पांच सदस्यों ने लिख कर दिया है और इस सदन में भी पूछा जा सकता है कि चूंकि लाबियों में दिया है इसलिये आप का कौन सा मत सही है । . . . . .

(व्यवधान)

यह उचित है कि पार्लियामेंटरी पद्धति के आधार पर भी यह करेक्शन किया जाय ।

श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

बहस तो इस बात पर निर्भर करती है कि कल जो विश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ वह वैध था या अवैध । और माननीय तिवारी जी ने जो कानून के बड़े पंडित हैं, मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूं, उनको मालूम होना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था हो जाने के बाद यह प्रिविलेज कमेटी में सारा मैटर गया । कितने लोग अवैध रूप से उधर से आये, कितनों ने गलत दस्तखत किये, इस पर बहस हो चुकी है । इस समय तो आप जो प्रस्तुत प्रस्ताव है उसी तक अपने को सीमित रखें ताकि अधिक से अधिक मेम्बरों को सुनने का मौका मिले और जो अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया, वह सही हो या गलत, इस पर निर्भर रखें तो अच्छा है । इधर उधर की बात करने से कोई नतीजा नहीं है । अगर पुराने मसले उठायेंगे तो समय नष्ट होगा, बजाय इसके तिवारी जी प्रिविलेज कमेटी में स्वयं जाकर अपने सबूत पेश कर दें और वहां जो कुछ फैसला होगा वह माना जायगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

कल अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय लिया और घोषित कर दिया कि विश्वास का प्रस्ताव पास हो गया है और उस को पास किया । फिर उस निर्णय के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही हो सकती है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य दादरी ने जो प्रश्न उठाया है मैं उसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है . . . .

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

अगर इस प्रकार प्रश्न पर प्रश्न और उत्तर करने लगेंगे और सदन में इस तरह से विवाद चला तो कोई . . . . . ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

तो मेरा निवेदन यह है कि कल जो मतदान हुआ वह पार्लियामेंटरी प्रक्रिया के अनुसार नल एंड वायड है और जब तक प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अन्तिम मतदान नहीं माना जा सकता। श्रीमन्, जहां तक सवाल है यह विश्वास और अविश्वास के प्रस्ताव का, हमारे विरोधी दल के साथी, सम्मानित उपनेता विरोधी दल, एक तरफ तो यह कहते हैं कि अध्यक्ष ने जो कुछ किया वह फाइनल है और दूसरी तरफ . . . . . ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जब तक प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होगा मैं नहीं बैठूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जब अध्यक्ष महोदय, ने सारा मसला प्रिविलिज कमेटी को दे दिया तो क्या उन्होंने कोई स्टे आर्डर ग्रांट कर दिया है कि जब तक प्रिविलेज कमेटी का निर्णय नहीं आयेगा तब तक मेरा जो निर्णय है वह रुका रहेगा? ऐसा नहीं कहा उन्होंने। इसलिये निर्णय तो हो चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैं यह कह रहा था कि जो ५ वोटों को लेकर मतदान पर प्रभाव पड़ा तो वह मेम्बर यहां मौजूद हैं। जहां तक विश्वास और अविश्वास का सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी अपनी प्रतिष्ठा को संपन्न रखने वाली सरकार का क्या दायित्व था? एक तरफ तो ऐसे प्रश्न को जो सरकार में विश्वास का प्रश्न नहीं था उसके आधार पर अविश्वास का प्रश्न कहा गया और मांग की गयी कि यह सरकार इस्तीफा दे, यह जानते हुए कि यह सरकार पर अविश्वास का प्रश्न नहीं है बल्कि यह ब्रीच आफ आर्डर का प्रश्न है। फिर भी बार बार कहा गया कि सरकार इस्तीफा दे। तो किसी सम्मान संपन्न सरकार के लिए जो उचित था वही माननीय मुख्य मन्त्री ने तुरन्त किया और उन्होंने अपनी सरकार में तुरन्त विश्वास प्राप्त करने के लिये यह विश्वास के प्रस्ताव की मांग की। वास्तव में यह क्लोजर की मांग थी श्रीमन्। इसीलिए विश्वास का प्रस्ताव माना गया।

अब एक तरफ तो कहा जाता है कि अध्यक्ष का फैसला बिलकुल लेख हो गया, फौलाद की लकीर हो गया और वह फाइनल है और दूसरी तरफ सम्मानित सदस्य जनसंघ कहते हैं कि उन्हीं अध्यक्ष ने कल जब विश्वास का प्रस्ताव रखा और वाइस वोट से वह पास हो गया तो वह गलत है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार परस्पर विरोधी तर्कों से सदन का कार्य चलने वाला है?

मैं बड़े अदब के साथ नेता विरोधी दल और दूसरे दलों के नेताओं से कहूंगा कि वह ऐसा तर्क प्रस्तुत करें जिससे कोई सरकार हो सिद्धान्त पर कायम रह सके। तो मेरा निवेदन है कि जो आज का एजेण्डा है उस पर चलें और जो कल मतदान हुआ है उसको तब तक पूरा न माना जाय जब तक कि प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट न आ जाय।

श्री दीपनारायण मणि---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विशेषाधिकार का मसला है वही उस कमेटी में जायेगा या हर मसला विशेषाधिकार के लिये भेजा जा सकता है। माननीय सदस्यों ने कूद कर आकर शिरकत की, लेकिन, जो काउंटिंग का मसला है, अगर वह गलत है तो अध्यक्ष को अधिकार है कि उसको तुरन्त सही करायें ....

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मैं हजार बार खड़ा होता हूं, लेकिन आप मुझे बोलने का समय नहीं देते हैं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी सदन के सम्मुख कुछ पेश कर सकूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलता है कि कुछ कह सकूं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इस पूरे सदन का और उसके सम्मानित सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि कल उन्होंने मेरे निलम्बन को बचा लिया। दो चीजें हैं एक तो यह कि जो विपक्ष के बैठने वाले साथी हैं मैं केवल उन्हीं का कृपा पात्र नहीं हूं बल्कि जो मुख्य मंत्री जी के पीछे बैठने वाले हैं उनका भी कृपापात्र हूं। दूसरे जो कल का निर्णय हुआ इस सदन का उसने एक काम यह भी किया है कि जो मुख्य मंत्री जी का दम्भ है उसको आंशिक रूप से माना है। जो शर्मा जी ने कहा, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि बहुत ही अच्छे ढंग से सफाई के साथ उन प्रश्नों को पकड़ा, तीन प्रश्न सदन के सामने रखे, लेकिन उसके साथ-साथ मैं इस सम्मानित सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन का कार्य नियम के अनुसार चलेगा, कायदा कानून के अनुसार चलेगा या इसके कार्य चलने में नियमों का कोई पालन नहीं किया जायेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात से आप इत्तिफाक करेंगे कि सदन की कार्यवाही कायदा कानून के हिसाब से चलनी चाहिये और अगर ऐसा आप करेंगे कि सदन में कार्यवाही कायदा कानून तोड़ कर चलायेंगे तो उसका बुरा असर प्रदेश पर पड़ेगा और जो आपकी एक्जिक्यूटिव है उस पर पड़ेगा। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो आपकी ब्योरोक्रेसी है, नौकरशाही है, अगर आप कायदा कानून तोड़ने लगें तो वह भी कायदा कानून का पालन नहीं करेंगे। यह दूसरी बात है कि बड़े लोगों पर असर न बड़े लेकिन जहां तक प्रदेश के आम आदमी का सवाल है मान्यवर, आज भी कायदे कानून का पालन नहीं हो रहा है और जब इस कानून के मन्दिर में ही कानून टूटने लगेगा तो फिर कहीं कानून कायदे नहीं रह जायेंगे। जिन लोगों ने यहां पर हाउस आफ कामन्स के कोटेशन्स दिए मैं उनसे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग अपने पुरखों की नजीरें दिया करें तो क्या बुराई है। अंग्रेजों के वंशज बनने के बजाय अगर अपने पुरखों की तरफ निगाह डाले तो बहुत से उदाहरण मिलेंगे। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का केस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रेल की दुर्घटना पर उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारे मुख्य मन्त्री इस दुर्घटना को मामूली घटना कहते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, अपने पुरखों से इतनी दूर हो गये हैं कि आदरपूर्वक उनके उदाहरण भी नहीं सुन सकते और उसमें भी मखौल उड़ाते हैं। मान्यवर, तो मैं यह कह रहा था कि यही नहीं इस सदन का भी उदाहरण है। माननीय चन्द्र भानु गुप्त के ऊपर यह लागू नहीं था कि राज्य-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

पाल के धन्यवाद का प्रस्ताव गिर जाय तो इस्तीफा दे दें लेकिन उन्होंने यहां पर अपना इस्तीफा देकर एक बहुत बड़ा उदाहरण उपस्थित किया है। माननीय शर्मा जी गुरनाम सिंह के उदाहरण पर चले जाते हैं।

(व्यवधान)

मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कभी अच्छे उदाहरण की तरफ भी जाइये जिससे सचमुच डिमोक्रेसी मजबूत होती है, अच्छी परम्परायें बनती हैं, उनको ध्यान में रखें। बड़ी परम्परायें, स्वस्थ परम्परायें बड़े आदमी बनाया करते हैं छोटे आदमी उस को बना नहीं सकते। बड़ा आदमी उन परम्पराओं से अमरत्व को प्राप्त करता है और छोटे आदमी को यह नसीब नहीं होता।

मान्यवर, एक सीधा सा सवाल था। मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत न देकर अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रश्न पर बढ़ गये। मैंने आपत्ति की। वह आपत्ति को रद्द कर के बैठा सकते थे लेकिन उन्होंने यह समझा कि मैं शायद सदन में अव्यवस्था उत्पन्न कर रहा हूं इसलिये सदन की व्यवस्था बनाये रखने का जो नियम है और उससे जो शक्ति मिली है उसका प्रयोग करके उन्होंने मुझे इंगित किया और मुख्य मन्त्री ने मान्यवर, उसके पीछे पूरा इतिहास है कि एक के बाद एक सरकार का स्वच्छ प्रशासन के पीछे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो जातिवाद चल रहा है इन सभी का...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय जायसवाल जी से कह दिया है कि वह अपने को सीमित रखें और कोई असंगत प्रश्न न उठायें।

श्री त्रिवेणी--

मान्यवर, मैं माननीय जयसवाल जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब चार महीने की अल्पमत सरकार श्री सी०बी० गुप्ता की चली तब क्या जात-पात के चार्जेज इन पर लगाये? और एक बात मैं और पूछना चाहता हूं मान्यवर, कि आज प्रजातंत्र की दुहाई दी जा रही है और दुहाई देने वाले माननीय आचार्यजी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, वह हमारे नेता रहे हैं और साथी भी रहे हैं, जब ४ महीने वह सरकार में बने रहे अल्प मत में तो प्रजातंत्र का क्या यही तकाजा था? मान्यवर, मैं माननीय अनन्तराम जयसवाल जी से जो बड़े प्रजातांत्रिक हैं, बड़े अच्छे हैं, जानना चाहता हूं जब कि श्री सी० बी० गुप्ता की सरकार थी, और वह बनिया थे तब उन्होंने कोई ऐसा लांछन लगाया? वह भी बनिया थे और आप भी बनिया हैं, मैं भी यह लांछन लगा सकता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह जात-पात और प्रजातंत्र की दुहाई दी जा रही है और बड़े बड़े प्रजातांत्रिक नेता भाषण दे रहे हैं तो क्यों? कल से सदन का समय खराब किया जा रहा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं। आज इत्तफाक की बात यह है कि हम ऐसे उसूलों से गिरे हुये हैं जो गांधीजी ने परम्परागत राजनीति के आधार पर बनाये थे.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय जयसवाल जी से यह पूछना चाहूंगा कि जब वह हमारे साथ बैठते थे और पशुपालन की ग्रान्ट पर मतदान हुआ था....

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद---

श्रीमन्, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, आप कुर्सी पर बैठे हैं, इधर के हों चाहें उधर के हों, कोई बोलें, लेकिन जब माननीय जायसवाल जी बोल रहे हैं और देख रहे हैं कि करीब करीब कई माननीय सदस्य रुकावट डाल रहे हैं तो उधर बैठने वाले जब गलती करें तो उन्हें इंगित करने वाला, उन्हें डाटने वाला कोई नहीं है, आप में ताकत है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जब सौभाग्यवती बहन को.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जब माननीय जायसवाल जी बोल रहे हैं तो उसके बारे में कौन-सा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है। इस कदर बहस हो रही है कि असली प्रश्न ओझल हो रहा है। तो किस प्रश्न पर बहस हो रही है?

श्री उपाध्यक्ष---

तीन बातें जो कृष्ण चन्द्र शर्मा जी ने रखी हैं उन्हीं पर हो रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, यह साजिश है। व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था उत्पन्न करके मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)---

मैं सिर्फ यह मालूम करना चाहता हूं कि आज सदन की कार्यवाही होगी या नहीं?

(व्यवधान)

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री उपाध्यक्ष---

जायसवाल जी बोल रहे हैं, वह बोलेंगे। इसके बाद आप लोग अपनी बात कहें।

एक सदस्य---

नहीं बोलने देंगे।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर सदन नहीं चलने देंगे तो मैं स्थगित कर दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि त्रिवेणी राय जी ने. . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्वाइंट आफ आर्डर कब उठा सकता हूं ? क्या मुझको यह अधिकार नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्वाइंट आफ आर्डर तो मैं सब सुनता हूं। आप बताइए।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, आज की कार्यवाही में प्रश्नोत्तर थे और उसके बाद आइटम नं० २ पर सचिव विधान सभा द्वारा एक विधेयक सदन के पटल पर रखा जाना था। इसी तरह से और कार्यक्रम हैं। तो श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रश्न पर यह बहस चल रही है।

(व्यवधान)

(सदन में बहुत शोर होने लगा)

श्री उपाध्यक्ष—

जैसे सब लोग खड़े हुए और बोले, जैसे माननीय कृष्ण चन्द्र शर्मा जी बोले और उन्हें बोलने का मौका दिया गया और आपने नहीं पूछा कि किस प्रश्न पर बोल रहे हैं, वैसे ही श्री जायसवाल जी भी बोलेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि पांच मिनट में वह संक्षेप में कह दें। उसके बाद आगे चलेंगे। जायसवाल जी से यह घटना सम्बन्धित है। जैसे सबने भाषण दिया वैसे उनको भी मौका मिलना चाहिए। क्या वजह है कि वह बोलने खड़े हों तो उन्हें बोलने न दिया जाय ?

(सदन में पुनः बहुत शोर होने लगा)

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, [× × × ×]

(व्यवधान)

श्री इम्तियाज हुसैन—

व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम ३०० की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें "औचित्य के प्रश्न पर विवाद नहीं हो सकता है" यह बताया गया है। यह प्रश्न औचित्य का उठाया गया है। तब से लेकर अब तक इस पर विवाद चल रहा है। तो इस नियम के अन्तर्गत इस पर विवाद हो सकता है ?

[× ×× ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार कार्यवाही से हटा दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जब इतना विवाद चला तो क्या माननीय जायसवाल जी जब बोलने के लिये खड़े हुये तो तभी इन नियमों की आपत्ति उठाई जायगी ?

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

मेरी इच्छा बोलने की नहीं थी लेकिन त्रिवेणी राय जी ने अपनी जानकारी के लिये प्रश्न उठा दिया। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक समय था जब गांधी जी की राजनीति चलती थी जो देश के सामने एक आदर्श रखते थे और देश को बनाने वाले लोग थे। आज वह आदर्श छोटे आदमियों के हाथ में उठकर चला गया है कि जो लोग रोज दल बदला करते हैं।

(व्यवधान)

जब तक यह दल बदलने की प्रथा चलेगी तब तक कोई गवर्नमेंट स्थिर नहीं रहेगी। खुद आपको मालूम होना चाहिये कि कल ही यह सरकार माइनारिटी में रह गई।

श्री इम्तियाज हुसैन—

छोटे आदमियों से उनका क्या मतलब है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर व्यवस्था के प्रश्न इस प्रकार से बहुत प्रकार के रूप में अव्यवस्थित उठेंगे जो कि मेरी जानकारी में हैं तो मैं एक सदस्य को भी बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर आपने अब फिर इनको चैलेंज करने की कोशिश की तो मैं सदन को स्थगित कर दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्री की ओर से ३ दिन के निलम्बन का प्रस्ताव हमारे लिये आया और "हां" और "ना" में वोट लेने के बाद विपक्ष की तरफ से डिवीजन मांगा गया। लाबी में भेजकर लिखित रूप में मतदान कराया गया। उस पर जो नतीजा सामने आया अध्यक्ष जी ने उसका परिणाम घोषित किया कि ११७ के मुकाबले में ११५ वोट से मुख्य मंत्री का प्रस्ताव गिर गया। उसका यह नतीजा अध्यक्ष जी ने घोषित कर दिया। उस घोषणा के बाद कोई आपत्ति मुख्य मंत्री जी की तरफ से नहीं की गई। जब यह बात क्लीयर हो गई, जब सदन के लोगों ने मेरे पक्ष में वोट देकर मुख्य मंत्री के प्रस्ताव को गिरा दिया तब मुख्य मंत्री ने सोचा कि अब जनता में चेहरा कैसे बनाया जाय तो उसी चेहरे को बनाने के सिल-सिले में तरह तरह के बहाने गढ़े गये। अध्यक्ष जी ने, जो उस समय पीठासीन थे, उन्होंने इनकी सारी आपत्ति को कानूनी तौर पर मिरस्त कर दिया, रद्द कर दिया और जो उन्होंने एलान किया था उसी को बहाल रखा।

शर्मा जी ने इसी सदन के कुछ उदाहरण पेश करके यह कोशिश की कि इस प्रकार का बहस मुबाहिसा हो सकता है, इस पर फिर से मतगणना कराई जा सकती है, इस नतीजे को रोका जा सकता है लेकिन अब कोई रास्ता ओपिन नहीं है, सभी रास्ते अब बन्द हो गये हैं। इस सम्बन्ध में जो सटीक नजीरें हैं वह एक नहीं २ मैं आप के सामने प्रस्तुत करता हूं। इस मतगणना के प्रश्न को लेकर उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष-पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

जो संकलन है अप्रैल सन् ५२ से २२ दिसम्बर, सन् ६७ तक का उसके पृष्ठ ३१९ पर आप देखें। यह नजीर किसी अन्य देश की नहीं है यह इसी प्रदेश की है। आप इसके क्रम २४८ को देखें, उसमें है कि "मतगणना के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति उसी समय उठायी जा सकती है, बाद में नहीं।" यह स्पष्ट नजीर इसी सदन की है और संबंधित घटना इस प्रकार है कि "२३ दिसम्बर, १९६३ को प्रदेश में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की प्रथा को समाप्त करने के संबंध में संकल्प पर मत लेते समय हाथ उठा कर मत गिने गये और श्री उपाध्यक्ष द्वारा उसका परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके कुछ देर पश्चात् श्री राधेश्याम शर्मा ने आपत्ति उठाई कि गणना बिलकुल गलत हुई है। उनकी आपत्ति को अस्वीकार करते हुये श्री उपाध्यक्ष ने कहा कि आप उस वक्त कहते तो गिनवा लेते, अब बहुत देर बाद आपने कहा है, इसलिये अब कुछ नहीं हो सकता।"

इसी के नीचे दूसरी नजीर २४९ नम्बर पर है कि "विभाजन का परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् गणना के सम्बन्ध में चुनौती नहीं दी जा सकती।" इसका हवाला यह है कि "२५ नवम्बर, '५५ को श्री रामकुमार शास्त्री ने माननीय अध्यक्ष द्वारा विभाजन का परिणाम घोषित करने पर चैलेंज किया कि गणना सही नहीं हुई है। श्री अध्यक्ष ने "अब तो निर्णय हो चुका है" कह कर उसको अस्वीकार कर दिया।"

तो मैं निवेदन करूंगा कि जितनी उन की दरख्वास्तें आई, जितनी उनकी आपत्तियां हैं वे स्वीकार करने लायक नहीं हैं जब तक कि यह नजीरें इसी सदन की मौजूद हैं। जब तक यह निरस्त न हो जायं तब तक कोई भी उनकी आपत्ति स्वीकार करने योग्य नहीं है। बड़ा शोर है कि विपक्ष के लोगों ने . . .

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)---

विरोधी पार्टी वालों ने अभी कहा . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें कुछ सुनाई नहीं पड़ता।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

जब कानून कायदे की बात हुआ करे तो जरा वह समझने की कोशिश किया करें तो शायद उनका भी आगे भला हो जाय। मैं निवेदन कर रहा था कि इस पर इतना जोर क्यों है। इसके पीछे बात यह थी कि मुख्य मंत्रीजी यहां अपना चेहरा बना रहे थे और उनकी कोशिश थी कि विपक्ष पर ही सब चीज डाल दें। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि गवर्नर की गैलरी में उनके पक्ष के सदस्य मौजूद थे या नहीं और वे वहां से नीचे सदन में उतरे? किसने पहले यह शुरुआत की? और जब विपक्ष के लोगों ने उनकी इस हरकत को पकड़ लिया और वे अध्यक्ष की नोटिस में ले आये तब नोटिस आफिस की तरफ का जो दरवाजा है जो बन्द करा दिये गये हैं उस दरवाजे से उनके पक्ष के लोग चोरी चोरी आकर मतदान में भाग लिये क्या यह सही नहीं है और जो ट्रेजेरी बेंचेज में . . . . (व्यवधान)

श्रीमन्, जब पानी ऊपर से डालते हैं तो वह जोर से नीचे आता है, जब वह मुख्य मंत्री होकर ऐसी परम्परायें, धींगामुश्ती, कायदे कानून के खिलाफ मश्त पनहाई और हिम्मत अफजाई करेंगे तो दूसरे लोग उससे रुकेंगे नहीं वह बढ़ती ही जायगी। जो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विपक्ष

की, कल के मतदान में जो अनियमिततायें बरती गयी, उनसे शर्म आनी चाहिये लेकिन [× × × ×] कि उनकी ओर से क्या हुआ। उन्हें अपने को अन्तर्मुखी बनाना चाहिये। तभी कुछ परम्परायें पड़ सकती हैं। आप दूसरों के दोष की ओर तो देखते हैं लेकिन अपने दोष को नहीं देखते हैं। तो इससे भी कोई परम्परा कायम नहीं हो सकती है।

श्रीमन्, अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर आता हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने कल के मतदान के लिये किस किस तरह के दबाव डाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो विशेषाधिकार का प्रश्न है। आप मोटे तौर पर कहना चाहते हैं तो कह दीजिये।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को इस प्रकार से दखल नहीं देना चाहिये। यदि उनके पास तथ्य हैं, नजीरें हैं, कानून हैं, तो इसी पर बहस कर ली जाय। व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था करते हैं। जब आप इस रास्ते को अख्तियार करेंगे तो इधर के बैठने वाले भी उसी प्रकार का रास्ता अख्तियार करेंगे तब आपको बुरा लगेगा। माननीय शर्मा जी, आप शासन में हैं, आपको तो बहुत सब्र से काम लेना चाहिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मैं आप से यह व्यवस्था चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य जो एक दल के नेता हों, वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी भी मंत्री या मुख्य मंत्री के खिलाफ हो जिसके माथने गालियां हों ? क्या वे इस प्रकार के अपशब्द कह सकते हैं कि "किस तरह से मुख्य मंत्री ने दबाव डाले। फर्जी दस्तखत किये गये"। (व्यवधान) यह हो सकता है कि अध्यक्ष के खिलाफ जैसा कि कल की रूलिंग से स्पष्ट हो गया है, लेकिन उसका ताल्लुक सरकार से कोई नहीं है। क्या कोई भी माननीय सदस्य इस तरह की भाषा, जो एक प्रकार से अपशब्द हों जिससे दूसरों की बेइज्जती हो, प्रयोग कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रकार से कोई नहीं कर सकता है। अगर आप बतायें कि ये तथ्य हैं, जिनके बारे में दो राय हो सकती हैं, निकाले जा सकते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय अनन्त राम जायसवाल बराबर यही करते हैं जिस पर सदन में हंगामा होता है। जब उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग जो अपमानजनक है तो इधर से शोर होता है सदन में अव्यवस्था अधिकतर माननीय जायसवाल जी, जो संसोपा के नेता हैं, के कारण होती है। मैं आशा नहीं करता था कि वे दूसरों के प्रति अपमानजनक शब्द प्रयोग करेंगे। मैं उनसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि ऐसे शब्द कहना उनका फर्ज नहीं है जो दूसरों के अपमान की दृष्टि से कहे जायं।

[××××] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

भाषा शिष्ट होनी चाहिए, संसदीय होनी चाहिए। भाषण की शैली दूसरी बात हो सकती है। हो सकता है कि वह दूसरों को अरुचिकर हो लेकिन जो भाषा में अपशब्द प्रयुक्त हुए हों वे ही निकाले जा सकते हैं। अगर सरकार के लिये बेशर्म कहा गया है तो वह संसदीय है लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य के लिये कहा है तो वह असंसदीय है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उन्होंने मुख्य मंत्री का नाम लेकर कहा है।

(व्यवधान)

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मेरा स्पष्टीकरण ऐसा होगा जिसको मैं उस बहस तक ही सीमित रखूंगा। मैंने पहले ही कह दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

संक्षेप में ही कहें।

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं...

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उपाध्यक्ष महोदय, जितना समय मैंने लिया, और जितने समय तक उन्होंने व्यवधान किया, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पैदा करके, उन सब को निकाल ले, तो मुश्किल से मैंने सदन का १० मिनट समय लिया, १० मिनट से ज्यादा समय नहीं लिया। अगर उन्होंने व्यवधान पैदा किया तो उसके लिये अपने को दोषी ठहरावें, हमें दोष क्यों दे रहे हैं। तो मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाली मैं एक घटना का वर्णन करना चाहता हूं कि किस तरह से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गयी। माननीय मुख्य मंत्री के दल की एक सदस्या माननीय सौभाग्यवती जी हैं, उस प्रश्न पर उन्होंने यह तय किया था कि वे निष्पक्ष रहेंगी। इधर या उधर किसी तरफ न जाकर तटस्थ रहेंगी। तो इसमें उनका क्या कसूर है? लेकिन माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से उनको धमकी दी गयी और उसके पहले उसी तरह से उनकी धर्मपत्नी ने उनको धमकाया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जब प्रिविलेज कमेटी में यह प्रश्न आयेगा तो उस पर विचार होगा।

(व्यवधान)

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)---

उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको इंगित कीजिये, वरना हम सदन को चलने नहीं देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, जो लोग आज आपत्ति कर रहे हैं..

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, देखिये श्री महीलाल माननीया सदस्या के पास गये हैं। अगर सदस्यों को फ्री-स्वतंत्र होकर अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलेगा तो कहां तक सदन चल सकेगा ?

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जिस तरह से माननीया सौभाग्यवती और माननीय शर्मा जी के साथ व्यवहार हो रहा है, चाहे कोई मिनिस्टर हो या कोई भी हो, छांट-छांट कर एक-एक के ऊपर मुख्य मंत्री का डंडा आयेगा और मेरी चेतावनी है कि कोई आदमी अगर बचना भी चाहेगा तो उनसे बच नहीं पायेगा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री का मिजाज थोड़ा मुझे भी मालूम है। उनमें इतनी भी शिविलरी नहीं है कि एक साधारण महिला के साथ कैसा वर्ताव किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, देखिये—गार्ड को मारने वाला हरनारायन श्रीमती सौभाग्यवती जी के पास पहुंचा हुआ है और उनको डरा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से...

(व्यवधान)

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

श्रीमन्, माननीय अनन्तराम जायसवाल ने माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको वापस लिवा वें।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन की कार्यवाही की घटना के सम्बन्ध में एक बात रखना चाहता हूं। माननीया सौभाग्यवती के भाई और बहन सरकारी मुलाजमत में हैं और मुख्य मंत्री जी उनसे बदला भी ले सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रख कर माननीया महिला ने जो दृढ़ता दिखाई है उसके लिये मुक्त कंठ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर आ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान नियम २७५ की ओर खींचना चाहता हूं। इस नियम के अन्तर्गत मान्यवर, मंत्रियों के विरुद्ध विश्वास के भाव को व्यक्त करने के लिये प्रस्ताव लाया जाता था। उसकी एक प्रक्रिया है। वे नियमों से बंधे हुए हैं। जैसा माननीय रियासत हुसैन ने कहा था मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। जब मंत्रियों में अविश्वास व्यक्त करने की प्रक्रिया है तो उसी से जुड़ा हुआ एक तरीका है। मंत्रियों में विश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव उसी प्रक्रिया के तहत लाया जायेगा। शायद आप इससे सहमत हों। वह प्रक्रिया क्या है ? कोई भी सदस्य जो इस तरह का प्रस्ताव लाना चाहे उनके लिये यह लाजिम होगा कि उस विशेष दिन का उपवेशन शुरू होने से पहले वह सचिव को लिखित सूचना देंगे और उस लिखित सूचना के मिलने पर माननीय अध्यक्ष जी यह निर्णय करेंगे कि वह सूचना या प्रस्ताव मान्य है या नहीं। अगर वह मान्य हो गया तो अध्यक्ष जी प्रश्नों के घंटे के बाद और दिन को दूसरी कार्यवाही शुरू होने से पहले—इस इन्टरवल में, और इसके पहले की सदन में

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

दूसरे दिन की कार्यवाही को हाथ में लेकर अनुज्ञा मांगने की रस्म अदा होती है। अध्यक्ष जी माननीय सदस्य से कहते हैं कि वे सदन की अनुज्ञा चर्चा पर प्राप्त करने के लिये उठें। वह सारांश में तथ्य बताता है और फिर वह माननीय सदस्य जो अनुज्ञा के पक्ष में होंगे उनसे कहेंगे वे अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और इस सदन की कुल सदस्य संख्या के पांचवें हिस्से में सदस्य अनुज्ञा के पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी अनुज्ञा मिल पाती है। यह सारी साधारण प्रक्रिया है।

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

यह प्रक्रिया तो आप अविश्वास की बता रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जब एक दफे सदन की अनुज्ञा मिल गई तो अध्यक्ष जी, उस पर चर्चा कब होगी ? जिस दिन अनुज्ञा मिलती है, उसके दस दिन के अन्दर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि अनुज्ञा का मिलना सशर्त है। अगर नहीं मिलती है तो उस प्रस्ताव पर बहस नहीं हो सकती। यहां पर जो प्रश्न उठा है उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जो नियम है उन नियमों के अनुसार वह प्रस्ताव उपवेशन के शुरू होने के पहले नहीं दिया गया। अध्यक्ष जी ने यह नहीं पूछा, यह तय नहीं किया कि यह मान्य है या नहीं। उन्होंने सदन की अनुज्ञा भी नहीं ली और बिना उस सब के, इतने शोरगुल के बीच, उस वक्त इतनी अव्यवस्था थी कि मैंने सुना भी नहीं कि क्या कहा गया, उन्होंने घोषित कर दिया और अखबार में मान्यवर, यह पढ़ा माननीय मुख्य मंत्री में सदन ने विश्वास व्यक्त कर दिया।

(व्यवधान)

श्रीमन्, दो मिनट और लूंगा।

इसी के साथ-साथ मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के दो नियम १०० तथा १११ की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम १०० संकल्प के संबंध में है और नियम १११ प्रस्ताव के सम्बन्ध में है। उन दोनों में यह व्यवस्था है कि कोई प्रस्ताव अगर इस सदन में लम्बित है या अगर निस्तीर्ण हो गया है तो उसी सार का दूसरा प्रस्ताव चर्चा के लिये ६ माह तक नहीं आ सकता। एतराज यह किया जा सकता है, मैं समझता हूं इसमें बहस की गुंजायश भी है, यह दोनों नियम इसमें लागू होते हैं या नहीं। क्योंकि जहां तक अविश्वास के प्रस्ताव का संबंध है, उसके लिये अलग चैप्टर दिया गया है और उसमें उसके नियम दिये हुये हैं। तो यह जो संकल्प है, उस संबंध में नियम १०० और नियम १११ लागू होने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह लागू नहीं होते हैं और एक अविश्वास के प्रस्ताव को लाने के बाद दूसरे प्रस्ताव को लाने में, जो भी आपका निर्णय होगा, मैं समझता हूं दोनों प्रस्ताव के बीच में ६ महीने की आवश्यकता है नहीं। तब क्या वह प्रस्ताव लागू हो जाता है ? मैं शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि कायदे कानून में डिफरेन्स नहीं होना चाहिये, कानून के इन्फोर्समेंट में और उसके इन्टरप्रिटेशन में निष्पक्ष होकर हमको सोचना चाहिये। इस दृष्टि से मैं यह कहूंगा कि जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया, जो पहली शर्त है कि उपवेशन के प्रारम्भ में उसकी प्रति सचिव को देंगे वह मान्यवर पूरी नहीं हुई। दूसरी शर्त जो थी कि सदन में अनुज्ञा लेंगे, वह भी नहीं ली गयी। तो चूंकि यह दोनों चीजें नहीं हुई इसलिये मैं यह अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव पेश किया गया वह प्रस्ताव था ही नहीं कानून की निगाह में। और उसमें बहस भी नहीं हुई। अगर बहस हो जाती है तो उस बहस को सुन कर हो सकता है कि माननीय सदस्य अपने विचार बदल दें। यह दूसरी बात है कि एक परम्परा सी बड़ गयी है कि उधर बैठने वाले यदि कहें "हां" तो इधर वाले कहते हैं "नां"। लेकिन जो हम आपस में बहस करते हैं उससे दूसरी तरफ के लोग प्रभावित हो सकते हैं और कल जिस प्रकार का सदन का मूड था उसमें यह हो भी सकता था। मान्यवर, ऐसी मिसालें दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी कि जब कि इस बेदर्दी के साथ कायदे कानून की परवाह न

की गयी हो और उसकी अवहेलना की गयी हो, उनको तोड़ा गया हो। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो विश्वास का प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा और उस पर जो कार्यवाही हुई उसे आप कार्यवाही से निकालें, उसको निरस्त करने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ मैं इस माननीय सदन को और माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि मैं उनके विश्वास का कृपा पात्र हुआ। यह कल साबित हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है। माननीय सदस्यों के भाषणों के दौरान सभी पक्ष विपक्ष के जो तर्क वितर्क हमारे सामने आए हैं, उनको मैंने गौर से सुना। कई स्थितियां हो सकती हैं। पहली चीज...

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने मुझे समय दिया था और कहा था कि जायसवाल जी के बाद में हम आपको समय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं, आप बैठें, समय नहीं है।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

कल से इस पर सब मेम्बरान साहब बोल रहे हैं, लेकिन किसी औरत को बोलने की इजाजत नहीं मिली है। अगर हम लोग माइनारिटी में हैं, बहुमत में नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल हमारी लापरवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

यों तो, आप ही नहीं, इधर से भी बहुत से लोग बोलने को इच्छुक हैं। लेकिन समय नहीं है, मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं। आप बैठें।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

उपाध्यक्ष जी, आप हमें बताएं कि नक्कारखाने में तूती की आवाज कैसे सुनी जाएगी? हमारी आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

श्री उपाध्यक्ष--

इतने यहां पर पक्ष-विपक्ष में तर्क आ गये हैं कि आपका तर्क कोई और नहीं हो सकता है जहां तक मैं समझता हूं।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

आप मुझे अवश्य इजाजत दीजिए। कई प्रश्न उठाये गये हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। अब यह कार्य शुरू हो गया है मैं माइनारिटी और मेजारिटी में कोई फर्क नहीं करता।

श्रीमती कुदसिया बेगम---

आपको मुझे अवश्य वक्त देना पड़ेगा। आपने मुझे फरमाया था कि बोलने की इजाजत मिलेगी। इसीलिए मैं इतना जोर दे रही हूं। किन्तु आप समय अब नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मैंने दोनों तरफ के लोगों से कहा था। मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि मैं खड़ा हूं और आप लोग बैठ जाएं।

श्री रामचन्द्र विकल---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है तो मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता।

श्री रियासत हुसैन---

एक आधा मिनट का अवसर आप मुझे दे दें उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं कतई इजाजत नहीं देता। मैं खड़ा हूं और आप लोग खड़े होकर बोलना चाहते हैं। मैं समझता हूं आप लोग सामान्य शिष्टाचार के नियमों से भी शून्य हैं। मामूली औचित्य को आप नहीं जानते हैं, तो मुझे फिर सोचना पड़ेगा।

श्री रियासत हुसेन---

मैं आपका ध्यान नियमावली की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

यदि आप यह समझते हैं कि आपका यह कार्य सदन की मर्यादा के अनुरूप है, तब तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह समझकर कि यह घटना दुखदायी थी मैंने उसको सदन के समझ रखने की अनुमति दी। कार्य-सूची में नहीं दिया था, लेकिन जब सदन के सामने ऐसा प्रश्न आ जाए तो सोचना पड़ता है। क्योंकि जो अध्यक्ष की कल की व्यवस्था है, उसके संगत हमारा कार्य होना चाहिए। जब उसमें कोई संशोधनात्मक चीज का विवेचन हो, या उस पर जोर दिया गया हो, तो सवाल होता है उस निर्णय के बारे में कुछ कहने का और जो जांच का परिणाम हो, उसमें निर्णय से फर्क हो ही जाता है। तो मैं देखता हूं, जो आपने कहा जिस तरह से वोटिंग हुई, जिस तरह डिवीजन हुआ, जिस तरह प्रस्ताव आया, सब को मैं देखता हूं। मैं इस राय का हूं। सदन की गरिमा को सुस्थिर करने के लिए, इंगित करने से लेकर अविश्वास के प्रस्ताव तक सारी कार्यवाही निरस्त करने को मैं सोच रहा हूं। मैं व्यवस्था दूंगा। लेकिन व्यवस्था के लिए समय लिया जाता है। इसलिए मैं व्यवस्था को सुरक्षित करता हूं। माननीय अध्यक्ष से पूछ करके, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, और दूसरे नेताओं से आज मैं सम्पर्क स्थापित नहीं कर सका, सदन को चलाना पहला कर्तव्य है। तो मैं इस पर व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं। आगे का काम चलाएं। इसके बाद माननीय अध्यक्ष से भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि एक कमेटी को सुपुर्द किया जाय। तो उस कमेटी में जो साक्ष्य आयेगा, उससे उस निर्णय पर असर पड़ जायगा। जैसा मैंने कहा, वह प्रभावी नहीं है। किसी को कुछ नुकसान या फायदा नहीं पहुंचेगा। जो व्यवस्था का सवाल है वह मैं सुरक्षित रखता हूं और आगे का काम जो है उसको ले लें।

श्री रामचन्द्र विकल—

विश्वास का प्रस्ताव जो पास हुआ वह भी सुरक्षित है ?

श्री उपाध्यक्ष—

दोनों। सभी।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० को संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने हेतु विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित ८ सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में सूचना

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, विधान परिषद् से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है—

मुझे आपको यह सन्देश देने का आदेश हुआ है कि विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २९ जून, १९७० की बैठक में विधान सभा द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान कर दी है—

"उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी उपवेशन में प्रस्तुत करे।"

इसके अतिरिक्त मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि विधान परिषद् ने उक्त संयुक्त प्रवर समिति के लिए निम्नलिखित ८ सदस्यों को दिनांक १ जुलाई, १९७० की बैठक में निर्वाचित किया है :

१—श्री राजाराम शास्त्री, सदस्य, विधान परिषद्।
२—श्री छेदीलाल साथी, सदस्य, विधान परिषद्।
३—श्री सुल्तान सिंह पचौरी, सदस्य, विधान परिषद्।
४—श्री चन्द्रभाल देव, सदस्य, विधान परिषद्।
५—डा० पुरुषोत्तम दास कपूर, सदस्य, विधान परिषद्।
६—श्री जगरनाथ, सदस्य, विधान परिषद्।
७—श्री आर० एन० ठकुराई, सदस्य, विधान परिषद् तथा
८—श्री कैलाश प्रकाश, सदस्य, विधान परिषद्।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६८०-६८१ पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २३ जून, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश से दिनांक २४ जून, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २७ जून, १९७० को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया।

नौ हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम आय वाले कर्मचारियों को वृत्ति, व्यापार आजीविका तथा सेवा योजन कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से नौ हजार रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले कर्मचारियों की वृत्ति व्यापार, आजीविका तथा सेवा योजन-कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में श्री अजय मेहरोत्रा श्री श्याम जी मालवीय तथा श्री अतुल कुमार संड द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थित करता हूं।

इस याचिका के अन्तर्गत यह कहा गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। यह याचिका मात्र प्रस्तुत की जाती है।

कतिपय समितियों के सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्य-क्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा मंत्रियों को परामर्शदात्री स्थायी समितियों के निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम को देखने का कष्ट करें। सभा की बैठक संभवतः २ तारीख को समाप्त हो जायगी।

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि..	४ जुलाई, १९७० को सायंकाल ४ बजे तक।
नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ..	७ जुलाई, १९७० को १ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।
नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय..	४ अगस्त, १९७० को सायंकाल ४ बजे तक।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान विधान मंडल पुस्तकालय में दिनांक ६ अगस्त, १९७० को ११ बजे पूर्वाह्न से ५ बजे तक होगा।

श्री इन्द्रजीत द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

जितने भी विशेषाधिकार के प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हैं उन पर फैसला सुरक्षित रखता हूं।

श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

मेरा भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न था, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर अभी विचार किया जायगा। फैसला सुरक्षित है। इसके अलावा भी जितने अन्य विशेषाधिकार के प्रश्न हैं उन पर भी फैसला सुरक्षित है।

ग्राम बहलोल नगर, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर में डाक्टर विद्या की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

दिनांक ११-६-७० को ३-५० बजे अपराह्न में ग्राम बहलोल नगर, जिला सीतापुर के चौकीदार ने थाना महमूदाबाद पर हाजिर होकर इस आशय की मौखिक सूचना दी कि उसी दिन १२ और एक बजे के बीच दोपहर में जब बहलोलनगर निवासी डाक्टर विद्या प्रसाद मौजा कटरा से अपने घर आ रहे थे तो जैसे ही वे गांव में पहुंचे, उसी गांव के पांच सशस्त्र व्यक्तियों ने उनको घेर कर मारा और डा० विद्या प्रसाद की चीख पुकार सुनकर आए ग्रामवासियों द्वारा ललकारे जाने पर डा० विद्या प्रसाद की लाश लेकर भागे। गांव वालों का हल्ला बढ़ता सुन कर अपराधियों ने लाश का सिर काट लिया और लाश को छोड़ कर सहालमपुरवा में भाग कर घुस गए। गांव बहलोल नगर के निवासी और आस पास के गांवों के कुछ निवासी, जो डा० विद्या प्रसाद की पार्टी के हैं, अपराधियों का पीछा करते हुए गए हैं और गांव सहालमपुरवा घेरे हैं।

इस सूचना के प्राप्त होने पर थाने पर धारा १४७, १४८, १४९ ३०२, २०१ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा अपराध संख्या १७० नामांकित अपराधियों के विरुद्ध दर्ज हुआ। थानाध्यक्ष महमूदाबाद कुछ अन्य पुलिस कर्मचारी साथ लेकर तुरन्त घटनास्थल के लिए रवाना, हुए। ग्राम बहलोल नगर में पहुंचने पर थानाध्यक्ष को ज्ञात हुआ कि डाक्टर विद्या के घर वाले उनका धड़ और सिर, जो कहा जाता है, अभियुक्तों ने भागते समय एक झाड़ी में फेंक दिया था, उठा लाए थे। डाक्टर विद्या प्रसाद के भाई ने गांव में थानाध्यक्ष को एक रिपोर्ट दी जिसमें चौकीदार द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में नामांकित ५ व्यक्तियों के अतिरिक्त ३ अन्य व्यक्तियों को अपराधी नामांकित किया गया था। गांव में थानाध्यक्ष को यह सूचना भी मिली कि डा० विद्या प्रसाद के तरफदार लोगों ने अभियुक्तों को ग्राम सहालमपुरवा में घेर कर मारडाला और आग लगाकर फूंक दिया है। ग्राम सहालमपुर में पहुंचने पर थानाध्यक्ष ने पाया कि दो व्यक्तियों की लाशें जिनके सिर धड़ों से अलग थे, एक मकान में पड़ी थीं और ३ व्यक्तियों की लाशें एक अन्य व्यक्ति के घर में जली पड़ी थीं जिसमें उस समय भी आग जल रही थी। आवश्यक पूछ-ताछ करने पर थानाध्यक्ष को इन पांच व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में कुछ अपराधियों के नाम ज्ञात हुए तथा यह पता चला कि हमलावरों में २०-२५ अन्य व्यक्ति भी थे। प्राप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष ने एक रिपोर्ट तैयार की और उसे थाने पर भेजा जिस पर धारा १४७, १४८, १४९, ३०२, २०१, ४३६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा अपराध संख्या १७१ दर्ज हुआ थानाध्यक्ष ने स्वयं घटनास्थल पर रुक कर दोनों मुकदमों की जांच प्रारम्भ की।

अपराध सं० १७० से संबंधित प्र० सू० रिपोर्ट में नामांकित ५ अपराधियों की हत्या हो चुकी है। मृतक के भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट में नामांकित अन्य ३ अपराधियों के संबंध में जांच जारी है।

अपराध संख्या १७१ के ३३ नामजद अभियुक्तों में से १२ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा १५ ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। इस मुकदमें में भी जांच जारी है।

[श्री ओमप्रकाशसिंह]

हत्या की दोनों घटनाओं के बाद फौरन ही दोनों ग्रामों में पुलिस द्वारा लगातार गश्त की व्यवस्था की गई थी। बाद में पी० ए० सी० भी गश्त के लिए तैनात की गई। शांति एवं व्यवस्था की स्थिति लगभग सामान्य है।

यह कहना सही नहीं है कि डा० विद्या की हत्या पुलिस के इशारे पर की गई। दोनों पार्टियों में पहले से ही झगड़ा चल रहा था और पुलिस की रिपोर्ट पर दोनों पार्टियों के मुख्य मुख्य व्यक्तियों के विरुद्ध १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी और वे एक साल के लिए मुचलके पर पाबन्द किए गए थे।

जहां तक डा० विद्या प्रसाद की बन्दूक थानाध्यक्ष महमूदाबाद द्वारा एक साल पहले जमा करा लिए जाने और प्रार्थना पत्र दिए जाने पर भी वापस न किए जाने का सवाल है, थानाध्यक्ष ने शान्ति एवं व्यवस्था के हित में बन्दूक कब्जे में लेकर थाने के माल खाने में जमा की थी जिसका उल्लेख थाने के रेकार्ड में है। डा० विद्या की बन्दूक इस कारण नहीं वापस की गई थी कि धारा १०७/११७ जा० फौ० के मुचलकों की अवधि अभी पूरी नहीं हुई थी।

असरकारी दिवसों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि कल और आज ये दो दिन गैर-सरकारी दिन थे उनका कार्यक्रम न हो सका अतः इन दोनों गैर सरकारी दिवसों को कल और परसों में बदल दीजिये और फिर आप उनको बुलाइये। हमें अवश्य गैर सरकारी दिवस मिलने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर सदन चलेगा तो लिये जायेंगे यदि नहीं चलेगा तो उस समय पहले दिन लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो कल असरकारी दिवस का कार्य लिया गया था तो वह क्या दुबारा लिया जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष---

कल वाला तो बीत गया। वह निलंबित था।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

क्या उसमें नियमों का निलम्बन सम्बन्धित नहीं है?

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० की प्रवर समिति के लिये सदस्यों की नियुक्ति का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर प्रस्तावित प्रवर समिति के लिये निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किये जायं---

१---श्री सत्तार अहमद, २---श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर), ३---श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद, ४---श्री मंगल उपाध्याय, ५---श्री रामकिंकर (उप मंत्री), ६---श्री शिव कुमार मिश्र

(शाहजहांपुर), ७—श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा (झांसी), ८—श्री रामसूरत सिंह (गाजीपुर), ९—बेगम हबीबुल्ला (बाराबंकी), १०—डा० हरिप्रसाद शाही (गोरखपुर), ११—श्री रामकुमार दीक्षित, १२—श्री गंगा प्रसाद (एटा), १३—श्री त्रिवेणी सहाय, १४—श्री विजय बहादुर सिंह, १५—श्री रामधारी शास्त्री, १६—श्री सजीवन लाल, १७—श्री चंचल सिंह और १८—श्री माता प्रसाद।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर प्रस्तावित प्रवर समिति के लिये निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किये जायं:—

१—श्री सत्तार अहमद, २—श्री धर्मबीर सिंह (मुजफ्फरनगर) ३—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, ४—श्री मंगल उपाध्याय, ५—श्री रामकिंकर (उपमंत्री), ६—श्री शिवकुमार मिश्र (शाहजहांपुर), ७—श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (झांसी), ८—श्री राम सूरत सिंह (गाजीपुर), ९—बेगम हबीबुल्ला (बाराबंकी), १०—डा० हरिप्रसादशाही (गोरखपुर), ११—श्री रामकुमार दीक्षित, १२—श्री गंगा प्रसाद (एटा), १३—श्री त्रिवेणी सहाय, १४—श्री विजय बहादुर सिंह, १५—श्रीरामधारी शास्त्री, १६—श्री सजीवनलाल, १७—श्री चंचल सिंह, १८—श्री माता प्रसाद।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) विधेयक, १९७० की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा के निम्नलिखित १६ सदस्यों को निर्वाचित किया जाय—

१—श्री भगवती सिंह (उपमंत्री) २—श्री लाल बहादुर सिंह, ३—श्री छेदालाल चौधरी, ४—कुंवर अशरफ अली, ५—श्री शिवकुमार मिश्र, ६—श्री राम सिंह खन्ना, ७—श्री बंशगोपाल शुक्ला, ८—श्री महीलाल, ९—श्री मनफूल सिंह, १०—श्री बंशीधर पांडेय, ११—श्री धर्मवीर १२—श्री जगदीश नारायण सिन्हा, १३—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, १४—श्री मलिखानसिंह, १५—श्री रूपनाथ सिंह यादव, १६—श्री छांगुर राम।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह कौन से नम्बर पर है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

१०वें नम्बर पर तो श्री इन्द्रमणी जी का प्रस्ताव है?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको आप संशोधित कर लीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय--

इसमें संशोधन कब हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो संयुक्त प्रवर समिति के नाम है। यह तो बिना सूचना के भी आ सकता है।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह तो बड़ी गलत परम्परा होगी। हम इसके लिये तैयार नहीं हैं। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये मंत्री जी ने इसको बीच में ही रख दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह तो दोनों सदनों की ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के लिये नामों के बारे में जो तय हुआ था, उसी के लिये विधान सभा के सभी दलों के सदस्यों के नाम हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

जिस प्रकार से राजस्व मंत्री ने ऐजेन्डे पर रख कर नामों को पास कराया है, उसी प्रकार से मंत्री जी को इसमें भी करना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष--

कौंसिल से आपने जिन नामों को मांगा, उनकी तरफ से वे नाम आये हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम १३४ की तरफ दिलाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि ११० के अन्तर्गत जिन समितियों का निर्वाचन होता है, वे इन समितियों से भिन्न समितियां हैं। अगर लोक लेखा समिति का निर्वाचन होना होगा तो क्या ११० के अन्तर्गत होगा ? अगर प्राक्कलन समिति का निर्वाचन होना होगा तो क्या ११० के अन्तर्गत होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

हो तो सकता है न ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

उसके लिये अलग से कार्यवृत्त पर प्रस्ताव होगा और उसके लिये नियमावली अलग बनी हुई है। इसी प्रकार सदन उन समितियों का जिनका वर्णन नियमावली में नहीं है उनसे भिन्न जिन समितियों के लिये ११० का सहारा लिया जायगा, जैसे कि कोई मामला फंस जाये लीगल और अगर आप चाहते हों कि सदन के सिर्फ वकील लोग जो प्रोफेशनली वकील हैं ऐसे सदस्य चुन कर चले जायं उस मामले की वकालत करने के लिये तो ११० के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है कि १३४ के अन्तर्गत जिस प्रकार इस वाक्य की रचना हुई है उसको पढ़ें : "यदि कोई प्रस्ताव किसी विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिये स्वीकृत हो जाय तो सचिव इस निवेदन के साथ संदेश भेजेंगे कि परिषद् उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करे और यदि उसकी सहमति हो तो संयुक्त प्रवर समिति .....आदि आदि" तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था कि जब एजेन्डा पर यह छपा नहीं तो मेहरबानी कर के इस प्रस्ताव को आप निरस्त कर दें। जल्दी जल्दी में यह सरकार क्या कर जायेगी और कितना गलत करवा लेगी इस सदन से इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिये आप रूलिंग दें कि वह इसको वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

हमारे यहां से कौंसिल में गया था और अभी ४ बजे यह आया है। तो जैसा आप कहें।

(आज इसको न लें' की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष--

फिर सेलेक्ट कमेटी वाला रह जायेगा।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप की आज्ञा ले कर के यह प्रस्ताव रख दिया गया था और अब सदन की सम्पत्ति हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई प्रश्न रखा जायेगा तो रखने के बाद ही तो विरोध होगा। अब वह कह रहे हैं। मालूम पड़ता है कि एक दिन और बैठना चाहते हैं और अब सब ऊब गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं सम्मानित सदस्य गोरखपुर से आग्रह करूंगा कि यह बिल्कुल एक औपचारिक है और नियम २५२ में लिखा हुआ है कि जब किसी विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्य, सदन द्वारा तब नियुक्त किये जायंगे जब किसी विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किये जाने के उपरान्त स्वीकृत हो जाय।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, सारे पिछड़े इलाकों की तरफ से एक प्रस्ताव यहां पर रखा जा रहा है और सरकार से प्रार्थना की जा रही है कि वहां के लोगों को भी दो रोटी दे दी जाय। बड़े अफसोस की बात है कि सारे दिन सरकारी बेंचेज ने इस प्रस्ताव को नहीं आने दिया। अब नारायण दत्त तिवारी जी खड़े हो गये व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि पिछड़े जिलों की गरीब जनता के भूखे पेट को आप सोच लें। और श्रीमन् इस प्रस्ताव को पास न होने दें और कोई चीज न आने दें। जो आइटम नं० १० है, वही आने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

आइटम नं० ९ के बाद अगर आपकी सहमति हो...मैं बताए देता हूं, फिर जैसी बात कहेंगे वह होगा। क्योंकि अभी ४ बजे यह कौंसिल से आया है। उन्होंने ८ नाम दिये हैं। यह १६ हैं, अब यह कमेटी पूरी नहीं होगी....

श्री कृष्णानन्द राय--

कमेटी पूरी हो या न हो, हम इसका विरोध करते हैं। वह एजेंडे पर नहीं है। जब तक सब सदस्यों की सहमति नहीं होगी आप इसे ले नहीं सकते। हम सख्त विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो प्रवर समिति का संशोधन था वह आपका ही है और आपकी सहमति से यह पास हुआ। लेकिन अब आप विरोध करते हैं तो आगे चलिये।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े भू-भागों के विकास के लिये धनराशि उपलब्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर २६ माननीय सदस्य बोल चुके हैं और उनके नाम हैं—सर्वश्री गिरधानन्द स्वामी, कृष्णानन्द राय, देवकीनन्दन विभव, रियासत हुसैन, त्रिवेणी (आजमगढ़), गिरजा शंकर, शिवानन्द नौटियाल, शंभूनाथ चौधरी, मेहरबान सिंह, डी० पी० बोरा, शेर सिंह दानू, सूंगर सिंह विष्ट, नरेन्द्र सिंह (चमोली), हरी सिंह विष्ट, मदन मोहन मिश्र, भाभी, चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, राम चरन, चन्द्रभान शर्मा, कन्हैयालाल बाल्मीकि, ज्वाला प्रसाद कुरील, सूबेदार प्रसाद, कन्हैयालाल सोनकर, बांकेलाल, जगदीश गांधी और राम बचन यादव ।

इनके अलावा और जो बोलना चाहें....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

हम नहीं बोले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोल चुके हैं ।

*डाक्टर हरि प्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, इस प्रस्ताव के दो भाग हैं । इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का निश्चित मत है कि सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए भू-भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड और पहाड़ी क्षेत्र के विकास हेतु चतुर्थ पंचवर्षी योजना के अन्तर्गत धनराशि उसी आधार पर उपलब्ध करे" । यानी उसी आधार पर उपलब्ध करे जिस आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग ने उत्तर प्रदेश को प्रदान किया है । इस संबंध में अगर इस प्रस्ताव को देखा जाय तो दो प्रश्नों का उत्तर हमको देना है । पहला प्रश्न तो यह है कि पिछड़े हुए भू-भाग कौन है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

ये आपके सेक्रेटरी कभी आपको राय देते हैं और कभी गवर्नमेंट को राय देते हैं । उनको यहां बैठने मत दीजिए । पार्लियामेंटरी परंपरा में सेक्रेटरी इस तरह से बार बार सरकार के पास नहीं जाता है । ये आपके यहां से लेकर मुख्य मंत्री के बीच में जा जाकर निर्लज्जतापूर्वक काम करते हैं उनको कुर्सी से हटा दीजिए, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो प्रश्न आप कर रहे हैं यह इस समय नहीं माननीय अध्यक्ष से करें ।

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

तो पहला प्रश्न यह है कि वे पिछड़े भू-भाग कौन हैं ? दूसरी बात यह है कि किस आधार पर उत्तर प्रदेश को केंद्रीय वित्त आयोग ने धनराशि दी है ?

इसके संबंध में इससे पहले कि उन आधारों पर प्रकाश डालूं और चर्चा करूं मैं चाहता हूं कि दो शब्द कह दूं क्योंकि विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई है । हम लोगों को कल पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों की योजनाओं के बारे में एक पुस्तिका दी गई है । उसमें विशेषतया

---

†८ मई, १९७० की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की चर्चा की गई है। मुझे उन आंकड़ों पर जो दिये गये हैं आपत्ति है और विशेषतया जहां से ये आंकड़े दिये गये हैं, तीन आधार प्रस्तुत किये हैं उन पर भी मेरी आपत्ति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है वह पुस्तिका बड़े ऊंचे स्तर की हो, लेकिन जो पुस्तिका मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई है उसके प्रस्तावना को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश को दो भागों में विभाजित करना चाहते हैं। उसको पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में रखना चाहते हैं। कई बार इस सदन में विचार प्रकट किये गये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी किसी पिछड़े हुये क्षेत्र की चर्चा की जाती है तो उसका कभी भी यह अर्थ नहीं लगाना चाहिये कि हम उसका भौगोलिक, मानसिक या भावात्मक विभाजन चाहते हैं। यह पुस्तिका बड़ी आपत्तिजनक है। यह जिस विभाग से प्रकाशित हुई है, मुख्य मंत्री जी ने इशारा दिया होगा। उसमें यह दिखाया है कि पूर्वी क्षेत्र को अधिक अनुदान दिया गया है और पश्चिमी क्षेत्रों को कम दिया गया है। इस पुस्तिका के प्रत्येक अंग पर और जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उन पर हम हम विचार करेंगे पूर्वी प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र या बुन्देलखंड की बात जब चलती है तो उसको उसी ढंग से देखना चाहिये जिस तरह हमारे शरीर का और कोई अंग कमजोर है तो हम उसको देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा वह कमजोर अंग मजबूत हों जो पिछड़े हुए भाग हैं उसको उसी स्थित पर रखना जरूरी है जिस स्थित पर प्रदेश के अन्य भाग हैं। माननीय चरण सिंह से मेरा विनम्र निवेदन है कि पूर्वी,पच्छिमी या अन्य जो हमारे प्रदेश के क्षेत्र हैं सभी जगह सेहमसब मिलकर संकल्प करें कि सामूहिक रूप से अज्ञान, अकर्मण्यता और अन्धविश्वास को हटायेगें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन संम्भवतः हमारे मुख्य मंत्री जी भटक जाते हैं और गरीबी को अकर्मण्यता से इक्वेट करते हैं। वह कहते कि पावरटी इज नाट टू वि इक्वेटेड विथ लेजीनेस। अकर्मण्यता और पावरटी अलग-अलग चीजें है है और इसका सूक्ष्म विवेचन करेगें तो हो सकता है कि अकर्मण्यता के कारण गरीबी हो और गरीबी कारण अकर्मण्यता हो अगर इसका संबंध दोनों का वैसा ही जैसा कि अण्डे और मुर्गी का है हम लोग बहुत दिनों से हल नहीं कर सके। उसी तरह से यह हो सकता है कि हम गरीबी और अकर्मण्यता को यह न कह पावें कि कौन किसके कारण है। पूर्वी जिलों के लिये कहे जाते ह कि वहां लोग अकर्मण्यता है और अन्धविश्वासी है लेकिन है किस कारण से हमारे खिलाफ है। यह गरीबी के कारण है और इसको मैं सिद्ध कर सकता हूं। मुख्य मंत्री के दिमाग में जो यह बात है कि वह पावरटी को इक्वेट करते हैं उसे वह निकाल दें।

अब जो मूल प्रस्ताव है उस पर मैं आता हूं। केन्द्र के वित्त मंत्रालय आयोग ने हमारे उत्तर प्रदेश को जो अनुदान दिया है वह छः बातों पर ध्यान रखकर दिया है। पिछले आयोगों ने केवल तीन बातों का ध्यान में रखकर अनुदान दिया है। लेकिन अब जो यहां पांचवां वित्त मंत्रालय आयोग बना इसने छः बातों को ध्यान में रखा। यह सौभाग्य रहा कि जब प्रसीडेन्ट रूल रहा तो उत्तर प्रदेश के लोग भी गये और उन्होंने अपनी बाते रखी कि इस प्रदेश का पिछड़ापन क्यों है। तो इस वर्ष जो विभागजन हुआ अनुदान का उसमें तीन नई बातें रखी गई। एक तो जनसंख्या को आधार माना और ८० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर कहां कि वितरित करेंगे और दूसरा उन्होंने प्रति व्यक्ति आप को देखा। बंगाल,मद्रास,मध्य प्रदेश और सभी प्रदेश चाहते थे कि ज्यादा मिले लेकिन सारा आधार मानते हैं कि उस प्रदेश की इस वक्त वार्षिक प्रति व्यक्ति कितनी आय है। यह एक नई बात आंकड़ो में जोड़ी गई है किस प्रदेश में किस प्रकार की स्थित है यह वहां के पिछढ़े हुए भू-भागों पर आधारित रहती है आर्थिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से और पूरे प्रदेश की जब आंकड़े लिये जाते हैं तो औसत आमदनी ली जाती है, वहां कितनी जातियां पिछड़ी हुई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक विशेष रूप से वह अनुदान देगें। तीसरा आंकड़ा उन्होंने रखा है वह है प्रदेश में कितने पिछड़े हुए भू भाग हैं कितनी जातियां हैं जो पिछडी हुई है जिनका आर्थिक स्तर बहुत नीचे है और जो ऊपर नहीं उठे हैं, इस आधार पर वह अनुदान देगें। यह तीनों बातें वित्त आयोग ने दी है और इसी आधार पर यह प्रस्ताव आया है। इसलिये हमें फिर से इस बात पर सोचे और उसी आधार पर जो प्लान

[डाक्टर हरि प्रसाद शाही]
का रुपया है जो ट्रांसफर फण्ड से रुपया आता है, उस ट्रांसफर के रुपये को जो प्रदेश के पिछड़े हुए भू-भाग हैं, वितरित करें ।

यह मैंने आधार के विषय में स्पष्ट रूप से बातें बतलाई जो कि वित्त आयोग ने रक्खा है । अब सवाल उठता है कि कौन से भू-भाग पिछड़े हुए हैं । यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है, बड़े झगड़े का प्रश्न है । झगड़े का प्रश्न इसलिये है कि हमारे सामने जो पुस्तिका आई है, यों तो उस पर बहुत से लोगों ने विचार व्यक्त किये हैं, राजनीतिकों ने विचार व्यक्त किये हैं, लेकिन जो विचार इस पुस्तिका में व्यक्त किये गये हैं और आप इसके दूसरे पन्ने पर देखें इसमें ६--१० इन्डीकेटर्स माने गये हैं । यह बात सही है कि पहले ६ इन्डीकेटर्स तो अर्थ से संबंधित है और पिछले ४ संबंध रखते हैं सामाजिक व्यवस्था से । यानी इसमें कुछ संबंध रखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के आंकड़ों से और दूसरे आर्थिक विकास के आंकड़े से । मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें जो आंकड़े लिये गये हैं वह नेशनल अप्लाइड इकोनोमिक्स की फिगर्स से, और जो नियोजन विभाग है, उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि देश का, उसके आंकड़े दिए हैं और तीसरे आंकड़े जो दिये गये हैं वह हैं जनसंख्या निदेशालय के । इस प्रकार यह ३ आंकड़े दिये गये हैं । लेकिन आपने प्रदेश के इकोनोमिकस विभाग जो आपका है, उसके ५९--६० के आंकड़े को आधार मानकर . . .

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)---
आपने कौन-कौन से ३ आंकड़े बतलाये हैं ?

डाक्टर हरि प्रसाद शाही---
३ आधार लिये हैं---नेशनल अप्लाइड इकोनोमिक्स का, दूसरा जनसंख्या निदेशालय का और तीसरा नियोजन विभाग का । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अपने इकोनोमिक्स एन्ड स्टेटिस्क्स निदेशालय के जो आंकड़े हैं १९६९ के वह नहीं लिये हैं । जो इन्डीकेटर्स उन लोगों ने बनाये हैं---११ इन्डीकेटर्स बनाये हैं, उन इन्डीकेटर्स पर निश्चित रूप से कुछ जिले पिछड़े हुए हैं । उन ११ इन्डीकेटर्स में आप देखेंगे कि हमारी पूर्वी जिलों के, बुन्देलखण्ड और पहाड़ों के जितने भी जिले हैं वह ऐसे जिलों में आते हैं जो पिछड़े हुए माने जाते हैं । मैं यहां पूर्वी और पश्चिमी जिलों के विवाद को नहीं उठाना चाहता । उन इन्डीकेटर्स को आप लें, जो आपके हैं, तो आप पायेंगे कि ७ से ९ तक पूर्वी जिलों, बुन्देलखण्ड और पहाड़ी जिलों के इन्डीकेटर्स हैं । जहां तक और जिलों का संबंध है जिन्हें सम्मिलित जिले कहते हैं, कम पायेंगे ।

श्रीमन्, यह तो ऐसा विवाद का विषय बन गया है कि जिसमें बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गई है । जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनमें सब जगह यह दिखलाया गया है कि पूर्वी जिले, बुन्देलखण्ड और पहाड़ी जिलों में इन बीस-इक्कीस वर्षों में बराबर अधिक रुपया दिया गया है । मान लीजिए हमारा वेतन १०० रु० है और मुख्य मंत्री जी का २०० रु० है । अगर दस-दस रुपया बढ़ा तो हमारा तो १० प्रतिशत बढ़ा और उनका ५ प्रतिशत बढ़ा । तो इसमें सारे फिगर्स परसेन्टेज पर दिये गये हैं ।

आपने कहा कि क्या यह संभव है कि हर जिले में बड़े-बड़े उद्योग दे दें । हम बड़े उद्योग नहीं मांगते हैं । हम कुटीर उद्योग भी नहीं मांगते हैं । बड़े उद्योग कितने जिलों में लगा सकते हैं ? कितना अनएम्प्लायमेंट का प्राबलम हल कर सकते हैं और क्या पर कैपिटा इंकम बढ़ा सकते हैं ? आप फिगर्स देखें पश्चिमी जिलों की ३७३ है जबकि पूर्वी जिलों की २०६, १७२ और १५० है । देवरिया की १७२ है ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा बेदखली का विनियमन (विधेयक, १९७० की संयुक्त, प्रवर समिति के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)--

अब पांच बजने ही वाले हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता था कि हमारा अन्दाजा यह है कि सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय, इसलिये सदन कल नहीं बैठेगा। रेन्ट कंट्रोल बिल का जो सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव था, माननीय मित्रों ने चाहा कि कल विचार किया जायगा, मेरा विचार है कि उसको अभी ले लें और मैं समझता हूं कि किसी को उसमें कठिनाई नहीं होगी क्योंकि हाउस उठ गया तो सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग इस बीच में नहीं हो सकेगी.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १० मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो १५ मिनट में खुद ही बढ़ा सकता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, हम तो यह आशंका कर ही रहे थे कि शायद सदन को एवरप्टली अनिश्चित काल के लिये बन्द किया जायगा। आपको ख्याल होगा श्रीमन्, अभी दो-तीन दिन पहले सदन में यह प्रश्न उठा था और मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि १० तारीख तक चलेगा। वैसे तो उनको हक है किसी समय भी अनिश्चित काल तक बन्द करने के लिये आपसे कहें। लेकिन इतना इस सदन का भी हक है कि हम कह सकें कि आखिर कोई बात तो कभी सरकार निश्चितता के साथ कहे। अभी चार दिन पहले कहा कि १० जुलाई तक चलेगा और आज कह रहे हैं कि अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर रहे हैं। यह कहां तक न्यायोजित होगा? मान्यवर, यदि सरकार हमसे कुछ चाहती है तो हम इधर के बैठने वाले भी तो यह चाहते हैं कि सदन के नेता साहब कभी तो कोई बात ऐसी कहे जो निचिश्त हो। जब चार दिन पहले कह चुके हैं कि १० तारीख तक चलेगी तो क्या कारण है, क्यों अनिश्चित काल के लिये मुल्तवी किया जा रहा है?

(व्यवधान)

मैं जानता हूं कि यह क्यों अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जा रहा है। कुछ देर पहले आपने कहा कि आप एक व्यवस्था देने वाले हैं। सरकार उस व्यवस्था को सुनना नहीं चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि आपकी कोई व्यवस्था हो और उस व्यवस्था के जरिये से जो कार्य कल हुआ उस कार्य को निरस्त करके सरकार से यह कहें कि वह इस्तीफा दें। यही कारण है कि सदन को आज अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि और भी कार्य पड़े हुए हैं। कल जो चीज यहां पर हुई उसके संबंध में यह सदन का सौभाग्य होता अगर वह उस व्यवस्था को सुनता।

दूसरी बात सेलेक्ट कमेटी के संबंध में कही गई। वह इस प्रकार से नहीं आ सकती है। यह नहीं हो सकता कि किसी समय सेलेक्ट कमेटी का मसला सदन में आ जाय। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि सदन को इस प्रकार से अनसरिमोनियसली और अबरेप्टली स्थगित कर दिया

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

जाय और रोक दिया जाय खासतौर से जब वहां पर व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है, तब अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करना उचित नहीं होगा ।

श्री चरण सिंह—

अगर्चे हम सभी लोग आदी हो गये हैं इस प्रकार से सुनने के लेकिन हम जानते हैं कि आचार्य जी के तर्क में कोई बल नहीं है, उनकी दलील अनरियल है. . .

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस प्रकार से श्रीमन्, मेरे आरगुमेंट को अनरिएल कहना मैं समझता हूं कि यह इन-सिनुएशन है । (व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

जिस चीज के लिये आप अपने आरगुमेंट को सही आरगुमेंट कहते हैं मैं उसी आरगुमेंट को अनरियल कहता हूं । यह कोई अनपार्लियामेंटरी नहीं है । जिस चीज को आप सही समझते हैं उसको किन्हीं और कारणों से मैं रियल आरगुमेंट नहीं कहता हूं । आपके जमाने में असेंबली १९ जुलाई से बैठी. . . . .

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

जब इस सदन के अन्दर कोई बातचीत ऐसी चल रही हो कि जिसके ऊपर आपको व्यवस्था देनी हो, आपने उस व्यवस्था को रिजर्व कर लिया हो तो क्या सदन को एकदम से स्थगित किया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

पिछली दफा हम पीठासीन लोगों के विरुद्ध भी व्यवस्था के प्रश्न विचाराधीन थे लेकिन वह बाद को लचर साबित हुए । यह पिछली दफा का अनुभव हमारे सामने है कि हम लोगों के खिलाफ भी अविश्वास का प्रस्ताव था लेकिन बावजूद सारी व्यवस्थाओं के वह उस समय की सरकार ने नहीं माना ।

श्री चरणसिंह—

इसीलिये मैं कहता हूं कि यह आरगुमेंट अनरियल है और इसमें कोई वजन नहीं है । पिछली बार जब मेरे मित्र की गवर्नमेंट थी उस समय १९ जुलाई से बजट सेशन शुरू हुआ और ३० अगस्त को स्थगित हो गया । वह १ महीना और ११ दिन तक असेंबली चली । इस बार हम लोग यहां पर २८ अप्रैल से बैठे और आज पहली जुलाई तक बराबर असेंबली चलती रही । २ महीना ४ दिन तक बराबर बैठे रहे । जिस गवर्नमेंट ने सदन को इतने दिनों तक बिठाया हो उसकी बावत वह कहें जिनकी गवर्नमेंट ने १ महीना ११ दिन के अन्दर भागने की सोची हो और यह भी कहें कि यह गवर्नमेंट गिर जायेगी तो यह आरगुमेंट अनरियल है । मेरे मित्र को पता है कि सरकार का पक्ष बहुत ज्यादा है । मेरे मित्र यह भी जानते हैं कि वह रूलिंग हमारे हक में होगी । आचार्य जी और उनके मित्र यह भी जानते हैं कि वे बहुत माइनारिटी में है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आपकी मारफत बताना चाहता हूं कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान ने मुझे बताया कि जो उन की पार्टी के मेम्बरान उस समिति में थे उनकी खुद की यह ख्वाहिश थी कि जल्दी से जल्दी अब सदन उठ जाय । इसके अलावा पांचवी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि . . . . (व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री के मुकाबले में हमारी तरफ ज्यादा आदमी है

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज सदन का अंतिम दिन है और यह अंतिम समय भी है तो मुख्य मंत्री जी अब किस विषय पर बोल रहे हैं और वह कौन सी पार्लियामेंटरी पद्धति पर चल रहे हैं....

श्री चरण सिंह---

उनका प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या है ? यह तो वह आरगुमेंट्स का उत्तर दे रहे हैं, यह बेकार की बात है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

२ मास से यह सेशन चल रहा है और मुख्य मंत्री जी समझ गये होंगे....

श्री चरणसिंह---

प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या है उनका ? (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि २ मास से यह सदन चल रहा है अब मुख्य मंत्री जी इतना तो समझ गये होंगे कि वह मेजारिटी में है या माइनारिटी में हैं, वह धमकी न दें...

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह---

मेरा उत्तर आप दें कि वह जो कह रहे हैं इसमें प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

इसमें क्या प्वाइन्ट आफ आर्डर है यह तो बताया जाय ?

(बहुत अधिक शोर)

श्री चरणसिंह---

मैं नहीं बैठूंगा, वह प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं बता पा रहे हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं भी नहीं बैठूंगा वह नहीं बैठेंगे तो ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री कृष्णानन्द राय---

२ महीने में उनको अक्ल नहीं आई ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप बतायें कि इसमें व्यवस्था का आपका प्रश्न क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि वह हमें धमकी न दें, चाहें वह मैजारिटी में हों या माइनारिटी में हों, इससे काम नहीं चलेगा, यह जो कार्यसूची है उसके बारे में मैं कह रहा था....

श्री चरणसिंह---

प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

यह कार्यसूची में नहीं है तो कैसे आ गया...

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि क्या व्यवस्था उन्होंने उठाई है यह तो बताया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने यह व्यवस्था उठाई है कि यह कार्यसूची में नहीं था तो कैसे आ गया । आप जरा सुनें ।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा था और वह सुन नहीं रहे थे, मैं यह कह रहा था कि आज सदन का अंतिम दिन है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप देखें नियम ११० में बिना सूचना के प्रस्ताव आ सकते हैं । उसमें यह भी है कि "समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव" बिना सूचना के आ सकता है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्री नारायण दत्त तिवारी....

(****) क्या बैठे बैठे हाथ उठा रहे हो, बड़े बहादुर **** (व्यवधान) हम जानते हैं चौधरी चरण सिंह के पीछे बैठे हो...

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था यह है कि बिना सूचना के प्रस्ताव आ सकता है और यह ४ बजे कौंसिल से आया है, मैंने उस को रखा और आपने कहा नहीं सहमति मांगे, मैंने उस को उठा लिया .....

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, नारायण दत्त जी ने जो यह प्रस्ताव रखा...

(****) श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो प्रश्न है, बहुत साफ है। यह प्रश्न है। यह तो समितियों वाला है। सदन के संबंध में यह प्रश्न नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, नियम २५७ में लिखा हुआ है कि "प्रवर समिति के विनिश्चयों का अभिलेख रखा जायगा और सभापति के निर्देश के अधीन समिति के सदस्यों में परिचालित किया जायगा'

श्री शुभानाथ चौधरी (जिला बलिया)---

श्रीमन्, आप नियम २५२ को देखें। इसमें पहला है विधेयक भारसाधक मंत्री, दूसरा है विधेयक भारसाधक सदस्य, यदि कोई हो, और तीसरा इसमें है कि यथास्थिति सभा के १७ या १८ सदस्य, जो कि अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। श्रीमन्, प्रस्ताव का प्रश्न नहीं है। आपके नियमों में है कि प्रवर समिति का निर्माण कैसे होगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्य, सदन द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ..... (व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर जिस समय तक विचार हो, उस समय तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि "जिस समय तक माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर विचार हो, उस समय तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

कार्यसूची में जो है, उसमें आपकी सहमति है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

श्रीमन्, मैं तो इसमें नहीं बोला था। आप नियम ११० को ले लें। श्रीमान देखेंगे कि इसमें समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचित का प्रस्ताव दिया है कि कैसे हो, कब हो। उसका प्रस्ताव आ सकता है लेकिन प्रवर समिति के सदस्यों के नाम सुरन्त घोषित कर दिये जाएं, नहीं है। सदन में ये गलत परंपराएं न डालें। नियमों के अनुसार ही काम होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका मतलब है "निर्वाचन" से। निर्वाचन की ही बात है ना ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

श्रीमन्, मेरा मतलब निर्वाचन के प्रस्ताव से है। किसी समिति के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव केवल आ सकता है। और मान्यवर, जरा-सा और आगे जाइए ...

श्री उपाध्यक्ष---

सबस्टेंसिव निर्वाचन है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

निर्वाचन हो सकता है लेकिन निर्वाचन का प्रस्ताव है, मैं इसलिये इस चीज को कह रहा था कि आपके द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हो, कोई निर्णय हो और वह निर्णय नियमानुकूल न हो तो यह सारे सदन के लिये एक चिन्ता का विषय होगा । आपने जो व्यवस्था दी है वह नियम ११० में नहीं आती, यह आती है नियम २५२ में.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

श्रीमन्, माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यदि कोई प्रश्न नियम का उठायेगा, उसको तो देखना ही पड़ेगा ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

श्रीमन्, २५२ में प्रवर समिति के निर्माण की प्रक्रिया है । वह प्रक्रिया यह है---"किसी विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्य, सदन द्वारा तब नियुक्त किये जायेंगे जब किसी विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव तैयार किये जाने के उपरान्त स्वीकृत हो जाय ।"

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो हो गया, आगे बढ़िए ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

प्रवर समिति में निम्न प्रकार से सदस्य होंगे---विधेयक भार साधक मंत्री होंगे, लेकिन इस पर मैं नहीं कहना चाहता हूं । मैं केवल यह कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

कृपा करके आप २५२ को नहीं, नियम २६१ को देखें जो संयुक्त प्रवर समिति के निर्माण के संबंध में है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

नियम २६१ इसमें लागू होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

वही मैंने माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी को बतलाया कि नियम २६१ संयुक्त प्रवर समिति के निर्माण के संबंध में है ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---

ठीक है, श्रीमन्, अच्छा हुआ कि यह प्रश्न आ गया, नियम २६१ के आगे २६२ पढ़ने से वह भेद समाप्त हो जाता है क्योंकि संयुक्त प्रवर समिति उसी प्रक्रिया के अनुसार चलेगी जो प्रवर समिति के लिये निर्धारित है । इसलिये मैंने २५२ के आगे २६१ या २६२ को पढ़ा नहीं । नियम २६२ इस प्रकार है---"संयुक्त प्रवर समिति में उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा जो प्रवर समिति के लिये निर्धारित है और सदस्यों के निर्वाचन और समिति के सभापति की नियुक्ति और प्रतिवेदन का प्रस्तुत करना तथा उस पर विचार करने के विषय में प्रवर समिति के समस्त नियम यथोचित परिवर्तनों सहित संयुक्त प्रवर समिति पर भी प्रवृत्त होंगे ।"

मान्यवर, यह नहीं, मैं कहता हूं निर्वाचन, निर्वाचन का प्रस्ताव नहीं। जैसे आज श्रीमन्, के सामने प्रस्ताव हो कि अमुक तिथि को इसका निर्वाचन इस प्रकार से सम्पन्न होगा, लेकिन यह नहीं कह सकते कि किस किस्म का निर्वाचन होगा। उसमें जरा सा भेद है। अमुक तिथि को संयक्त प्रवर समिति का निर्वाचन उक्त प्रक्रिया के अनुसार होगा इसको उद्घोषित कर सकते हैं लेकिन यह नहीं हो सकता कि अभी अभी उद्घोषित कर दें। तो इस पर आप स्वयं विचार करें। हम लोगों को नियमों के अन्तर्गत ही चलना है अन्यथा सदन के नियम और परंपराएं सब समाप्त हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि कृपा करके आप इस पर पुनर्विचार करके इस घोषणा को वापस लें।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, नियम २६१ में बिलकुल स्पष्ट है। उसमें शर्तें हैं—कि किस प्रकार से संयुक्त प्रवर समिति का निर्माण होगा। "जब तक कि दोनों सदन परस्पर करार द्वारा अन्यथा कोई विनिश्चय न कर लें, संयुक्त प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से होगी।" अगर विनिश्चय न हो जाय तो प्रवर समिति नहीं बन सकती। श्रीमन्, विनिश्चय हो गया, इस सदन में, विधान परिषद् में प्रस्ताव किया, विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया और यह आज विधान परिषद् से आया था। इसलिये विधान सभा में पास होने के बाद विधान परिषद् द्वारा संयक्त प्रवर समिति के लिये ८ सदस्यों का नामांकित हो गया और हमारे विधान सभा में यह केवल इसलिये आया है कि यहां के १६ माननीय सदस्यों की स्वीकृति विधान सभा दे दे। जो नामों की सूची तैयारी की गई वह सभी विरोधी दल के नेताओं के परामर्श से की गई है। उनके दिए हुए नामों को ही सम्मिलित किया गया है। इसलिये कोई मतभेद का प्रश्न नहीं है।

प्रस्ताव नियमानुकूल है और जहां तक नियम २६२ का प्रश्न है उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको अनावश्यक रूप से आचार्य जी ने पेश किया है। उसकी प्रक्रिया क्या होगी? वही होगी जो प्रवर समिति की होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेकर जो आपका फैसला है वह यथोचित है और इस प्रस्ताव पर मतदान करा लीजिए।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

यह रेगुलर ढंग से एजेन्डे पर आना चाहिये। यह नहीं हो सकता कि निर्वाचन इसी समय उद्घोषित हो जाय।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

मान्यवर, मैं नियम ११० की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। इस नियम के अन्तर्गत जो धाराएं हैं उनको यदि आचार्य जी के अनुसार देखें तो उससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि समवेदना या बधाई का प्रस्ताव आदि ये प्रस्ताव हो सकेंगे कि समवेदना या बधाई दी जाय। कोई प्रस्ताव विशेष नहीं किया जा सकेगा। अगर किसी सदस्य को हटाने का प्रस्ताव है, हटाया जाय तो इसका तात्पर्य यह नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि इस संबंध में प्रस्ताव विशेष प्रस्तुत किया जा सकता है। समवेदना का विशेष प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। किसी समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन के लिये विशेष प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। मुझे खेद है कि आचार्य जी इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और दक्ष एडवोकेट हैं उन्होंने इसे तोड़ मरोड़कर पेश किया है।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

मेरा निवेदन यह है कि दोनों सदनों से प्रवर समिति बनाने का निश्चय हो चुका है। धारा ११० के अन्तर्गत बिना किसी सूचना के प्रस्ताव माननीय मंत्री कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सारे सदन को चुनना है। जहां तक हमारे सचेतक ने कहा है, परामर्श से लिये

[दीप नारायणमणि, श्री]

गये हैं तो अगर उधर के बैठने वालों को आपत्ति है तो एक एक नाम प्रस्तावित होकर मतदान हो सकता है। यह प्रक्रिया सदन में रही है उसे आप स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस प्रस्ताव के लिये बिना नोटिस के यह प्रस्ताव आ सकता है कि समिति के मेंबरों का चुनाव किया जाय और उस रोज चुनाव नहीं हो सकता तो विदाउट नोटिस कहने की जरूरत नहीं थी। अगर चुनाव उस रोज नहीं हो सकता तो यह इमाजत है कि बिना आपकी अनुज्ञा के वह आ सकता है। इनकी जरूरत नहीं थी। फिर तो नोटिस दे दिया जाता। क्योंकि अर्जेंसी है इसलिये अधिकार दिया गया। उसी रोज चुनाव होना चाहिये नहीं तो मीनिंगलेस बात है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं प्रवर समिति के बारे में कहना चाहता हूं। यह प्रस्ताव भू-राजस्व वाली समिति के लिये प्रस्तुत किया गया था। मेरा यह प्रस्ताव है और उसमें साफ लिखा हुआ है, प्रस्ताव में कि सदस्यों के नाम बाद में लिये जायगे जैसा कि हर प्रवर समिति के प्रस्ताव में होता है, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं। आप बतलायें कि मंत्रिमण्डल ने किसी से पूछा है प्रवर समिति के नामों के संबंध में। सारे अपोजीशन के लीडरों से पूछा। किसी से परामर्श किया? मुझसे पूछा, मेरा रेजोल्यूशन था कि कौन-कौन लोगों को जाना चाहिये। इलेक्शन होगा, नामीनेट करेंगे या और कुछ करेंगे, या अपनी ओर से जिनको चाहेंगे उनको ही प्रस्तुत कर देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

महीलाल जी ने कहा है कि सभी नेताओं के परामर्श से यह आया है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मुझसे नहीं पूछा गया। इसका जो कन्सट्रक्शन है वह नियमों के विरुद्ध है। इस पर मेरी आपत्ति है। इस प्रस्ताव पर कम से कम मुझसे तो पूछा जाता क्योंकि मेरा ही प्रस्ताव था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप किस प्रस्ताव के बारे में कह रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

अपने प्रस्ताव के बारे में।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

जो विषय नेता सदन द्वारा एजेंडे के बाहर उठाया गया था उस पर अभी आप अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखे हुए हैं। वह भी बिना एजेंडे के आया था। आज फिर यह दूसरा विषय आया है जो एजेंडे के बाहर है। यह नियम २५२ के विरुद्ध है। इसमें लिखा है—किसी विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्य, सदन द्वारा जब नियुक्त किये जायेंगे जब किसी विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किये जाने के उपरान्त स्वीकृत हो जाय। (२) प्रवर समिति में निम्न प्रकार से १९ सदस्य होंगे। १—विधेयक भार साधन मंत्री, २—विधेयक भार साधक सदस्य यदि कोई हों, ३— यथास्थिति सभा के १७–१८ सदस्य, जो कि अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

मान्यवर, इसमें चुनाव की व्यवस्था है। जो प्रवर समिति गठित की जा रही है उसके माननीय प्यारे लाल जी सदस्य होना चाहते हैं। मैंने उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है और मैं उनका नाम आपके पास भेज रहा हूं। वे इसके लिये चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप नियम २५२ के अनुसार चुनाव की व्यवस्था करायें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने इसमें इतनी रुचि ली।

(व्यवधान)

मान्यवर, निर्वाचन एक चीज है और निर्वाचन का प्रस्ताव दूसरी चीज है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

एक माननीय सदस्य एक विषय पर कितनी बार बोल सकता है ?

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री के आगे पीछे (व्यवधान) आदमकद शीशा लगवा दिया जाय जिससे उनके पीछे किस तरह के लोग असभ्य व्यवहार करते हैं उसे वे देख सकें।

(व्यवधान)

श्री बसन्त लाल शर्मा—

जो नाम दिये गये हैं वे सभी दलों के नेताओं से पूछ कर दिये गये हैं। हर माननीय सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने दल के नेता की बात को माने। लेकिन श्रीमन्, यह बाइंडिंग नहीं है किसी पर। सभी माननीय सदस्यों को चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार है। इसलिये आप नियम २५२(२) (३) को देखें, उसके अनुसार यदि एक भी माननीय सदस्य विरोध करता है, वह चुनाव चाहता है तो चुनाव होने चाहिये....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मुझे एक निवेदन करना है ... (व्यवधान) मैं विकल जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं। (व्यवस्था)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आप मुझे समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है, कृपा करके बैठें। प्रश्न यह है कि समझा गया कि सहमति से एक बात हुई।

श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष महोदय, सहमति से नहीं हुई। ७ जुलाई को चौधरी साहब सरकार से निकाले जा रहे हैं, इसलिये वह जल्दी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर दे दीजिएगा। मैं पोस्टल बैलेट के जरिये से एलेक्शन करा लूंगा। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य अपने नेता का कहना नहीं मानता तो मैं इसे जरूर हटा दूंगा और कल या परसों जल्दी से जल्दी नामजदगी का ऐलान करूंगा और उनको बैलेट के जरिये चुनकर आना पड़ेगा।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

थोड़ा सा मैं बीच में आ गया हूं और मैं निवेदन करके स्थिति स्पष्ट किये देता हूं। स्थिति यह है कि एक दफा मैं नाम दे चुका हूं और इसलिये अपने साथियों से कहूंगा कि जो बात मैं कह चुका था, उस पर अडिग रहना चाहिये, इसलिये मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा और खास-कर विकल जी व रियासत हुसैन जी से कि जो जिम्मेदारी मैंने एक बार ले ली है चाहे आपकी तरफ से ही ली हो, उसको पूर्ण होने दिया जाय और ये जो नाम हैं उन्हें स्वीकार कर लें सब लोग।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

जो निवेदन आपके सामने शर्मा जी ने रखा है, उसे आप मानते हैं या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं आपकी तमाम बातें मान लेता हूं, आज आप भी मेरी एक बात मान लें।

श्री रामचन्द्र विकल—

सदन के इतिहास में पहली बार इस तरह से प्रवर समिति का गठन हो रहा है। बिना मेंबरों के विचार जाने हो रहा है। श्री प्यारे लाल जी का नाम है और वह चुनाव लड़ेंगे और हमको यह प्रस्ताव नामंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—

पोस्टल बैलेट से मैं वोट कराऊंगा। अगर आप कोई रास्ता निकालते हैं, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। आप एक बार फिर स्पष्ट बता दें कि आप उनके निवेदन को स्वीकार करते हैं या नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं उससे असहमत हूं, मैं प्यारे लाल जी का चुनाव लड़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, कल ४ बजे तक आप इस संबंध में नाम दे दें और बैलेट के जरिये से हम चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे, पोस्टल बैलेट से।

सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कुछ सदस्य—

यह आप क्या कर रहे हैं ? यह पेश नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप सुनें। मैंने जो प्रस्ताव रखा था वह नियमानुकूल है। या तो मैं अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर सकता था या माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सदन के समक्ष प्रस्ताव रखकर उस पर कोई वोट लिया गया तो वह अनियमित काम नहीं हुआ।

अब हम अनिश्चित काल के लिय उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ जुलाई, १९७०।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

[देखिए नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७४ पर]

नहर का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ों में)	मुआवजे की वर्तमान स्थिति
१	२	३	४
छपिया रजबहा (रिमांडलिंग)	कुरबा उर्फ मुड़कटिया	१.२७५	१४३७.२३ रु० की धनराशि का एवार्ड घोषित हुआ जिसमें से ५९२.९८ रु० की धनराशि नकद बांटी जा चुकी है । शेष धनराशि को कृषकों के न लेने के कारण राजस्व खाते में जमा कर दिया गया ।
	परसा उर्फ परसौना	५.४०५	विशेष दर से प्रतिकर के भुगतान के लिये राजस्व परिषद् की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये लिखा गया है । स्वीकृति प्राप्त होते ही प्रतिकर के शीघ्र भुगतान के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।
तरकुलवा माईनर	तरकुलवा	७.९८०	प्रस्ताव अभिनिर्णय के लिये राजस्व परिषद् के स्वीकृति हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा भेजा जा रहा है ।
डेंरवा रजबहा	तरकुलवा	४.२००	विशेष दर से प्रतिकर के भुगतान को स्वीकृति राजस्व परिषद् से१७ मार्च, १९७० को प्राप्त हुई थी । अब शीघ्र ही नियमानुसार एवार्ड तथा प्रतिकर के भुगतान की तिथि घोषित की जायगी तथा प्रतिकर का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८० पर]

तालिका 'क'

लिफ्ट सिंचाई योजनायें जो मिर्जापुर, वाराणसी व इलाहाबाद में लगाई जा चुकी हैं।

जिला	तहसील	योजना का नाम		सिंचन क्षेत्र	विवरण
१	२	३		४	५
१—मिर्जापुर	मिर्जापुर	सखौरा		१२,५००	
	,,	पिपराडीह	..	२,५००	
	,,	रामनगर सीकरी	..	६,०००	
	,,	कनौरीघाट	..	१,५००	
	चुनार	गोपालपुर	..	३३,०००	
	,,	बघेड़ी	..	७५०	
	,,	गंगापुर	..	३७५	
	,,	दुल्लहपुर (पश्चिम)	..	२२५	
	,,	दुल्लहपुर (पूर्व)	..	२२५	
	,,	दुबेपुर	..	२२५	
	,,	खजुरी	..	२२५	
	,,	ककराही	..	२२५	
	,,	चिरई रामपट्टी	..	२२५	
२—वाराणसी	वाराणसी	मुडादेव	..	१,५००	
	,,	चनवटी	..	७५०	
	ज्ञानपुर	डीह	..	२,५००	
	चन्दौली	भोपाली	..	६०,०००	
	,,	चारो	..	१,०००	
	,,	रेहुआ	..	१,०००	
	,,	धनैतपुर	..	१,२५०	
	,,	आरंगो	..	७५०	
	,,	अदसर	..	१,२५०	
	,,	ककरैत	..	१,०००	
	चकिया	भूसो (उत्तरी)	..	३७५	
	,,	भूसो (दक्षिणी)	..	३७५	
	चन्दौली	नौबतपुर	..	१५०	
	,,	करौलो	..	१५०	
३—इलाहाबाद	करछना	पालपुर	..	१,५००	
	,,	बोकर	..	१,०००	
	,,	घरवारा	..	३७५	
	,,	देवरा	..	३७५	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	तहसील	योजना का नाम		सिंचन क्षेत्र	विवरण
१	२	३		४	५
(इलाहाबाद)	मेजा	मांडा	..	६,०००	
	,,	लोहरा	..	४,७५०	
	,,	राजापुर (उत्तर)	..	३७५	
	,,	राजापुर (दक्षिण)	..	३७५	
	,,	बहुरूला	..	३७५	
	चायल	करेलाबाग	..	७५०	

मिर्जापुर, वाराणसी एवं इलाहाबाद जिलों में लगाई जाने वाली योजनायें

तालिका 'ख'

मिर्जापुर	चुनार	नरायनपुर	..	६०,०००	
	,,	अदलपुरा	..	१,५००	
	मिर्जापुर	हरगढ़	..	८,०००	
	,,	साधनाघाट	..	१,५००	
	,,	अर्जुनपुर	..	६,०००	
	राबर्टसगंज	चौपन	..	१,२००	
वाराणसी	चन्दौली	बलुआ	..	७,०००	
	,,	नगवा	..	७५,००	
	,,	कुन्दाकला	..	१,२००	
	वाराणसी	कैथो	..	१,०००	
इलाहाबाद	चायल	मूरतगंज	..	७,५००	
	मेजा	लखनपुर	..	६,०००	
	,,	सिरसा	..	१,५००	
	,,	राजापुर (उत्तर)	..	१,८००	
	,,	राजापुर (दक्षिण)		१,५००	
	,,	बहुरला	..	१,५००	
	करछना	धरवारा	..	२,०००	
	,,	देवरा	..	३,०००	
	,,	टोन्स	..	६८,३००	
	चायल	उज्जैनो	..	९,०००	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

[देखिए नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८३ पर]

संविद शासन काल के मंत्रियों के शासकीय आवासों में सुरक्षा हेतु बिजली के व्यय के भुगतान की मांग का विवरण-पत्र

मंत्रियों के नाम	शासकीय आवास	उनका पत्र दिनांक	अनुरक्षण खण्ड को प्राप्त होने की तिथि	अवधि जिसका सिक्योरिटी लाइट पर व्यय का भुगतान शासन द्वारा देय है
१—श्री जय राम वर्मा भूतपूर्व कृषि मंत्री।	१, कालीदास मार्ग	२८—४—६७	४—५—६७	६ अप्रैल, १९६७ से ७ मई, १९६७ तक।
२—श्री राम स्वरूप वर्मा, भूतपूर्व वित्त मंत्री।	३, दारूलशफा	२६—९—६७	२७—९—६७	१४ अप्रैल, १९६७ से २४ अक्तूबर १९६७ तक।
३—श्री श्याम लाल यादव, भूतपूर्व न्याय मंत्री।	४, कालीदास मार्ग	८—१२—६७	५—१—६८	१२ मई १९६७ से ११ दिसम्बर १९६७ तक।
४—श्री झारखण्डे राय, भूतपूर्व खाद्य मंत्री।	१०, कालीदास मार्ग	शून्य	शून्य	७ मई १९६७ से १२ सितम्बर, १९६७ तक।

नत्थी "घ"

(देखिए तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९१ पर)

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में राजकीय नलकूपों की व्यवस्था संबंधी स्थिति निम्नलिखित है—

१ पहाड़पुर	नये नलकूप मन्डौर, जिसका छिद्रण हो गया है, के सीमान्तर्गत यह ग्राम है ।
२ कुसुमीपुर एवं चकिया	यह ग्राम सभा नया नलकूप के चकिया कनियार के सीमान्तर्गत है ।
३—धर्मपुर घुरवा	यह नलकूप नं० २३-पी के सीमान्तर्गत है ।
४—हवेलिया	यह नलकूप नं० २८-पी के सीमान्तर्गत है ।
५—कनिहार	यह चक चुरामन के सीमान्तर्गत है ।
६—वजही	यह नहरी क्षेत्र के अन्तर्गत है ।
७—बेतरिया	यह नहरी क्षेत्र के अन्तर्गत है ।

इसक अतिरिक्त ग्राम बसोन्धा में वर्ष १९७०–७१ के लिये नलकूप का सर्वेक्षण हो रहा है और ग्राम बेनीपुर प्रस्तावित नलकूप अभयपुर के अन्तर्गत आयगा। ग्राम कतवारूपुर बसमहुआ और कैथवल, कटियाही का भी सर्वेक्षण हो रहा है और जिला इलाहाबाद के लिये और नलकूप मिलने पर उन्हें प्रोग्राम में शामिल करने हेतु जिला चयन समिति में विचार होगा। ग्राम सुनौटी बदरा व शैरडोह का क्षेत्र अधिकांश ऊंचा नीचा है अतः राजकीय नलकूप क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। लोलापुर कला बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अतः राजकीय नलकूप लगाने योग्य नहीं समझा जाता ।

उत्तर प्रदेश

नत्थी "ङ"

(देखिए तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६४ पर)

स्थानीय निकाय के स्थाई सफाई मजदूरों के लिये पुनरीक्षित वर्दी संख्या

	शीत कालीन			ग्रीष्म कालीन		
पुरुष सफाई कर्मचारी	ऊनी कोट	१	प्रति दूसरे वर्ष	कमीज या कुर्त्ता	२	प्रति वर्ष
	अंगोछा कान ढकने के लिये	१		पायजामा	२	
				टोपी	२	
				(नोट--जो सफाई कर्मचारी पायजामा के बजाय नेकर चाहते हैं, उन्हें नेकर दिया जाय)		
महिला सफाई कर्मचारी	ऊनी ब्लाउज		,,	ब्लाउज या कुर्त्ता	२	प्रति वर्ष
	आधी आस्तीन	१		धोती या सलवार	२	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "च"

(देखिए तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९६ पर)

	अनुमानित लम्बाई	अनुमानित ला०
	कि० मी०	रु०
१—ऊंचा गांव से अमरगढ़ सड़क ..	७	३,९६,०००
२—राजघाट करनवास सड़क ..	८	५,००,०००
३—अनूपशहर—करनवास सड़क ..	१२	७,००,०००
४—जहांगीराबाद से बिरयाना—सोरवा होते हुए अनूपशहर डिवाई तक।	१५	१०,००,०००

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "छ"

तालिका (१)

(देखिए तारांकित प्रश्न १०० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०१ पर)

बैराज नं०–१ पर निम्नलिखित ६ कम्पनियों ने निविदायें दी थीं––

१––मेसर्स कान्टीनेंटल कन्सट्रक्शन प्राइवेट लि० ।
२––मेसर्स नेशनल प्राजेक्ट कन्सट्रक्शन कार्पोरेशन ।
३––मेसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन प्रा० लि० ।
४––मेसर्स जी० एस० अतवाल एन्ड कम्पनी : इन्जीनियर्स प्रा० लि० ।
५––मेसर्स शाह कन्सट्रक्शन कम्पनी लि० ।
६––मेसर्स गोयल ब्रादर्स, बरेली ।

तालिका (२)

बैरज नं०–२ पर निम्नलिखित ६ कंपनियों ने निविदायें दी थीं––

१––मेसर्स नेशनल प्राजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन ।
२––मेसर्स कान्टीनेंटल कन्सट्रक्शन प्रा० लि० ।
३––मेसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी लि० ।
४––मेसर्स जी० एस० इंजीनियर्स प्रा० लि० ।
५––मेसर्स शाह कन्सट्रक्शन कं० लि० ।
६––मेसर्स गोयल ब्रदर्स, बरेली ।

तालिका (३)

बैराज नं०–२ पर फीडर चैनल के हैड रेगुलेटर पर निम्नलिखित ९ कंपनियों ने निविदायें दी थी :––

१––मेसर्स नेशनल प्राजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन ।
२––मेसर्स कान्टीनेंटल कन्सट्रक्शन प्राइवेट लि० ।
३––मेसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्सन कं० ।
४––मेसर्स जी० एस० अतवाल एण्ड कं०, इंजीनियर्स ।
५––मेसर्स वैन वो एन्ड कं० ।
६––मेसर्स मदलानी डेवेलपमेंट कारपोरेशन ।
७––मेसर्स फ्रान्टीयर कन्सट्रक्शन कं० ।
८––मेसर्स मूल चन्दानी कन्सट्रक्शन कं० ।
९––मेसर्स गोयल ब्रदर्स, बरेली ।

तालिका (४)

योजक नहर के टेल रेगुलेटर पर निम्नलिखित ६ कंपनियों ने निविदाएं दी थीं––

१––मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन ।
२––मेसर्स हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कं० लि० ।
३––मेसर्स जी० एस० अतवाल एन्ड कं० इंजीनियरिंग प्राइवेट लि० ।
४––मेसर्स मूल चन्दानी कन्सट्रक्शन कं० लि० ।
५––मेसर्स गोयल ब्रदर्स, बरेली ।
६––मेसर्स विन वो एन्ड कं०, गोरखपुर ।

सत्यमेव जयते संसदीय सभा

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०३ पर)

जनपद इलाहाबाद की फूलपुर तहसील फूलपुर में अप्रैल, १९६७ से ३१ मार्च, १९७० तक लगाए गए नलकूपों की सूची

क्रमांक	नं० नलकूप	नाम नलकूप	क्रमांक	नं० नलकूप	नाम नलकूप
१	५८ पी	कोडापुर	२२	७१ पी	सारहा
२	५२ पी	इमलिया	२३	७४ पी	सिलोखरा
३	५५ पी	दामोदरपुर	२४	७५ पी	चमलपुर
४	५६ पी	फिरोजपुर	२५	८६ पी	सलाहापुर
५	५३ पी	कनेहटी	२६	८७ पी	वीरभानपुर
६	५७ पी	हरनामपुर	२७	८९ पी	मुबारकपुर
७	५९ पी	तारडीह	२८	८८ पी	लतीफपुर
८	६० पी	देवापुर	२९	८४ पी	साबडीह
९	६१ पी	रघुनाथपुर	३०	७८ पी	थरना
१०	५४ पी	बझपुर	३१	७६ पी	चन्दवा
११	६२ पी	बेलवा	३२	७९ पी	विरगापुर
१२	६४ पी	पारनडीह	३३	८१ पी	मन्दौर
१३	६५ पी	चिन्तामनपुर	३४	८२ पी	चकिया धरहरा
१४	६६ पी	जगवन्धनपुर	३५	८५ पी	छतनाग
१५	७० पी	मलाकापुर	३६	८३ पी	पालीकरन
१६	६७ पी	नासिरपुर	३७	अभी इसको कोई नं० एलाट नहीं किया गया।	छिवेगा
१७	६८ पी	वारी			
१८	६३ पी	सुलापुर			
१९	६९ पी	बारो			
२०	७२ पी	मेलहन			
२१	७३ पी	बक्सडा			

संसद सदस्य विधान सभा

नत्थी "झ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०४ पर)

अलीगढ़ जनपद में वर्ष १९६९-७० में निर्मित किये गये नलकूपों के स्थानों का विवरण

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम
१	खैर	पला वीरान	१६	हाथरस	पैकवारा
२	खैर	खेंडा	१७	हाथरस	नवला केशो
३	खैर	दमुवाका	१८	हाथरस	देवीनगर
४	खैर	इतवारपुर	१९	हाथरस	जहांगीरपुर
५	कोल	पिन्जरी नगरी	२०	हाथरस	थुलई
६	कोल	बीठना	२१	हाथरस	विशुनदासपुर
७	कोल	असनैती	२२	हाथरस	रतनागढ़ी
८	कोल	ललिगढ़ी	२३	हाथरस	मेड़
९	कोल	असनता जहांगीराबाद	२४	हाथरस	कैमार
१०	कोल	गोविन्दपुर फगोई	२५	हाथरस	परसारा
११	कोल	बीठना	२६	हाथरस	विशुनदासपुर
१२	कोल	बादबामिनी	२७	हाथरस	परसारा
१३	कोल	कोटा दाऊदपुर	२८	हाथरस	दर्शना
१४	हाथरस	अजरोई	२९	अतरौली	मलसई
१५	हाथरस	रामनगर	३०	अतरौली	बनसारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थीय "ञ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर)

उन व्यक्तियों की सूची जिनको ग्राम बिरहाना पोस्ट अरेली तहसील तिलहर जिला शाहजहांपुर की ४५,७६ एकड़ अतिरिक्त भूमि ३०-६-१९७१ तक की अवधि के लिये अस्थायी पट्टों पर दी गयी है

क्रमांक	नाम काश्तकार व पता		समय	खसरा नं०	रकबा
१	श्री बुद्धी पुत्र तिलक	निवासी ग्राम बिरहाना	३ वर्ष	१९६ मि०	१-५०
२	श्री करन पुत्र तौले	,,	,,	१९६ मि०	१-७०
३	श्री जसवन्त पुत्र झब्बू	,,	,,	१९६ मि०	१-५०
४	श्री झम्मन पुत्र छेदा	निवासी ग्राम छितैनी	,,	१९६ मि०	२-००
५	श्री राम नाथ दीक्षित	निवासी ग्राम बिरहाना	,,	१९६ मि०	२-००
६	श्री परसादी पुत्र मनोहर	,,	,,	१९६ मि०	१-५०
७	श्री किशवर पुत्र लल्लू	,,	,,	१९६ मि०	१-५०
८	श्री फुल्लू पुत्र मनोहर	,,	,,	१९६ मि०	१-५०
९	श्री छदम्मा पुत्र तौले	,,	,,	१९६ मि०	१-५०
१०	श्री दोदे पुत्र तौले	,,	,,	१९६ मि०	१-५०
११	श्री बट्टन पुत्र मनोहर	,,	,,	१९६ मि०	१-००
				३१	०-५०
१२	श्री शहजादे पुत्र हस्नू	,,	,,	८९	०-१४
				१९६	१-५१
१३	श्री सरजू पुत्र मनोहर	,,	,,	२०९ मि०	१-५०
१४	श्री राम सरन पुत्र द्वारिका	,,	,,	२०९	१-५०
१५	श्री छोटे पुत्र दिल्ला	,,	,,	२०९	१-५०
१६	श्री किशन पुत्र मंकू	,,	,,	२०९	१-००
१७	श्री दाता राम पुत्र गिरन्द	,,	,,	२०९	१-००
१८	श्री अशर्फी पुत्र छोटे	,,	,,	२०९	१-५०
१९	श्री सामन्त पुत्र रूपा	,,	,,	२०९	१-००
२०	श्री शाहजादे, मुंशी पुत्र वजीर	,,	,,	२०९	२-००
२१	श्री असगर पुत्र नबी बख्श	,,	,,	२०९	१-००
२२	श्री निमामतउल्ला पुत्र खन्ना	..	,,	२०९	१-३७
२३	श्री यसुफ, तज्जू पुत्रगण सद्दू	,,	,,	२०९	१-५०
२४	श्री मथुरी पुत्र तौले	,,	,,	१६१	१-४६
२५	श्री अजमतउल्ला पुत्र बख्तावर	,,	,,	२३७ मि०	१-५०
२६	श्री लिक्खा पुत्र मोती	,,	,,	२३७	१-४८
२७	श्री बन्धा, श्रीराम, तेजा पुत्रगण जग्गू हरिजन।	,,	,,	२३७	२-४०
२८	श्री अली हसन पुत्र कम्मा	,,	,,	२४८	०-९५
२९	श्री गोधन पुत्र इन्डल हरिजन	,,	,,	२४८	०-९६
३०	श्री सरदार पुत्र पुन्नी	,,	,,	१७५	१-००
३१	श्री राम भरोसे पुत्र लल्लू	,,	,,	१७५	१-७९

नत्थी "ट"

(देखिए अतारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०७ पर)

विभिन्न जिलों मे बाटी गयी जोत बहियों की संख्या

जिला		२६-१-७० से १६-२-७० तक वितरित जोत बहियां	१७-२-७० से १५-४-७० तक वितरित जोत बहियां
१—मैनपुरी	..	१,८७६	३,२१७
२—बदायूं	..	३,१९२	८,७७०
३—शाहजहांपुर	..	५९६	७,१६०
४—पीलीभीत	..	२,७४१	२,५५४
५—रामपुर	..	२,१५२	६,५३५
६—झांसी	..	१०,१८०	९,३३८
७—जौनपुर	..	५,७२९	१०,०९३
८—गाजीपुर	..	२,०६०	५,७८९
९—अल्मोड़ा	..	शून्य	शून्य
१०—चमोली	..	४६६	४५२
११—उत्तर काशी	..	शून्य	शून्य
१२—लखनऊ	..	११,६४०	४,८६६
१३—सीतापुर	..	१,३९२	६,१३१
१४—फैजाबाद	..	३,५०७	५,३३२
१५—बाराबंकी	..	२,६२८	७,४१२
१६—झांसी	..	६,०७४	९,५९६

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ठ"

(देखिए पीछे पृष्ठ ६४७ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ५ में, तथा उसके पार्श्व शीर्षक में, शब्द "अध्यक्ष और सभापति" के स्थान पर शब्द 'अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उपसभापति' रख दिये जाएं। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११, १९५२ की धारा ५ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ५—क निकाल दी जाय। — धारा ५—क का निकाला जाना।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उद्देश्य और कारण

विधान सभा के उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद् के उप सभापति के लिये इस समय परिवहन की व्यवस्था नहीं की जाती ; उसके स्थान पर उन्हें १५० रु० मासिक परिवहन भत्ता देय है। परन्तु उनके पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया है कि माननीय अध्यक्ष व माननीय सभापति की भांति उन्हें भी सार्वजनिक व्यय तथा रख-रखाव पर उपयुक्त परिवहन दिया जाय। तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७८ एस० ए०—१६७१—८४५।